[2022] 10 एस. सी. आर 351

सैटेन्डर कुमार एंटिल

वी.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर.

(2021 का विविध आवेदन No.1849)

11 जुलाई, 2022

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे.]

जमानत-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अनुदान। 41 , 41 ए, 88,170,204 और 209-भारत का संविधान-कला। 21 & 22 - कुछ निर्देशों की मांग करते हुए आवेदन दायर किए गए हैं।

जमानत के अनुदान को नियंत्रित करने वाले पहलुओं से निपटने के लिए स्पष्टीकरण आयोजित किए गएः भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम लागू करने पर विचार कर सकती है ताकि इसे सुव्यवस्थित किया जा सके।

जमानत का अनुदान-जमानत पर विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालयों को धारा के उचित अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। 41 सी. आर. पी. सी.-का कोई भी गैर-अनुपालन अभियुक्त को जमानत देने का हकदार बनाएगा-धारा 41 और 41 ए संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलू हैं-अर्नेश कुमार बनाम के निर्देश। जांच और अभियोजन एजेंसियों द्वारा बिहार राज्य का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए-जबकि धारा 41 का पालन न करने और उसके परिणामों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार इससे होने वाले प्रवाह को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो आदेशों में परिलक्षित होने की उम्मीद है-न केवल अनुचित गिरफ्तारी, बल्कि जमानत आवेदनों को रोकने का भी ध्यान रखना।

विभिन्न न्यायालयों, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष धारा 41 ए के अधिदेश का पालन करने के लिए स्थायी आदेशों को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया गया-आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। 88 , 170 , 204 और कोड का 209।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-विशेष न्यायालय

राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा-उच्च न्यायालय को राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष अदालतों की आवश्यकता पर एक अभ्यास करना होगा-विशेष अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के पद पर रिक्तियों को तेजी से भरना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 436 ए, 440 विचाराधीन कैदी न्यायालय के समक्ष रखे गए आंकड़े

उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने का अभ्यास जो जमानत की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं-ऐसा करने के बाद, सेक के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी। 440 , रिहाई को सुविधाजनक बनाना-सेक के जनादेश को सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए। 440 संहिता को ध्यान में रखा जाना चाहिए-अनुभाग के अधिदेश का पालन करने के लिए एक अभ्यास इसी तरह से किया जाना चाहिए। 436 जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय दोनों स्तरों पर, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था भीम सिंह में इस न्यायालय ने उचित आदेशों का पालन किया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-जमानत आवेदन

- समय सीमा-जमानत आवेदनों का निपटान दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हैं, अपवाद के रूप में एक मध्यवर्ती आवेदन है।

अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को किसी भी हस्तक्षेप आवेदन को छोड़कर छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाने की उम्मीद है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा। 167 (2) – उद्देश्य और अनुमान के तहत-इसके पीछे एक प्रशंसनीय वस्तु है,

जो एक त्वरित जांच और एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए है, और एक तर्कसंगत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए है जो समाज के गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करती है-यह भी कला का एक और अंग है। 21 बेगुनाही का अनुमान भी इस प्रावधान में अंतर्निहित है-संदिग्ध के लाभ के लिए निहित अधिकार एक पूर्ण और अक्षम्य है-निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करने के लिए एजेंसी पर एक कर्तव्य लगाया गया है और विफलता आरोपी की रिहाई को सक्षम बनाएगी-इस तरह के अधिकार को किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी नहीं लिया जा सकता है-Sec.167 (2) से बहने वाले अधिकार के परिणामस्वरूप, अदालतों को इसे उचित प्रभाव देना होगा, और इस प्रकार इस अवधि के बाद कोई भी निरोध निश्चित रूप से अवैध होगा, जो संबंधित व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है-इसलिए, यह न केवल जांच एजेंसी का कर्तव्य है, बल्कि अदालतों का भी कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक आरोपी को धारा 16 का लाभ मिले।

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा। 170 – दायरा और परिधि-एक ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा न्यायालय के गठन के बाद किया जाना है।

जाँच का समापन-ऐसे मामले में जहाँ अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जब कोई मामला मजिस्ट्रेट यू/एस को भेजा जाता है तो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। 170 - जमानत आवेदन दायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को केवल आरोप तय करने और मुकदमे की प्रक्रिया जारी करने के लिए अदालत में भेजा जाता है-हालाँकि, जिन मामलों में अभियुक्त व्यक्ति पहले से ही हिरासत में हैं, तो जमानत आवेदन पर अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है।

सिद्धार्थ बनाम में निर्धारित जनादेश। यू. पी. राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस. एस. 88 & 204 एस. 204 मजिस्ट्रेट को एक विवेकाधिकार देता है, और प्रकृति में प्रक्रियात्मक होने के कारण, इसका उपयोग निश्चित रूप से पर्चे का पालन करके किया जाना है सेक. 88 - इस प्रकार, वारंट जारी करना एक अपवाद हो सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट को कारण बताना होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 209 - यह काफी देता है।

मजिस्ट्रेट को मुकदमे के दौरान या अंत तक किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने की शक्ति-क्योंकि शक्ति का प्रयोग किया जाना है

मजिस्ट्रेट द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर, यह दोनों में से उनका विवेक है। किसी अभियुक्त को रिमांड पर भेजना या जमानत देना-यहां भी, यह न्यायिक विवेकाधिकार है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है-एक मजिस्ट्रेट जमानत के लिए आवेदन के बिना भी कॉल ले सकता है यदि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-सेक। 309 – जमानत-यह अदालतों को साक्ष्य के पूरा होने तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही जारी रखने का आदेश देता है-अदालत या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी देरी निश्चित रूप से कला का उल्लंघन करेगी। 21- अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि अभियुक्त को अपनी गलती के बिना हुई देरी के लिए नुकसान न उठाना पड़े-इसलिए, जब तक कि यह

अदालत से सेक का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। 309 जहाँ तक संभव हो, निष्कर्ष निकालने में एक अस्पष्टीकृत, परिहार्य और लंबे समय तक विलंब

मुकदमा, अपील या पुनरीक्षण निश्चित रूप से एक कारक होगा

जमानत पर विचार। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-सेक। 389 – जमानत-यह अपील लंबित परिस्थितियों से संबंधित है जिसके कारण

जमानत पर अपीलार्थी की रिहाई-यू/एस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति।

यह [2022] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू/एस. एस. से अलग। 437 या 439, विचाराधीन मुकदमा यह इस कारण से है कि "निर्दोषता का अनुमान" और "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है अपीलार्थी जिसे एक दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है-एक का मात्र विचाराधीनता

अपील अपने आप में एक कारक नहीं होगी-हालाँकि, मुख्य अपील या संशोधन को लेने में देरी के साथ-साथ यू/एस को प्रदान किए गए लाभ के साथ। 436 जमानत पर अनुकूल रिहाई के लिए अन्य कारकों के साथ संहिता के ए पर विचार किया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस। 436 ए-ऐसे मामले में जहां एक अपील लंबे समय से लंबित है, उसे यू/एस लाने के लिए। 436 ए, सभी रूपों में कारावास की अवधि की गणना करनी होगी,

और इसी तरह संशोधन के लिए भी-जब किसी व्यक्ति को अधिकतम अवधि के आधे हिस्से तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया हो।

उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास उसे अदालत द्वारा प्रतिभू के साथ या उसके बिना उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाएगा - यहाँ तक कि इस प्रकृति के मामले में जमानत आवेदन की आवश्यकता भी

विशेष रूप से जब विलंब के कारण अभियुक्त के खिलाफ जिम्मेदार नहीं हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस। 437 - यह सशक्त करता है।

मजिस्ट्रेट एक पर विचार करते हुए सभी अपराधों से निपटने के लिए

दंडनीय अपराध के अपवाद के साथ जमानत के लिए आवेदन

या तो आजीवन कारावास या विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मृत्यु के साथ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-सेक। 440 - निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की राशि मामले की परिस्थितियों के संबंध में तय की जानी है और अत्यधिक नहीं होगी -

बांड और जमानत एक ऐसी चीज है जिसे अदालत को ध्यान में रखना होता है जब भी उस पर जोर दिया जाता है, और इसलिए यू/एस की शक्ति का प्रयोग करते समय। 88 उक्त तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा -

एक ऐसी शर्त लागू करना जो अनुपालन के लिए असंभव है

रिहाई के उद्देश्य को पराजित करना।

विशेष अधिनियमों पर भी लागू होता है-इसे स्पष्ट करने के लिए, धारा में निहित प्रावधान। 436 ए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में विशेष अधिनियमों पर भी लागू होगा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और एक सख्त अनुपालन के लिए भी

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर.

सेक. 309- एक समान सामग्री या इसी तरह के प्रावधान का अस्तित्व सेक की तरह। 167 (2) विशेष अधिनियम के तहत उपलब्ध समान होगा

अभियुक्त को पूर्वनिर्धारित जमानत के लिए हकदार बनाने का प्रभाव-यहाँ भी अदालत

आपको संतुष्टि पर विचार करना होगा। 440 .

जमानत चाहे आर्थिक अपराधों को एक के रूप में माना जाना चाहिए

अपने स्वयं के या अन्यथा वर्ग-अपराध की गंभीरता, वस्तु विशेष अधिनियम, और उपस्थित परिस्थितियाँ कुछ हैं

सजा की अवधि के साथ ध्यान में रखे जाने वाले कारक-आखिरकार, एक आर्थिक अपराध को इस तरह से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं और एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न हो सकती हैं।

सभी अपराधों को एक समूह में वर्गीकृत करें और उस पर जमानत देने से इनकार करें। आधार।

अभ्यास और प्रक्रियाएँ-आपराधिक मुकदमा-न्यायपालिका का दृष्टिकोण

विशेष रूप से निचली अदालत के साथ सामान्य रूप से आपराधिक अदालतें

स्वतंत्रता के संरक्षक स्वर्गदूत हैं-किसी भी सचेत विफलता द्वारा आपराधिक अदालतें स्वतंत्रता का अपमान करेंगी-यह है

आपराधिक न्यायालय का पवित्र कर्तव्य है कि वह संवैधानिक मूल्यों और लोकाचार की रक्षा करने में उत्साहपूर्वक रक्षा करे और एक सुसंगत दृष्टि रखे-एक आपराधिक न्यायालय को संवैधानिक बल को बनाए रखना चाहिए

एक महायाजक के समान कार्य करके उन पर अनिवार्य जिम्मेदारी।

जमानत आवेदन-न्यायिक वितरण-अदालतें सोचती हैं

कि दोषसिद्धि की संभावना दुर्लभता, जमानत के करीब है आवेदनों पर कानूनी नियमों के विपरीत सख्ती से निर्णय लेना होगा।

सिद्धांत-न्यायालय जमानत आवेदन पर विचार को मिश्रित नहीं कर सकता है, जो संभावित जमानत आवेदन के साथ दंडात्मक प्रकृति का नहीं है।

मुकदमे के माध्यम से निर्णय-इसके विपरीत, एक अंतिम बरी होना। निरंतर हिरासत के साथ गंभीर अन्याय का मामला होगा

-

न्यायालय के निर्णयों में एकरूपता और निश्चितता

न्यायिक व्यवस्था की नींव-एक ही अपराध के आरोपी व्यक्तियों के साथ कभी भी एक ही अदालत द्वारा अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा।

या एक ही या अलग-अलग अदालतों द्वारा-ऐसी कार्रवाई हालांकि

न्यायिक होने के बावजूद विवेक का प्रयोग एक गंभीर कार्य होगा। कला का अपमान। 14 और भारत के संविधान का 15.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-परीक्षण-परिभाषित-एक

के उद्देश्य से इस शब्द का विस्तारित अर्थ दिया जाना चाहिए जाँच के चरण और [2022] 10 एस. सी. आर. को शामिल करने के लिए जमानत पर विस्तार।

अनुच्छेद 21, अभियुक्त के लाभ के लिए होगा-साक्ष्य के महत्व का मूल्यांकन परे के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए उचित संदेह।

आवेदनों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. ये निर्देश जांच के लिए हैं।

अभिकरणों और न्यायालयों के लिए भी। तदनुसार, न्यायालय निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझता है, जो राज्य संशोधनों के अधीन हो सकते हैं। :

अ.) भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम लागू करने पर विचार कर सकती है ताकि -

जमानतों के अनुदान को सुव्यवस्थित करें।

ख.) जाँच एजेंसियाँ और उनके अधिकारी अधिनियम की धारा 41 और 41 ए के आदेश का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

अर्नेश कुमार में इस न्यायालय द्वारा जारी संहिता और निर्देश। उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को अदालत द्वारा उचित कार्रवाई के बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। ग.) अदालतों को संहिता की धारा 41 और 41 ए के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी नहीं

अनुपालन अभियुक्त को जमानत देने का हकदार बनाएगा।

घ.) सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे सैटेन्डर कुमार एंटील v की प्रक्रिया के लिए स्थायी आदेशों की सुविधा प्रदान करें।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर.

जी.) राज्य और केंद्र सरकारों को समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। विशेष न्यायालयों के गठन का सम्मान। उच्च न्यायालय ने

विशेष न्यायालयों की आवश्यकता पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना होगा। विशेष अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के पद पर रिक्तियों को तेजी से भरना होगा।

ज.) उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने की कवायद करें जो अनुपालन करने में सक्षम नहीं हैं

जमानत की शर्तों के साथ। ऐसा करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसे संहिता की धारा 440 के आलोक में लिया जाना चाहिए, जिससे रिहाई में सुविधा हो।

i.) धारा 440 के अधिदेश को सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए

संहिता को ध्यान में रखना होगा। जे.) संहिता की धारा 436 ए के अधिदेश का पालन करने के लिए एक अभ्यास इसी तरह से किया जाना चाहिए।

जिला न्यायपालिका स्तर और उच्च न्यायालय, जैसा कि पहले इस न्यायालय द्वारा भीम सिंह मामले में निर्देश दिया गया था, उचित आदेशों का पालन करते हुए।

1.) सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को एक अवधि के भीतर शपथ पत्र/स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है चार महीने। [पैरा 73] [445-एफ-जी; 446-ए-एच; 447-ए-सी] [2022] 10 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निकेश ताराचंद शाह बनाम। भारत संघ (2018) 11

एससीसी 1: [2017] 12 एस. सी. आर. 358; संजय चंद्र बनाम। सीबीआई

(2012) 1 एससीसी 40 [2011] 13 एससीआर 309; कोरी ली

जेम्स मायर्स बनाम। महामहिम महारानी 2019 एस. सी. सी. 18;

महामहिम रानी बनाम। केविन एंटिक और ओआरएस। 2017

एस. सी. सी. 27; अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी

273 : [2014] 8 एससीआर 128; इंदर मोहन गोस्वामी बनाम। राज्य उत्तरांचल (2007) 12 एस. सी. सी. 1: [2007] 10 एससीआर 847;

पंकज जैन बनाम। भारत संघ (2018) 5 एससीसी 743:

[2018] 9 एस. सी. आर. 248; एम. रवींद्रन बनाम। निदेशालय

राजस्व खुफिया (2021) 2 एस. सी. सी. 485; सिद्धार्थ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 1 एस. सी. सी. 676; हुसैनारा खातून

& ओआरएस। v गृह सचिव, बिहार राज्य, 1980 (1) एससीसी 81 : [1979] 3 एससीआर 169; हुसैन और अन्र। वी. संघ का

सुरिंदर सिंह @शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य 2005 (7) एस. सी. सी. 387 [2005] 2 पूरक। एससीआर 1172; अतुल

त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एन. आर. 2014 (9) एससीसी 177:

[2014] 14 एस. सी. आर. 1188; अंगाना बनाम। राजस्थान राज्य

(2009) 3 एससीसी 767: [2009] 1 एस. सी. आर. 941; सुनील कुमार बनाम

विपिन कुमार (2014) 8 एससीसी 868; भीम सिंह बनाम। संघ

भारत सरकार (2015) 13 एस. सी. सी. 605; प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम।

एन. सी. टी. दिल्ली (2001) 4 एस. सी. सी. 280: [2001] 2 एससीआर 684;

बालासाहेब सतभाई मर्चेंट कूप बैंक लिमिटेड बनाम

बम 1261; केनेथ हम्फ्री, एस 247278; 482 पृ. 3 डी 1008 (2021); भारत संघ बनाम। के. ए. नजीब (2021)

भारत संघ (1994) 6 एससीसी 731: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 386; पी. चिदंबरम बनाम। प्रवर्तन निदेशालय

(2020) 13 एससीसी 791: [2019] 14 एससीआर 450; संजय

चंद्र वी. सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40: [2011] 13 एससीआर 309;

अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2021) 2 एससीसी 427-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

7] 12 एससीआर 358

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

1] 13 एससीआर 309

पैरा 12 आर कुमार एंटील वी। केंद्रीय भवन

जाँच और ए. एन. आर.

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

128

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

847

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

248

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

485

पैरा 36

676

संदर्भित किया गया है

169

पैरा 41

संदर्भित किया गया है

626

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

. एससीआर 1172

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

1188

941

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

868

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

संदर्भित किया गया है

605

पैरा 47

684

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

संदर्भित किया गया है

पैरा 64

713

संदर्भित किया गया है

. एससीआर 386

पैरा 64

संदर्भित किया गया है

पैरा 66

450

309

संदर्भित किया गया है

पैरा 66

संदर्भित किया गया है

427

पैरा 68

उच्च सी इलाहाबाद आपराधिक मिस्क का दिनांक 01.07.2021 का आदेश और आदेश। विरोधी बी1 . 2021 की ई. ओ. एस. आवेदन डायरी No.29164 स्पे. सी. आर. एल. में)

[2022] के 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., सिद्धार्थ लूथरा, अमित देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पराग मदान, हार्दिक रूपल, सुश्री शुभांगी जैन, आयुष कौशिक, लक्ष्य

मेहता, शशांक गौरव, अकबर सिद्दीकी, सुश्री अंजू के. वर्की, सुश्री साइरिका राजू, सुश्री अन्नम वेंकटेश, सुश्री प्रियंका दास, ओम प्रकाश शुक्ला, मोहम्मद अखिल, उदय खन्ना, रित्विज ऋषभ, अंशुमन सिंह, अंकित भाटिया, हर्ष पॉल सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, गौतम अवस्थी, अमित के. नैन, सुश्री स्तुति गुजराल, सुश्री प्रीति वर्मा, सुश्री सौश्री हवेलिया, साहिल घई, सुश्री प्रियश्री शर्मा पीएच, सैयद फराज आलम, कुश चतुर्वेदी, अर्जुन गर्ग, एस. महेश सहस्रनामन, गोपाल कृष्ण शेनॉय,

रोहन दक्षिण, सुश्री पूजा कोठारी, अश्विन थूल, प्रतीक राजोपाध्याय, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, महेश अग्रवाल, अर्शित आनंद, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

" स्वतंत्रता आधुनिक मनुष्य की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। इसे एक परिपक्व सभ्यता का नाजुक फल कहा जाता है। यह सभ्य अस्तित्व का सार है और एक आधुनिक मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है।

- जॉन ई. ई. डी. "स्वतंत्रता और शक्ति पर निबंध" में

1. धारा 170 की गलत व्याख्या पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जमानत मांगने वाले मामलों की निरंतर आपूर्ति पर ध्यान देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद संक्षेप में "संहिता" के रूप में संदर्भित), इस न्यायालय द्वारा भविष्य के लिए दिशानिर्देशों के रूप में उपयोग किए जाने वाले अपराधों के प्रकारों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू से सहायता मांगी गई। आवेदन की अनुमति देने के बाद

हस्तक्षेप करते हुए, 07.10.2021 पर एक उपयुक्त आदेश पारित किया गया। उसी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" हमें श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील दोनों द्वारा सहायता प्रदान की गई है और सुझावों के संदर्भ में व्यापक सर्वसम्मति है।

विद्वान ए. एस. जी. द्वारा बनाया गया। सुझावों के संदर्भ में, अपराधों को वर्गीकृत किया गया है और दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग की गई है

अदालतों के विवेक को बाधित किए बिना जमानत देने के लिए

संबंधित और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

हम दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और उन्हें इसका हिस्सा बनाने के लिए इच्छुक हैं।

निम्नलिखित न्यायालयों के लाभ के लिए न्यायालय का आदेश। द.

दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अपराधों की श्रेणियाँ/प्रकार

क) बी एंड डी श्रेणी में नहीं आने वाले 7 साल या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराध। ख) मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध।

ग) एन. डी. पी. एस. (एस. 37), पी. एम. एल. ए. (एस. 45), यू. ए. पी. ए. (S.43D (5), कंपनी अधिनियम, 212 (6) आदि जैसे जमानत के लिए कड़े प्रावधानों वाले विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध।

(घ) विशेष अधिनियमों के दायरे में नहीं आने वाले आर्थिक अपराध।

शर्तों की आवश्यकता

1) जाँच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।

2) जब भी बुलाया जाता है, जांच अधिकारी के सामने पेश होने सहित जांच में पूरा सहयोग किया।

(आरोप-पत्र के साथ ऐसे आरोपी को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। (सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 615)

श्रेणी ए

आरोप पत्र/शिकायत दर्ज करने के बाद संज्ञान लेना।

क) पहली बार में साधारण समन/जिसमें वकील के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति शामिल है।

ख) यदि ऐसा अभियुक्त समन की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो शारीरिक उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

ग) जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उपस्थित होने में विफलता पर एनबीडब्ल्यू। घ) एन. बी. डब्ल्यू. को रद्द किया जा सकता है या अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना जमानती वारंट/समन में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि ऐसा आवेदन अभियुक्त की ओर से एन. बी. डब्ल्यू. के निष्पादन से पहले अभियुक्त की ओर से सुनवाई की अगली तारीख/तिथियों पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने के वचन पर किया जाता है।

ङ) उपस्थित होने पर ऐसे अभियुक्त के जमानत आवेदनों पर अभियुक्त को शारीरिक हिरासत में लिए जाने या जमानत आवेदन पर निर्णय होने तक अंतरिम जमानत देकर निर्णय लिया जा सकता है।

प्रक्रिया के अनुसार अदालत में आरोपी की उपस्थिति पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए जमानत याचिका जारी की गई।

श्रेणी सी

यू. ए. पी. ए., पॉस्को आदि के एन. डी. पी. एस. धारा 37,45 पी. एम. एल. ए., 212 (6) कंपनी अधिनियम 43 डी (5) के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ श्रेणी बी और डी के समान।

कहने की जरूरत नहीं है कि श्रेणी ए पुलिस मामलों और शिकायत मामलों दोनों से संबंधित है।

निचली अदालतें और उच्च न्यायालय जमानत आवेदनों पर विचार करते समय उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेंगे। विद्वान ए. एस. जी. द्वारा जो चेतावनी दी गई है, वह यह है कि जहां अभियुक्तों ने जांच में सहयोग नहीं किया है और न ही उनके सामने पेश हुए हैं।

विद्वान ए. एस. जी. के सुझाव जिन्हें हमने अपनाया है, उन्होंने अपराधों के एक अलग समूह को "आर्थिक अपराध" के रूप में वर्गीकृत किया है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आता है। इस संबंध में, श्री लूथरा के निवेदन पर यह कहना पर्याप्त है कि यह न्यायालय संजय चंद्र बनाम संजय चंद्र बनाम संजय चंद्र बनाम

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

लेकिन साथ ही, द्वारा लगाई गई सजा की गंभीरता

कानून भी एक कारक होगा। हम विद्वान सलाहकारों द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं और

विद्वान ए. एस. जी. द्वारा अपनाया गया सकारात्मक दृष्टिकोण।

एसएलपी का निपटारा कर दिया गया है और मामले को आगे सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

इस आदेश की एक प्रति विभिन्न उच्च न्यायालयों के पंजीयकों को वितरित की जाए ताकि आगे परीक्षण न्यायालयों को वितरित किया जा सके ताकि

अनावश्यक जमानत के मामले इस न्यायालय में नहीं आते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए हमने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन वे अदालतों की शक्तियों से बंधे नहीं हैं।

2. दो और आवेदन, एम. ए. नं. 1849/2021 और एम. ए. No.29164/2021, ओ. आर. आई. 'सी' का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए दायर किए गए थे, जिसमें अनजाने में, आई लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 45 को रद्द किए जाने के बावजूद, एक जगह मिली,

16.12.2021 दिनांकित आदेश आयाः

" पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि वे कुछ ठीक ट्यूनिंग पर काम करने का प्रयास करेंगे जो देने के लिए आवश्यक है

जिसका अर्थ हमारे दिनांकित 07.10.2021 आदेश के इरादे से है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारा इरादा जमानत की प्रक्रिया को आसान बनाना था।

इस स्तर पर, हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि श्रेणी 'सी' का उल्लेख करते समय, अनजाने में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 का उल्लेख किया गया है जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विद्वान ए. एस. जी. का कहना है कि एक संशोधन किया गया था और इसे एक अलग पीठ के समक्ष इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है। यह एक ऐसा मामला होगा जिस पर उस पीठ को विचार करना होगा। हम यह भी सावधान कर रहे हैं कि केवल कुछ अपराधों को आर्थिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत करके जो संज्ञेय नहीं हो सकते हैं, यह

इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे आदेश को एक अलग अर्थ दिया जाना है।

हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि जांच के दौरान, आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है, केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, तो गिरफ्तारी [2022] 10 एस. सी. आर. की वास्तविक वजह नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता, आपराधिक अपील No.838/2021 सिद्धार्थ बनाम में हमारे द्वारा सामान्य रूप से स्पष्ट किया गया एक पहलू। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. दिनांकित

16.08.2021 . "

3. कुछ और आवेदन दायर किए गए हैं जो निश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

जमानत के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य पहलुओं से निपटने के लिए इस न्यायालय को प्रभावित करते हुए निर्देश/स्पष्टीकरण। हमने श्री अमित देसाई को सुना है,

विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील, और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू।

4. यह पता चलने पर कि विभिन्न अपराधों, विशेष रूप से जमानत आवेदनों की अस्वीकृति से संबंधित विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जा रही हैं इस न्यायालय के समक्ष, समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद, हम इस अभ्यास को करना उचित समझते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि निर्देशों के साथ हमारी सारी चर्चा दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करने के लिए है, क्योंकि जमानत आवेदन से संबंधित प्रत्येक मामले का निर्णय स्पष्ट रूप से अपने गुण-दोष पर किया जाना है।

बचाव की स्थिति

5. भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की भरमार है। हमारे सामने रखे गए आँकड़े इंगित करते हैं कि कैदियों के दो तिहाई से अधिक

जेलों में विचाराधीन कैदी होते हैं। कैदियों की इस श्रेणी में, अधिकांश को सात साल या उससे कम के लिए दंडनीय अपराधों के आरोप में एक संज्ञेय अपराध के पंजीकरण के बावजूद गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वे न केवल गरीब और अनपढ़ हैं, बल्कि इसमें शामिल होंगे। महिलाएँ। इस प्रकार, अपराध की संस्कृति उनमें से कई लोगों को विरासत में मिली है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा, यह निश्चित रूप से जांच एजेंसी की ओर से औपनिवेशिक भारत की मानसिकता को दर्शाता है, इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता में कटौती होती है, और इस प्रकार इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में यह धारणा कभी नहीं हो सकती कि यह एक पुलिस राज्य है क्योंकि दोनों वैचारिक रूप से एक-दूसरे के विपरीत हैं।

परीक्षण की परिभाषा

6. 'परीक्षण' शब्द संहिता के तहत समझाया और परिभाषित नहीं किया गया है। के उद्देश्य से इस शब्द का एक विस्तारित अर्थ दिया जाना चाहिए

जाँचक चरण आ ओकर बाद सम्मिलित करबाक लेल जमानतक विस्तार। इन दोनों चरणों के बीच प्राथमिक विचार स्पष्ट रूप से भिन्न होंगे। पहले चरण में, गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत को पूरी तरह से जांच के लिए वारंट किया जा सकता है, जबकि बाद में जो काफी मायने रखता है वह मुकदमे के रूप में अदालत के समक्ष कार्यवाही है।

यदि सैटेन्डर कुमार एंटील वी। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

हम उपरोक्त अंतर को ध्यान में रखते हैं, इसका परिणाम तब निकाला जाना चाहिए जब विस्तार की दिशा में अधिक अनुकूल विचार किया जाए।

बेशक, अन्य कारकों के साथ-साथ जाँच पूरी हो जाती है।

7. इसी तरह, एक अपील या संशोधन को भी इस रूप में माना जाएगा -

विचारण का पहलू जब निलंबन पर जमानत पर विचार करने की बात आती है

वाक्य।

बेल की परिभाषा

8. "जमानत" शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि

अक्सर उपयोग किया जाता है। जमानत कुछ और नहीं बल्कि एक निजी मुचलका है। अभियुक्त से बांड। इसका अर्थ है न्यायालय के आदेश से या पुलिस द्वारा या जाँच एजेंसी द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति की रिहाई।

9. यह एक संदिग्ध पर लगाए गए पूर्व-परीक्षण प्रतिबंधों का एक समूह है जबकि

न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सक्षम बनाना। इस प्रकार, यह संदिग्ध द्वारा गंभीर वचन पर एक सशर्त रिहाई है कि वह जांच और मुकदमे दोनों में सहयोग करेगा। "जमानत" शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9 वें संस्करण में परिभाषित किया गया है। , pg. 160 के रूप में: -

एक कैदी की रिहाई के लिए अदालत जिसे अदालत में पेश होना चाहिए भविष्य का समय "।

10. व्हार्टन लॉ लेक्सिकन, 14 वीं संस्करण। , pg. 105 जमानत को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

-

" गिरफ्तार या कैद किए गए व्यक्ति को सुरक्षा के आधार पर रिहा करने के लिए एक दिन और एक निश्चित स्थान पर उनकी उपस्थिति के लिए लिया गया, जो

प्रतिभूति को जमानत कहा जाता है, क्योंकि पार्टी को गिरफ्तार या कैद किया जाता है

उन लोगों के हाथों में दिया जाता है जो खुद को बांधते हैं या बन जाते हैं

आवश्यकता पड़ने पर उसकी उचित उपस्थिति के लिए जमानत, ताकि वह

उसका पलायन, आदि, उसे मुक्त करने की कानूनी शक्ति। बेल नियम है

11. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है

इस न्यायालय के दोहराए गए निर्णयों के माध्यम से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त की गई। यह फिर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर है। निकेश ताराचंद शाह बनाम में यह अदालत। भारत संघ, (2018) 11 एस. सी. सी. 1 ने अभिनिर्धारित किया किः

" 19. गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम। पंजाब राज्य [गुरबख्श सिंह]

सिबिया बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565: 1980 एससीसी (सीआरआई)

55] , जमानत देने का उद्देश्य बहुत खुशी के साथ निर्धारित किया गया है

नीचेः (एससीसी पीपी। 586-88 , पैरा 27-30)

" 27. उन निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जो इससे संबंधित हैं।

नागेंद्र नाथ चक्रवर्ती में कलकत्ता का न्यायालय, पुनः [नागेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पुनः, 1923 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल

318 : ए. आई. आर. 1924 कैल 476: 1924 Cri LJ 732], AIR pp। 479-80 कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, कि इस प्रश्न के समाधान में उचित परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या जमानत दी जानी चाहिए या अस्वीकार की जानी चाहिए क्या यह संभव है कि पक्षकार अपना मुकदमा चलाते हुए दिखाई देगा और यह निर्विवाद है कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना है। दो अन्य मामलों में, जो उल्लेखनीय रूप से "मेरठ षड्यंत्र मामले" हैं, जमानत के अधिकार के संबंध में टिप्पणियां पाई जाती हैं जो विशेष उल्लेख के योग्य हैं। के. एन. जोगलेकर बनाम सम्राट [के. एन. जोगलेकर बनाम। सम्राट, 1931 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 60: ए. आई. आर. 1931 सभी 504: 1932 सी. आर. आई. एल. जे. 94] संहिता की धारा 498, जो संहिता की वर्तमान धारा 439 से मेल खाती है, के बारे में विचार करते हुए यह पाया गया कि इसने सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय को यह अधिकार देने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं।

जमानत जो प्रतिबंधों से विकलांग नहीं थी

धारा 497 जो वर्तमान से मेल खाती है

धारा 437। न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं था और इसे नियंत्रित करने वाला कोई कठोर सिद्धांत नहीं था।

धारा 498 द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग और यह कि एकमात्र सिद्धांत जो स्थापित किया गया था वह था -

विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। सम्राट वी. एच. एल. हचिंसन [सम्राट बनाम। एच. एल. हचिंसन, 1931 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 14: ए. आई. आर. 1931 ऑल 356: 1931 Cri LJ 1271], AIR p. 358 यह

यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय को बाध्य करने वाले किसी भी विशेष नियम को निर्धारित करने का प्रयास करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधायिका ने स्वयं न्यायालय के विवेक को निरंकुश छोड़ दिया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मामलों की विविधता को सुरक्षित रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और वर्गीकृत करने का प्रयास करना खतरनाक है

मामले और यह कहना कि विशेष वर्गों में जमानत दी जा सकती है लेकिन अन्य वर्गों में नहीं। यह देखा गया कि टेंडर कुमार एंटील वी।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उसे अपनी बेगुनाही स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता है। 28. घर के करीब आते ही, यह कृष्ण अय्यर, जे., द्वारा देखा गया था।

गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम। राज्य [गुडीकांती नरसिम्हुलु

वी. राज्य (1978) 1 एस. सी. सी. 240: 1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 115] किः (एस. सी. सी पी. 242, पैरा 1)

' 1. ..... [जमानत का] मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, जनता का है।

सार्वजनिक खजाने की सुरक्षा और बोझ, जिनमें से सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ..... आखिरकार, एक अभियुक्त या दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक है, जो केवल "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के संदर्भ में वैध ग्रहण का सामना करती है। अनुच्छेद 21 के अंतिम चार शब्द उस मानव का जीवन हैं।

सही है। '

) . गुरचरण सिंह बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली) [गुरचरण संघ बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली), (1978) 1 एस. सी. सी. 118: 1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.)] यह गोस्वामी, जे. द्वारा देखा गया था, जिन्होंने न्यायालय की ओर से बात की थी,यहाँः (एस. सी. सी पी. 129, पैरा 29)

'29 . ..... जमानत देने के मामले में कोई अटूट फार्मूला नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमति देने या देने में न्यायिक विवेक के प्रयोग को नियंत्रित करेंगी।

जमानत रद्द करना "।

30. अमेरिकी जुरीस्प्रूडेंस में (दूसरा, खंड। 8 , पी। 806 ,

पैरा 39) में कहा गया हैः ' जहाँ जमानत देना न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर होता है, वहाँ देना या अस्वीकार करना, काफी हद तक, प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा विनियमित किया जाता है। चूँकि अभियुक्त के निरोध या कारावास का उद्देश्य उसकी उपस्थिति और अधिकार क्षेत्र में समर्पण सुनिश्चित करना है और

न्यायालय का निर्णय, प्राथमिक जांच यह है कि क्या

मान्यता या बंधन उस अंत को प्रभावित करेगा। '[2022] 10 एस. सी. आर.

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सवाल यह है कि जमानत दी जाए या नहीं।

इसका उत्तर विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है,

किसी भी एक परिस्थिति को सार्वभौमिक नहीं माना जा सकता है। वैधता या अनिवार्य रूप से जमानत देने या अस्वीकार करने को उचित ठहराने के रूप में।

XXX

XXX

XXX

भारत के नागरिक और अन्य व्यक्ति। यह एकमात्र लेख है मौलिक अधिकार अध्याय (अनुच्छेद 20 के साथ) जो नहीं कर सकता

आपातकाल में भी निलंबित किया जाए [अनुच्छेद 359 (1) देखें

संविधान]। वर्तमान में, अनुच्छेद 21 एक विशाल कानून का भंडार है।

मेनका के बाद मूल और प्रक्रियात्मक अधिकारों की संख्या

गांधी बनाम. भारत संघ [मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, (1978) 1 एससीसी 248] "।

12. आगे यह न्यायालय संजय चंद्र बनाम में है। सीबीआई (2012) 1 एससीसी

जैसा कि देखा गया हैः

" 21. जमानत आवेदनों में, आम तौर पर, यह से निर्धारित किया गया है सबसे पहले कि जमानत का उद्देश्य उपस्थिति को सुरक्षित करना है

अभियुक्त व्यक्ति अपने मुकदमे में जमानत की उचित राशि से। द.

जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। का अभाव

स्वतंत्रता को एक सजा माना जाना चाहिए, जब तक कि इसकी आवश्यकता न हो

यह सुनिश्चित करें कि कोई अभियुक्त व्यक्ति बुलाए जाने पर अपने मुकदमे का सामना करेगा।

पर। अदालतों को इस सिद्धांत का मौखिक से अधिक सम्मान करना चाहिए

कि सजा दोषसिद्धि के बाद शुरू होती है, और यह कि हर आदमी

जब तक उचित रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाता और विधिवत रूप से दोषी नहीं पाया जाता, तब तक निर्दोष माना जाता है।

22. शुरुआती समय से, यह सराहना की जाती थी कि हिरासत में

मुकदमा पूरा होने तक हिरासत एक बड़ा कारण हो सकता है

कठिनाई। समय-समय पर आवश्यकता यह माँग करती है कि कुछ

मुकदमे में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें लेकिन ऐसे मामलों में, "आवश्यकता" यह ऑपरेटिव टेस्ट है। इस देश में, यह बिल्कुल विपरीत होगा

संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा कि

किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले के संबंध में दंडित किया जाना चाहिए,

जिसे, उसे दोषी नहीं ठहराया गया है या कि किसी भी परिस्थिति में, वह

केवल इस विश्वास पर अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाना चाहिए कि वह कुमार को शांत कर देगा।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अगर गवाहों को रिहा कर दिया जाता है तो उनके साथ छेड़छाड़ करें, ज्यादा से ज्यादा बचाएँ

असाधारण परिस्थितियाँ।

23. रोकथाम के सवाल को जमानत से इनकार करने के उद्देश्य के अलावा, किसी को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि दोषसिद्धि से पहले किसी भी कारावास में पर्याप्त दंडात्मक सामग्री होती है और किसी भी अदालत के लिए पूर्व आचरण की अस्वीकृति के निशान के रूप में जमानत से इनकार करना अनुचित होगा चाहे आरोपी को इसके लिए दोषी ठहराया गया हो या नहीं या इस उद्देश्य के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करना अनुचित होगा।

उसे सबक के रूप में कारावास का स्वाद देने का। असंवेदनशीलता का प्रसार

13. अपराध के आरोपी व्यक्ति की निर्दोषता को एक कानूनी कल्पना के माध्यम से माना जाता है, जिससे अदालत के समक्ष अपराध साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर डाल दी जाती है। इस प्रकार, यह उस एजेंसी के लिए है कि वह अदालत को संतुष्ट करे कि की गई गिरफ्तारी वारंट थी और जमानत पर विस्तार से इनकार किया जाना चाहिए। 14. निर्दोषता की धारणा को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 का अनुच्छेद 14 (2) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 11 निर्दोषता की धारणा को कानून के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है, जब तक कि व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता।

15. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में, एक प्रथम दृष्टया अधिकार

अपराध की गंभीरता के आधार पर उचित जमानत को मान्यता दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जमानत के लिए नकद जमा करना एक आम प्रथा है। यूनाइटेड किंगडम में, जमानत में प्रतिबंधों का एक समूह शामिल होने की अधिक संभावना है। 16. कोरी ली जेम्स मायर्स बनाम में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। महामहिम महारानी, 2019 एस. सी. सी. 18 ने अभिनिर्धारित किया है कि जमानत पर स्वीकार्य कानूनी मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह न्यायालय को जमानत पर विस्तार पर विचार करने के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करता है, जिसमें अनुचित देरी एक आधार है। महामहिम रानी बनाम। केविन एंटिक और ओआरएस। , 2017 एससीसी 27:

" न्यायसंगत कारण के बिना उचित जमानत से वंचित नहीं होने का अधिकार एक प्रबुद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य तत्व है। यह पूर्व में निर्दोषता की धारणा के प्रभाव को बढ़ाता है

आपराधिक विचारण प्रक्रिया का परीक्षण चरण और अभियुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस अधिकार के दो पहलू हैं: एक व्यक्ति ने आरोप लगाया

अपराध के साथ न्यायसंगत कारण और उचित जमानत के अधिकार के बिना जमानत से इनकार नहीं करने का अधिकार है। पहले पहलू के तहत, एक [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रावधान "न्यायसंगत कारण" के बिना जमानत से इनकार नहीं कर सकता है, जमानत से इनकार करने का न्यायसंगत कारण केवल तभी है जब इनकार एक संकीर्ण समूह में होता है

परिस्थितियाँ, और इनकार उचित को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है

जमानत प्रणाली का कार्यकरण और उस प्रणाली के बाहर किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा पहलू, अधिकार

उचित जमानत, जमानत की शर्तों से संबंधित है, जिसमें किसी भी मौद्रिक घटक की मात्रा और रिहाई की अवधि के लिए आरोपी पर लगाए गए अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। यह अभियुक्त व्यक्तियों की रक्षा करता है।

रिलीज की स्थितियों और रूपों से जो अनुचित हैं।

जबकि जमानत की सुनवाई एक त्वरित प्रक्रिया है, जमानत के प्रावधान संघीय कानून हैं और सभी प्रांतों और क्षेत्रों में लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू किए जाने चाहिए। कनाडाई जमानत कानून के एक केंद्रीय भाग में सीढ़ी सिद्धांत और रिहाई के अधिकृत रूप शामिल हैं, जो एस में पाए जाते हैं। 515 (1) दंड संहिता के (3) तक। अपवादों के लिए बचत करें, एक उपक्रम पर बिना शर्त रिहाई

रिलीज देते समय डिफ़ॉल्ट स्थिति है। रिलीज के वैकल्पिक रूपों को सीढ़ी सिद्धांत के अनुसार लागू किया जाना है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए: जल्द से जल्द उचित अवसर पर और कम से कम कठिन आधारों पर रिहाई का पक्ष लिया जाता है। यदि क्राउन रिलीज के एक वैकल्पिक रूप का प्रस्ताव करता है, तो उसे यह दिखाना होगा कि रिलीज के अधिक प्रतिबंधात्मक रूप को लागू करने के लिए यह फॉर्म क्यों आवश्यक है। सीढ़ी के प्रत्येक पायदान पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए और रिलीज के अधिक प्रतिबंधात्मक रूप में जाने से पहले इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। जहाँ पक्ष रिहाई के रूप पर असहमत होते हैं, वहाँ एक न्यायाधीश के लिए कम कठिन रूपों को अस्वीकार करने के निर्णय को उचित ठहराए बिना अधिक प्रतिबंधात्मक रूप का आदेश देना कानून की त्रुटि है। ए.

प्रतिभूतियों के साथ मान्यता जारी करने के सबसे कठिन रूपों में से एक है, और इसे तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सभी कम कठिन रूपों को अनुचित नहीं माना और अस्वीकार नहीं किया गया हो। यह है। अभियुक्त व्यक्तियों पर नकद जमानत अधिरोपित करना आवश्यक नहीं है यदि उनके या उनके प्रतिभू के पास उचित रूप से वसूली योग्य संपत्ति है और वे उन संपत्तियों को अदालत की संतुष्टि के लिए गिरवी रखने में सक्षम हैं। एक मान्यता कार्यात्मक रूप से नकद जमानत के बराबर होती है और इसका समान जबरदस्ती प्रभाव होता है। नकद जमानत पर केवल अपवादात्मक मामलों में ही भरोसा किया जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें प्रतिभू के साथ मान्यता पर रिहाई अनुपलब्ध है। जब नकद जमानत का आदेश दिया जाता है, तो राशि को इतना अधिक निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि यह प्रभावी रूप से एक निरोध आदेश के बराबर हो, जिसका अर्थ है कि राशि उस चिंता को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं होनी चाहिए जो अन्यथा निरोध की आवश्यकता होगी और सैटेन्डर कुमार एंटील v.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अभियुक्त के साधनों और परिस्थितियों के अनुपात में

मामले से। न्यायाधीश जांच करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व के तहत है

अभियुक्त की भुगतान करने की क्षमता। रिलीज की शर्तें

एस के तहत। 515 (4) केवल इस हद तक थोपा जाना चाहिए कि वे हैं

वैधानिक मानदंडों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक

हिरासत में लेना और यह सुनिश्चित करना कि आरोपी को रिहा किया जाए। उन्हें ऐसा करना चाहिए।

अभियुक्त व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए थोपा नहीं जाएगा या

अभियुक्त व्यक्ति को दंडित करें। जहाँ जमानत की समीक्षा का अनुरोध किया जाता है, वहाँ अदालतें

आर. वी. में निर्धारित जमानत समीक्षा प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सेंट क्लाउड, 2015 एस. सी. सी. 27 [2015] 2 एस. सी. आर. 328। "

17. हम केवल यह कह सकते हैं कि विशेष प्रावधानों के बावजूद

दुनिया के कई देशों में-के लिए विचार को नियंत्रित करना

जमानत पर विस्तार, अदालतों ने हमेशा निर्दोषता के अनुमान के स्वीकृत सिद्धांत पर उनकी व्याख्या की है और अभियुक्त के पक्ष में माना है।

18. भारत की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यह इस न्यायालय सहित न्यायालयों का सुसंगत रुख रहा है कि निर्दोषता का अनुमान,

अनुच्छेद 21 का एक पहलू होने के कारण, अभियुक्त को लाभ होगा। परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष पर अदालत में आरोप साबित करने का बोझ डाला जाता है। साक्ष्य के महत्व का मूल्यांकन उचित संदेह से परे के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए।

आपराधिक संहिता के प्रावधान

प्रक्रिया

" एक अनियंत्रित शक्ति स्वतंत्रता की स्वाभाविक दुश्मन है।

-'लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट' में हेरोल्ड लास्की

19. दंड प्रक्रिया संहिता, एक प्रक्रियात्मक होने के बावजूद

कानून, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत निहित अलंघनीय अधिकार पर अधिनियमित किया गया है। शासन करने वाले प्रावधानों ने संसद के उपरोक्त इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

20. यद्यपि 'जमानत' शब्द को उपरोक्त रूप में परिभाषित नहीं किया गया है,

धारा 2 ए जमानती और गैर-जमानती अपराध को परिभाषित करती है। गैर-जमानती अपराध एक संज्ञेय अपराध है जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए, संहिता प्रतिबंधों के माध्यम से कुछ प्रतिबंध लगाती है।

संहिता की धारा 41,41 ए और 60 ए

पाँचवाँ अध्याय

. जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। - (1) कोई भी पुलिस

न्यायपाल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी आदेश के हो सकता है।

वारंट, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें

(a) जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, a

संज्ञेय अपराध;

विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है

कम अवधि के लिए कारावास से दंडनीय सात वर्ष से अधिक या जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है या नहीं

जुर्माने के साथ या उसके बिना, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं,

अर्थात्:

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, जानकारी या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति

उक्त अपराध किया है;

((ii) पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी

आवश्यक

ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करने से रोकने के लिए

(अ)

अतिरिक्त अपराध; या अपराध की उचित जांच के लिए; या

(ख)

ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य देने से रोकने के लिए

((ग)

किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ गायब होने या छेड़छाड़ करने के अपराध का; या

((घ)

ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा

मामले के तथ्यों से परिचित होना ताकि उसे ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके

न्यायालय या पुलिस अधिकारी को; या जैसे कि जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसकी उपस्थिति

(ई)

जब भी आवश्यकता हो अदालत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, और पुलिस अधिकारी निर्माण करते समय रिकॉर्ड करेगा।

ऐसी गिरफ्तारी, लिखित रूप में उनके कारणः

बशर्ते कि एक पुलिस अधिकारी, सभी मामलों में

जहाँ इस उप-धारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करें।

(ख) जिनके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी दी गई है।

प्राप्त किया कि उसने एक संज्ञेय कार्य किया है

सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध

चाहे जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के या मृत्यु के साथ

सजा और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

((ग)

जिसे अपराधी घोषित किया गया है इस संहिता के तहत या राज्य के आदेश से

सरकार; या

((घ)

जिसके कब्जे में कुछ भी पाया जाता है जो हो सकता है

उचित रूप से चोरी की संपत्ति होने का संदेह है और

जिन पर उचित रूप से संदेह हो सकता है इस तरह के संबंध में एक अपराध किया

चीज़; या जो एक पुलिस अधिकारी को बाधित करता है

(ई)

अपने कर्तव्य का निष्पादन, या जो कानूनी अभिरक्षा से भाग गया है, या भागने का प्रयास करता है; या

(च)

जिस पर पलायन करने वाला होने का उचित संदेह है

संघ के किसी भी सशस्त्र बल से; या

जो संबंधित रहा है, या जिसके खिलाफ

(जी)

उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की गई है, या एक उचित संदेह मौजूद है, कि वह भारत से बाहर किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी कार्य में शामिल रहा है, जो यदि भारत में किया जाता, तो दंडनीय होता।

एक अपराध के रूप में, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी कानून के तहत, या अन्यथा, भारत में हिरासत में पकड़े जाने या हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी है; या जो रिहा किए गए दोषी होने के नाते उल्लंघन करता है

(ज)

धारा की उप-धारा (5) के तहत बनाए गए किसी भी नियम का

356 ; या

((i)

जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोई मांग, चाहे वह लिखित हो

या मौखिक, किसी अन्य पुलिस [2022] 10 एस. सी. आर. से प्राप्त हुआ है।

अधिकारी, बशर्ते कि मांग निर्दिष्ट करती है

गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति और अपराध या अन्य

बिना वारंट के उस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाए जो माँग जारी की।

(2) धारा 42 के प्रावधानों के अधीन, किसी गैर-संज्ञेय अपराध में संबंधित व्यक्ति या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके इस तरह से संबंधित होने का उचित संदेह मौजूद है, उसे मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

41 ए. पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होने की सूचना। — (1) [पुलिस अधिकारी], उन सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करें जिसके खिलाफ एक उचित

शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है। (2) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वहाँ उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना की शर्तों का पालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और उसका पालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। (4) जहाँ ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, सूचना की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस संबंध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, उसे उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।

नोटिस में।

XXX

XXX

XXX

60 ए. संहिता के अनुसार सख्ती से गिरफ्तारी की जाए। — गिरफ्तारी के लिए इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

21. संहिता के अध्याय 5 के तहत धारा 41 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। संज्ञेय अपराध के लिए भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है जैसा कि इस प्रावधान के अधिदेश से देखा जा सकता है। यदि अधिकारी संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, तो वह दंडनीय है -

एक अवधि के लिए कारावास जो सात वर्ष से कम हो सकता है, या जो जुर्माने के साथ या उसके बिना उक्त अवधि तक बढ़ सकता है, गिरफ्तारी केवल तभी हो सकती है जब वह संतुष्ट हो कि विश्वास करने या संदेह करने का कोई कारण है। कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है, और गिरफ्तारी की आवश्यकता है। इस तरह की आवश्यकता किसी भी आगे के अपराध को रोकने के लिए, एक उचित जांच के लिए, और उसे गायब होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए तैयार की जाती है। उसे तथ्यों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि उसे ऐसा करने से रोका जा सके।

अदालत या पुलिस अधिकारी को उक्त तथ्यों का खुलासा करना। एक और आधार जिस पर गिरफ्तारी आवश्यक हो सकती है, वह है जब गिरफ्तारी के बाद अदालत के समक्ष पेश करने के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है और इसका आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

22. यह प्रावधान पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए अनिवार्य करता है। इस प्रकार, एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसी तरह, पुलिस अधिकारी उन कारणों को दर्ज करेगा जब वह गिरफ्तारी नहीं करने का विकल्प चुनता है। उपरोक्त प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है जब अन्य कारणों के साथ-साथ कथित अपराध सात साल से अधिक का हो।

23. धारा 41 के गैर-अनुपालन का परिणाम निश्चित रूप से अपराध के संदिग्ध व्यक्ति के लाभ में होगा।

नतीजतन, जमानत पर विस्तार के आवेदन पर विचार करते समय, अदालतों को इस प्रावधान के उचित अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर-अनुपालन अभियुक्त को जमानत देने का हकदार बनाएगा।

24. धारा 41 ए पहले पेश होने की प्रक्रिया से संबंधित है।

वह पुलिस अधिकारी जिसके लिए उस व्यक्ति को नोटिस जारी करना आवश्यक है जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, और धारा 41 (1) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। धारा 41 बी अधिकारी की ओर से अनिवार्य कर्तव्य के साथ गिरफ्तारी की प्रक्रिया से संबंधित है।

25. धारा 41 और 41 ए के दायरे और उद्देश्य पर, यह स्पष्ट है

कि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलू हैं।

सी. आर. की आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और आगे, अर्नेश में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में

वी. बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273:

" 7.1 . उपरोक्त प्रावधान के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि

कि दंडनीय अपराध का अभियुक्त व्यक्ति

सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास

या जो जुर्माने के साथ या उसके बिना सात साल तक बढ़ सकता है, उसे पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने उपरोक्त दंडनीय अपराध किया था। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले एक पुलिस अधिकारी को और संतुष्ट होना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है।

आगे कोई अपराध करने से; या मामले की उचित जांच के लिए; या अभियुक्त को अपराध के साक्ष्य को गायब करने से रोकने के लिए; या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक जब भी आवश्यकता हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ये निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।

7.2 . कानून पुलिस अधिकारी को तथ्यों को बताने के लिए बाध्य करता है और

उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करें जिनके कारण वह ऐसी गिरफ्तारी करते समय, उपरोक्त किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आने वाला निष्कर्ष। कानून में आगे पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है।

7.3 . गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, गिरफ्तारी क्यों? क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यह किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा? यह केवल

ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी और सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार एक आरोपी के पास है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के तहत संस्थागत अधिकार डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 को बिना टेंडर कुमार के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

आवश्यक देरी और किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं

यात्रा के लिए आवश्यक समय को कम करनाः

8.1 . एक मामले की जांच के दौरान, एक आरोपी को 24 घंटे की अवधि से परे हिरासत में तभी रखा जा सकता है जब वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हो। निरोध को अधिकृत करने की शक्ति एक बहुत ही गंभीर कार्य है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और इसे बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि इसका उपयोग उस गंभीरता के साथ नहीं किया जाता है जिसकी वह हकदार है। कई मामलों में, हिरासत को अधिकृत किया जाता है

नियमित, अनौपचारिक और घुड़सवार तरीके से।

8.2 . मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 167 सी. आर. पी. सी. के तहत हिरासत को अधिकृत करने से पहले, उसे पहले संतुष्ट होना होगा कि की गई गिरफ्तारी कानूनी है और कानून के अनुसार है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार संतुष्ट हैं। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी संहिता की धारा 41 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह उसे अधिकृत न करे।

इसके बाद वह किसी आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार देगा। 8.3 . निरोध को अधिकृत करने से पहले मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि को संक्षिप्त में दर्ज करेगा, लेकिन उक्त संतुष्टि को उसके आदेश से प्रतिबिंबित होना चाहिए। यह कभी भी पुलिस अधिकारी के स्पष्ट निर्देश पर आधारित नहीं होगा, उदाहरण के लिए, यदि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने या मामले की उचित जांच करने या किसी आरोपी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या प्रलोभन देने से रोकने के लिए गिरफ्तारी को आवश्यक समझता है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को तथ्य, कारण और सामग्री प्रदान करेगा।

जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी अपने

निष्कर्ष। मजिस्ट्रेट द्वारा उन पर विचार किया जाएगा, जबकि निरोध को प्राधिकृत करना और लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही कि मजिस्ट्रेट हिरासत को प्राधिकृत करेगा

अभियुक्त।

8.4 . जुर्माने में, जब किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत को अधिकृत करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को इस सवाल का जवाब दें कि क्या विशिष्ट कारण हैं

गिरफ्तारी के लिए अभिलिखित और यदि ऐसा है, तो प्रथम दृष्टया वे कारण प्रासंगिक हैं, और दूसरा, एक उचित निष्कर्ष यह हो सकता है -

पुलिस अधिकारी द्वारा पहुँचा गया कि ऊपर बताई गई एक या दूसरी शर्तें आकर्षित होती हैं। इस सीमित सीमा तक मजिस्ट्रेट

न्यायिक जांच कराएंगे।

9. ..... उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि उन सभी मामलों में जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस अधिकारी को आरोपी को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उसके सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करना आवश्यक है। कानून ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह आगे

यह आदेश देता है कि यदि ऐसा अभियुक्त नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं, पुलिस अधिकारी की राय है कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, धारा 41 सी. आर. पी. सी. के तहत परिकल्पित गिरफ्तारी की पूर्व शर्त का पालन किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट द्वारा उसी जांच के अधीन होना चाहिए जैसा कि ऊपर कहा गया है।

10. हमारी राय है कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रावधान, जो पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत करते हैं, ईमानदारी से लागू होते हैं।

पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में की गई गलती को वापस लिया जाएगा और अग्रिम जमानत देने के लिए अदालत में आने वाले मामलों की संख्या में काफी कमी आएगी। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि

गिरफ्तारी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में निहित सभी या अधिकांश कारणों को केस डायरी में यंत्रवत रूप से पुनः प्रस्तुत करने को हतोत्साहित किया जाए और बंद कर दिया जाए। 11. इस फैसले में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपी को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत न करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने ऊपर क्या देखा है, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

11.1 . सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वतः गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दें, बल्कि ऊपर दिए गए मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का निर्देश दें।

धारा 41 सी. आर. पी. सी.; अटेंडर कुमार एंटिल v. केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

11.2 . सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1) (बी) (ii) के तहत निर्दिष्ट उपखंडों वाली एक जाँच सूची प्रदान की जाए। 11.3 . पुलिस अधिकारी विधिवत भरी गई जाँच सूची को अग्रेषित करेगा और उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता थी।

आगे की नजरबंदी के लिए मजिस्ट्रेट;

11.4 . मजिस्ट्रेट अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को उपरोक्त संदर्भों में देखेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट निरोध को प्राधिकृत करेगा।

11.5 . किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को एक प्रति के साथ भेजा जाए जो हो सकता है -

के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तारित

11.6 . धारा 41-ए सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में हाजिर होने की सूचना अभियुक्त को तारीख से दो सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। मामले की स्थापना, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा कारणों से बढ़ाया जा सकता है

लिखित रूप में दर्ज;

11.7 . उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता अलग होगी।

संबंधित पुलिस अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने से विभागीय कार्रवाई, वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए भी दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

11.8 . कारणों को दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करना

संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त उचित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

2. हम जल्दबाजी में यह जोड़ना चाहते हैं कि उपरोक्त निर्देश न केवल आई. पी. सी. की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आने वाले मामलों पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामलों पर भी लागू होंगे जहां अपराध के लिए सात साल से अधिक या सात साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।

जुर्माने के साथ या बिना "।

26. हम केवल यह दोहराते हैं कि उपरोक्त निर्देशों को जांच और अभियोजन [2022] 10 एस. सी. आर. द्वारा अक्षर और भावना के साथ संपादित किया जाना चाहिए।

और (ii) अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करना कि किसी पुलिस अधिकारी पर विश्वास करने के लिए एक कारण होने के बावजूद, गिरफ्तारी की आवश्यकता के लिए संतुष्टि भी मौजूद होगी। इस प्रकार, धारा 41 के उपखंड (1) (बी) (आई) को उपखंड (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए दोनों तर्क के तत्व हैं। 'और' गिरफ्तारी के लिए संतुष्टि 'अनिवार्य है और तदनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना है।

28. यह भी हमारे ध्यान में लाया जाता है कि धारा 41 ए के अनिवार्य अनुपालन के संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं।

कोड। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 7608 पर निर्णय लेते समय एक प्रयास किया गया था, जिसके बाद 2020 के अवमानना मामले (सी) संख्या 480 और 2020 के मुख्यमंत्री आवेदन संख्या 25054 में आदेश दिया गया था, जिसमें न केवल दिशानिर्देशों की आवश्यकता थी, बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैर-अनुपालन के प्रभाव पर भी चर्चा की गई थी। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक स्थायी आदेश पारित किया गया है। , 2020 का स्थायी आदेश संख्या 109, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा नोटिस या आदेश जारी करने की प्रक्रिया के रूप में दिशानिर्देशों का एक सेट प्रदान करता है। उपरोक्त कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7608 दिनांक 07.02.2018 में पारित आदेश के उचित अनुपालन में, इस न्यायालय ने 2021 की रिट याचिका (सीआरएल) 420 दिनांक 10.05.2021 में एक आदेश भी पारित किया है जिसमें बिहार राज्य को धारा 41 ए के अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए एक उचित संशोधन के उक्त पहलू पर गौर करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के Cr.M.P. संख्या 1291 दिनांक 16.06.2022 में भी इसी तर्ज पर एक हालिया निर्णय दिया गया है।

29. इस प्रकार हम सभी राज्यों को निर्देश देना उचित समझते हैं।

सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश धारा 41 ए के अधिदेश का पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्थायी आदेश यानी 2020 के स्थायी आदेश संख्या 109 पर ध्यान देते हुए स्थायी आदेशों की सुविधा प्रदान करें। हम महसूस करते हैं कि यह निश्चित रूप से न केवल अनुचित गिरफ्तारियों का ध्यान रखेगा, बल्कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष जमानत आवेदनों को भी रोकेगा क्योंकि सात साल तक के अपराधों के लिए भी उनकी आवश्यकता नहीं हो सकती है।

30. हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अदालतें धारा 41 और धारा 41 ए के उचित अनुपालन के बिना गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाएंगी।

हम आशा व्यक्त करते हैं कि जाँच एजेंसियाँ अर्नेश कुमार (सुप्रा) में निर्धारित कानून, बेगुनाही के अनुमान की कसौटी पर प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार और धारा 41 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखेंगी, क्योंकि गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। यदि ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो प्रक्रियात्मक अनुपालन होगा। हमारा विचार कोड की धारा 60 ए के तहत विशिष्ट प्रावधान की व्याख्या से भी परिलक्षित होता है, जो अधिकारी को वारंट करता है।

संहिता के अनुसार सख्ती से गिरफ्तारी करने के लिए संबंधित।

संहिता की धारा 87 और 88

" 87. के बदले में या इसके अतिरिक्त वारंट जारी करना,

समन। - एक न्यायालय, किसी भी मामले में जिसमें वह इस संहिता द्वारा किसी की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए सशक्त है। व्यक्ति, जारी करता है, लिखित रूप में अपने कारणों को दर्ज करने के बाद, एक वारंट

उसकी गिरफ्तारी के लिए

(क) यदि, या तो ऐसे समन जारी करने से पहले, या उसी के जारी होने के बाद, लेकिन उसके लिए निर्धारित समय से पहले

उपस्थित होते हुए, न्यायालय यह विश्वास करने का कारण देखता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा; या

(ख) यदि ऐसे समय पर वह उपस्थित होने में विफल रहता है और यह साबित होता है कि समन उसके अनुसार उपस्थित होने को स्वीकार करने के लिए समय पर विधिवत जारी किया गया था और कोई उचित नहीं है। इस तरह की विफलता के लिए बहाना दिया जाता है

88. रूप के लिए बंधन लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति

जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी भी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी को समन या वारंट जारी करने का अधिकार है, वह ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति से ऐसे न्यायालय में अपनी उपस्थिति के लिए, प्रतिभू के साथ या उसके बिना, एक बांड निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है।

न्यायालय, या कोई अन्य न्यायालय जिसमें मामला स्थानांतरित किया जा सकता है

मुक़दमे के लिए "।

31. जब अदालतें व्यक्ति की उपस्थिति की मांग करती हैं, तो या तो

मामले की प्रकृति और तथ्यों के आधार पर समन या वारंट जारी किया जाना है। धारा 87 अदालत को समन के बदले या उसके अतिरिक्त वारंट जारी करने का विवेकाधिकार देती है। उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कारणों को दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है। वारंट या तो जमानती या गैर-जमानती हो सकता है। संहिता की धारा 88 [2022] 10 एस. सी. आर.

न्यायालय को प्रतिभू के साथ या उसके बिना किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए बंधपत्र लेने का अधिकार देता है।

32. उपरोक्त दो प्रावधानों पर विचार करते हुए, अदालतों को पहले समन जारी करने की प्रक्रिया को अपनाना होगा, उसके बाद एक जमानती वारंट जारी किया जा सकता है, और फिर एक गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक है, जैसा कि इस अदालत ने इंदर मोहन गोस्वामी बनाम. उत्तरांचल राज्य, (2007) 12 एससीसी 1. उपरोक्त स्पष्ट उक्ति के बावजूद, हम देखते हैं कि गैर-जमानती वारंट निश्चित रूप से बिना उचित आवेदन के जारी किए जाते हैं ध्यान रखें और प्रावधान की अवधि के खिलाफ, जो केवल एक विवेकाधिकार की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उपयोग स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के पक्ष में किया जाना है जिसकी उपस्थिति की मांग की जाती है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित स्वतंत्रता के आलोक में। इसलिए, उक्त व्यक्ति के पक्ष में विवेक का प्रयोग नहीं करने के लिए वैध कारण दिए जाने चाहिए। यह न्यायालय इंदर मोहन गोस्वामी बनाम। उत्तरांचल राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 1 ने अभिनिर्धारित किया है किः

" 50. सभ्य देशों ने माना है कि स्वतंत्रता सभी मानवाधिकारों में सबसे मूल्यवान है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, 1776, पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा, 1789, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 सभी एक आवाज के साथ बोलते हैं-स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार है। इसी तरह, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि किसी को भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

51. गैर-जमानती वारंट जारी करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप शामिल है। गिरफ्तारी और कारावास का अर्थ है किसी व्यक्ति के सबसे मूल्यवान अधिकार से वंचित होना। इसलिए अदालतों को गैर-जमानती वारंट जारी करने से पहले बेहद सावधानी बरतनी होगी।

52. जिस तरह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, उसी तरह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में समाज का हित है। सभ्य समाज के अस्तित्व के लिए दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कभी-कभी जनता और राज्य के व्यापक हित में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में एक निश्चित अवधि के लिए कटौती करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है, तभी गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने चाहिए।

जब गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने चाहिए

53. किसी व्यक्ति को लाने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए।

अदालत जब समन या जमानती वारंट की संभावना नहीं होगी

वांछित परिणाम प्राप्त करें। यह तब हो सकता है जबः

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

• यह विश्वास करना उचित है कि व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा नहीं करेगा।

अदालत में पेश होना; या

पुलिस अधिकारी सेवा करने वाले व्यक्ति को खोजने में असमर्थ हैं

उसे समन के साथ; या

• ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति किसी को नुकसान पहुँचा सकता है यदि नहीं

तुरंत हिरासत में लिया गया।

54. जहाँ तक संभव हो, यदि अदालत की राय है कि अदालत में आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए समन पर्याप्त होगा, तो समन या जमानती वारंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वारंट जारी करने पर होने वाले अत्यंत गंभीर परिणामों और प्रभावों के कारण, तथ्यों की उचित जांच और विवेक के पूर्ण अनुप्रयोग के बिना जमानती या गैर-जमानती वारंट कभी भी जारी नहीं किए जाने चाहिए। अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज नहीं की गई है।

55. शिकायत के मामलों में, पहली बार में, अदालत को शिकायत की प्रति के साथ समन की तामील का निर्देश देना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त समन को टाल रहा है, तो अदालत को दूसरे मामले में जमानती वारंट जारी करना चाहिए। तीसरे मामले में, जब अदालत पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है कि आरोपी जानबूझकर अदालत की कार्यवाही से बच रहा है, तो गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इसलिए हम पहले और दूसरे मामले में अदालतों को आगाह करते हैं

गैर-जमानती वारंट जारी करने से बचने का उदाहरण।

56. विवेकाधीन होने के कारण शक्ति का अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। अदालत को वारंट जारी करने से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों को उचित रूप से संतुलित करना चाहिए। वारंट जारी करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में, जब तक कि किसी आरोपी पर एक जघन्य अपराध के अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है और यह आशंका है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट कर सकता है या कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना है, तब तक गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने चाहिए।

टाल दिया।

57. अदालत को गैर-जमानती वारंट जारी करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनता और राज्य के हित के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. धारा 88 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने पर, इस न्यायालय ने

एजे जैन बनाम। भारत संघ (2018) 5 एस. सी. सी. 743 ने अभिनिर्धारित किया है किः

" 12. मुख्य मुद्दा जिसका उत्तर वर्तमान में दिए जाने की आवश्यकता है अपील इस बारे में है कि क्या अदालत के लिए रिहा करना अनिवार्य था

अपीलार्थी धारा 88 सी. आर. पी. सी. के अधीन बंधपत्र स्वीकार करके

इस आधार पर कि उन्हें जाँच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था या

न्यायालय ने धारा 88 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया है। रिहाई के लिए प्रार्थना करने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करना

धारा 88 सी. आर. पी. सी. के तहत बांड स्वीकार करके।

13. धारा 88 सी. आर. पी. सी. एक प्रावधान है जो अध्याय में निहित है

VI आपराधिक संहिता की "प्रकट होने के लिए मजबूर करने की प्रक्रियाएँ"

प्रक्रिया, 1973। अध्याय VI को चार खंडों में विभाजित किया गया है-ए।

समन; बी। गिरफ्तारी का वारंट; ग. घोषणा और संलग्नक;

और घ. प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य नियम। धारा 88 इस प्रकार प्रदान करती है - निम्नलिखित हैः

वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए पीठासीन अधिकारी किसी भी अदालत को समन या वारंट जारी करने का अधिकार है,

ऐसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, ऐसे अधिकारी से ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है -

प्रतिभू के साथ या उसके बिना, उसकी उपस्थिति के लिए एक बंधन निष्पादित करें

ऐसा न्यायालय, या कोई अन्य न्यायालय जिसमें मामला हो सकता है

मुकदमे के लिए स्थानांतरित किया गया "।

14. हमें पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इसका क्या महत्व था।

धारा 88 में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है"।

XXX

XXX

XXX

22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

जो अदालत में उपस्थित है। न्यायालय को दी गई विवेकाधीन शक्ति इस तरह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए है

उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में व्यक्ति जिसमें मामला हो सकता है मुकदमे के लिए स्थानांतरित किया जाए। धारा 88 के तहत दिया गया विवेकाधिकार

न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, जो न्यायालय में उपस्थित है।

बल्कि यह अदालत को दी गई शक्ति है कि वह उसे सुविधा प्रदान करे

उपस्थिति, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि "हो सकता है" शब्द का उपयोग

विवेकाधीन है और यह अदालत को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना है

जब स्थिति की आवश्यकता होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि

धारा 88 "किसी भी व्यक्ति" में उपयोग किए गए शब्द को व्यापक साटेंडर कुमार एंटील v दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अर्थात्, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जो किसी मामले में अभियुक्त भी नहीं हैं और गवाह के रूप में पेश हुए।

संहिता की धारा 167 (2)

167. प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है। (1)

XXX

XXX

XXX

(2) मजिस्ट्रेट जिसे एक अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है

इस धारा के तहत, चाहे उसे मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता हो या न हो, समय-समय पर अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए; और यदि उसे मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने की कोई अधिकारिता नहीं है, और वह आगे हिरासत को अनावश्यक समझता है, तो वह अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे सकता है।

ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेटः

बशर्ते कि

(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

व्यक्ति, पुलिस की हिरासत से परे, पंद्रह दिनों की अवधि, यदि वह संतुष्ट है कि पर्याप्त आधार

ऐसा करने के लिए मौजूद है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा

एक के लिए इस अनुच्छेद के तहत हिरासत में आरोपी व्यक्ति का

कुल अवधि से अधिक,

(i) नब्बे दिन, जहाँ जाँच किसी अपराध से संबंधित हो।

मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय

दस साल से कम की अवधि के लिए; ((ii) साठ दिन, जहाँ जाँच किसी अन्य मामले से संबंधित हो।

अपराध, और नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर,

या साठ दिन, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त व्यक्ति

जमानत पर रिहा किया जाए यदि वह प्रस्तुत करने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है

जमानत, और इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति

के प्रावधानों के तहत इस तरह से जारी किया गया माना जाएगा

उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII;

(ख) कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

इस धारा के तहत पुलिस की अभिरक्षा जब तक कि आरोपी

पहली बार व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश किया गया और बाद में हर बार जब तक आरोपी हिरासत में नहीं रहता [2022] 10 एस. सी. आर.

पुलिस की ओर से, लेकिन मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश करने पर न्यायिक हिरासत में और हिरासत बढ़ा सकता है।

स्पष्टीकरण I. संदेह से बचने के लिए, यह एतद्वारा है घोषणा की कि, पैरा (ए) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद, अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि

खंड (ख) अभियुक्त व्यक्ति को पेश करना सिद्ध किया जा सकता है। निरोध को प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति को पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आदेश द्वारा,

मामला हो सकता है। बशर्ते कि अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के मामले में

आयु के अनुसार, निरोध की अभिरक्षा में रहने के लिए अधिकृत किया जाएगा

एक रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान।

34. धारा 167 (2) वर्ष 1978 में शुरू की गई थी, जिसमें जांच को पूरा करने के लिए अधिकतम समय पर जोर दिया गया था। यह

प्रावधान के पीछे एक प्रशंसनीय उद्देश्य है, जो एक त्वरित जांच और एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है, और एक तर्कसंगत प्रावधान निर्धारित करना है।

प्रक्रिया जो समाज के गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करती है। यह भी अनुच्छेद 21 का एक और अंग है। बेगुनाही का अनुमान भी इस प्रावधान में अंतर्निहित है। एक जाँच एजेंसी को जाँच की प्रक्रिया में तेजी लानी होती है क्योंकि एक संदिग्ध जेल में है। इस प्रकार, एजेंसी को जांच पूरी करने का कर्तव्य सौंपा गया है।

निर्धारित समय और विफलता अभियुक्त को रिहा करने में सक्षम बनाएगी। निहित अधिकार एक पूर्ण और अक्षम्य अधिकार है, जो संदिग्ध के लाभ के लिए है। इस तरह के अधिकार को किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान भी नहीं खोया जा सकता है, जैसे कि हाल की महामारी, जैसा कि इस अदालत ने एम. रवींद्रन बनाम. राजस्व खुफिया निदेशालय,

(2021) 2 एससीसी 485:

" II. धारा 167 (2) और जीवन का मौलिक अधिकार और

पर्सनल लिबर्टी सैटेन्डर कुमार एंटिल v. केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

17. इससे पहले कि हम धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार के मापदंडों पर विस्तार करने के लिए आगे बढ़ें, जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों द्वारा व्याख्या की गई है, हम उदय मोहनलाल आचार्य [उदय] में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित पाते हैं।

मोहनलाल आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2001) 5 एससीसी 453: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 760] व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और उससे वंचित होने के प्रभाव पर निम्नानुसारः (एस. सी. सी पी. 472, पैरा 13)

" 13. ..... व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के पोषित उद्देश्यों में से एक है और इसे वंचित करना केवल कानून के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही हो सकता है। जब कानून यह प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर सकता है

अभियुक्त को अधिकतम अवधि तक हिरासत में रखना
जैसा कि धारा 167 की उप-धारा (2) के परंतुक में इंगित किया गया है, किसी को दायर किए बिना अवधि से आगे कोई और निरोध।

जाँच एजेंसी द्वारा चालान एक छल होगा और कानून के अनुसार और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा, और इस तरह,

यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है।

17.1 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"। यह तय हो गया है

लेकिन संवैधानिक सुरक्षा की एक विधायी व्याख्या कि किसी भी व्यक्ति को कानून के शासन के अनुसार के अलावा हिरासत में नहीं लिया जाएगा। 17.2 . दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 ("1898 संहिता") की धारा 167 के तहत, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियमन से पहले लागू थी, अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी आरोपी को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता था, 15 दिनों की थी। हालाँकि, चूंकि 15 दिनों के भीतर जटिल जांच को समाप्त करना अक्सर अव्यवहारिक होता था, इसलिए एक प्रथा पैदा हुई जिसमें जांच अधिकारी समाप्ति [2022] 10 एस. सी. आर. के बाद "प्रारंभिक आरोप पत्र" दाखिल करते थे।

रिमांड अवधि। राज्य तब मजिस्ट्रेट से मुकदमे की शुरुआत को स्थगित करने और आगे अधिकृत करने का अनुरोध करेगा

1898 की संहिता की धारा 344 के तहत जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और अंतिम आरोप पत्र दायर नहीं हो जाता, तब तक आरोपी की रिमांड। न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर रिपोर्ट संख्या 14 में भारत के विधि आयोग (खंड। II, 1948, पृ. 758-760) उन्होंने बताया कि कई मामलों में आरोपी अदालतों के समक्ष कोई अंतिम रिपोर्ट दायर किए बिना कई महीनों से हिरासत में थे। यह भी बताया गया कि न्यायिक राय में टकराव था कि क्या मजिस्ट्रेट 15 दिनों के भीतर पुलिस रिपोर्ट दायर नहीं करने पर आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य था।

17.3 . इसलिए विधि आयोग ने रिपोर्ट संख्या 14 में 15 दिनों की समाप्ति के बाद विशेष रूप से रिमांड जारी रखने के लिए एक उचित प्रावधान की आवश्यकता की सिफारिश की, इस तरह से कि "एक पूर्ण और उचित जांच की जरूरतों को पूरा करते हुए।

गंभीर अपराध के मामले, तब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इसके अलावा, कि विधायिका को

344 धारा 167 के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि से परे अभियुक्त को रिमांड पर लेने के लिए "प्रारंभिक रिपोर्ट" दाखिल करके 1898 की संहिता। यह बताया गया कि इससे गंभीर दुर्व्यवहार हो सकता है जिसमें "गिरफ्तार व्यक्ति को इस तरह से हिरासत में रखा जा सकता है। अनिश्चित काल तक जाँच आराम से चल सकती है "। इसलिए आयोग ने रिमांड के लिए अधिकतम 60 दिनों की समय सीमा तय करने की सिफारिश की। आयोग ने रिपोर्ट संख्या 37 में पहले व्यक्त किए गए आरक्षण पर विचार किया कि इस तरह के विस्तार के परिणामस्वरूप 60 दिनों की अवधि नियमित हो सकती है। हालांकि, विश्वास व्यक्त किया गया था कि उचित

उच्च न्यायालयों द्वारा पर्यवेक्षण से इसे दरकिनार करने में मदद मिलेगी।

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

17.5 . रिपोर्ट संख्या 41 में दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया गया और केंद्र सरकार द्वारा 1970 में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक का मसौदा तैयार करते समय उन्हें शामिल किया गया। अंततः 1898 की संहिता को वर्तमान सी. आर. पी. सी. द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सी. आर. पी. सी. के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह प्रावधान है कि सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारों को ध्यान में रखाः

" 3. आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बुनियादी विचारः

((i) अभियुक्त व्यक्ति को उसके अनुसार निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए।

प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के साथ;
((ii) जांच और मुकदमे में देरी से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जो न केवल शामिल व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है; और

((iii) प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए और जितना संभव हो सके, गरीबों के लिए उचित सौदा सुनिश्चित करना चाहिए।

समुदाय के वर्ग "।

17.6 . यह इस पृष्ठभूमि में था कि धारा 167 (2) को वर्तमान सी. आर. पी. सी. के भीतर अधिनियमित किया गया था, जिसमें अभियुक्त की रिमांड की अवधि पर समय-सीमा का प्रावधान किया गया था, जो किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में है, जिसमें विफल रहने पर अभियुक्त अपराध की गंभीरता को प्राप्त करता है। जमानत का अक्षम्य अधिकार। जैसा कि ऊपर उल्लिखित विधि आयोग की सिफारिशों से स्पष्ट है,

विधायिका को पर्याप्त समय-सीमा की आवश्यकता को संतुलित करना था

अभियुक्त की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ जाँच को पूरा करें। धारा 167 (2) एक स्पष्ट आदेश प्रदान करती है कि जांच एजेंसी को निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर आरोपी को अब हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाँच अधिकारी हैं

दुरुपयोग किए बिना तेजी से और कुशलता से कार्य करने के लिए मजबूर

आगे रिमांड की संभावना। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि अदालत अपराध की जानकारी देने की तारीख से बिना किसी अनुचित देरी के मामले का संज्ञान ले, ताकि बड़े पैमाने पर समाज विश्वास न खोए और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रति सनकी भावना विकसित न हो।

17.7 . इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 167 (2) अनुच्छेद 21 का वादा करने वाले [2022] 10 एस. सी. आर. के तहत संवैधानिक प्रतिबद्धता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।

गैरकानूनी और मनमाना निरोध के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और इसकी व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए जो इस उद्देश्य को पूरा करता है। इस संबंध में हम निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी पाते हैं तीन-राकेश कुमार पॉल बनाम मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। असम राज्य [राकेश कुमार पॉल बनाम। असम राज्य (2017) 15 एस. सी. सी. 67: (2018) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 401], जिसने सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) की व्याख्या के रूप में कुछ मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित किया, हालांकि इसमें शामिल कानून के प्रश्न कुछ हद तक थे।

वर्तमान मामले से अलग। राकेश कुमार पॉल [राकेश कुमार] मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सवाल

पॉल वी। असम राज्य (2017) 15 एस. सी. सी. 67: (2018) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 401] यह था कि क्या, सबसे पहले, 90-दिवसीय रिमांड विस्तार के तहत धारा 167 (2) (ए) (आई) उन अपराधों के संबंध में लागू होगी जहां कारावास की अधिकतम अवधि 10 वर्ष थी।

न्यूनतम अवधि 10 वर्ष से कम थी। दूसरा, क्या अभियुक्त द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदन को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन के रूप में माना जा सकता है, भले ही धारा 167 (2) के तहत वैधानिक अवधि की समाप्ति को विशेष रूप से जमानत के आधार के रूप में अनुरोध नहीं किया गया था। बहुमत की राय थी कि 90-दिन की सीमा केवल उन अपराधों के संबंध में उपलब्ध है जहां न्यूनतम दस साल की कारावास की अवधि निर्धारित की गई है, और उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के वकील द्वारा लिखित आवेदन के बदले में डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए मौखिक दलीलें पर्याप्त होंगी। यह इस तर्क पर आधारित था कि अदालत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में बहुत अधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए। मदन बी. लोकुर, जे. ने अपनी बहुमत की राय में इस प्रकार कहाः (एससीसी पीपी। 95-96 & 99 , पैरा 29,32 और 41)

" 29. इसके बावजूद, चौबीस घंटे के भीतर और अन्यथा समयबद्ध अवधि के भीतर जांच पूरी करने का मूल विधायी इरादा अपरिवर्तित रहता है, भले ही उस अवधि को वर्षों में बढ़ा दिया गया हो। यह एक संकेत है कि पर्याप्त समय देने के अलावा

पूर्ण जाँच, विधायिका ने भी और हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रमुखता रखी है और हमेशा महसूस किया है कि एक आरोपी के लिए हिरासत में रहना अनुचित होगा लंबे समय तक या अनिश्चित काल तक। यही कारण है कि और

जांच एजेंसी को उस समय जवाबदेह ठहराना भी

विधायिका द्वारा सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

XXX

XXX

XXX

32. ..... लंबे समय से इस तरह के विचार और राय हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए एक सदी से अधिक समय तक विधायिका को प्रेरित किया

जाँच का शीघ्र समापन ताकि एक अभियुक्त

बेटा अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन से वंचित नहीं है।

किसी अपराध के लिए लंबे समय तक हिरासत में रहने की स्वतंत्रता

हो सकता है कि उसने ऐसा किया भी न हो। हमारी राय में,

हमारे सामने पूरी बहस को भी देखा जाना चाहिए

जाँच के शीघ्र समापन का दृष्टिकोण

और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से और विशुद्ध रूप से नहीं

शब्दकोश या पाठ्य परिप्रेक्ष्य जैसा कि द्वारा प्रचार किया गया है राज्य के लिए विद्वान वकील।

XXX

XXX

XXX

41. हम इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मानते हैं कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान का अनुच्छेद 21, यह नहीं है

हमेशा औपचारिक या तकनीकी होने की सलाह दी जाती है। इतिहास.

संवैधानिक न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिकाएं शामिल हैं। कोष और अन्य रिटों के लिए भी आधार पर विचार किया जा रहा है

मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय को संबोधित एक पत्र।

(जोर दिया गया)

इसलिए, अदालतें अनुच्छेद 21 में निहित अधिकारों को छूने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार करते समय कठोर या औपचारिक दृष्टिकोण नहीं अपना सकती हैं। 17.8 . हम एस. कासी बनाम में इस

न्यायालय के हाल के फैसले का भी लाभ के साथ उल्लेख कर सकते हैं। राज्य [एस. कासी बनाम। राज्य, (2021) 12 एससीसी 1: 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 529], जिसमें यह देखा गया कि

धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का अक्षम्य अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और जमानत के उक्त अधिकार को महामारी की स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है। इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकार

मुक्त किए जाने के लिए अभियुक्त को जांच जारी रखने और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के राज्य के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है।

17.9 . इसके अतिरिक्त, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दंडात्मक क़ानून के निर्माण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अदालतों को उस व्याख्या का समर्थन करना चाहिए जो [2022] 10 एस. सी. आर. के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में झुकती है।

अभियुक्त, व्यक्तिगत अभियुक्त और राज्य तंत्र के बीच सर्वव्यापी शक्ति असमानता को देखते हुए। यह न केवल लागू होता है

मूल दंडात्मक कानूनों के मामले में, लेकिन स्वतंत्रता में कटौती के लिए प्रदान की जाने वाली प्रक्रियाओं के मामले में भी

अभियुक्त। 17.10 . विशेष रूप से सी. आर. पी. सी. के संबंध में, वस्तुओं और कारणों का विवरण (ऊपर दिया गया) निर्माण में एक महत्वपूर्ण सहायता है। धारा 167 (2) की व्याख्या विधायिका द्वारा व्यक्त किए गए तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, अर्थात् एक निष्पक्ष सुनवाई, त्वरित जांच और सुनवाई सुनिश्चित करना, और

निर्धनों के हितों की रक्षा करने वाली तर्कसंगत प्रक्रिया

समाज के वर्ग। ये वस्तुएँ और कुछ नहीं बल्कि उपसमुच्चय हैं

अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार।

17.11 . इसलिए, यह बनाए रखने के दृष्टिकोण से है

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कि हम इस दुविधा को हल करने के उद्देश्य से धारा 167 (2) की विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं को स्पष्ट और सामंजस्य स्थापित करेंगे।

वर्तमान मामले में उत्पन्न हुआ है "।

35. उक्त प्रावधान से प्राप्त अधिकार के परिणामस्वरूप, एस को इसका उचित प्रभाव देना होगा, और इस प्रकार अवधि से परे कोई भी निरोध निश्चित रूप से अवैध होगा, जो संबंधित एन की स्वतंत्रता का अपमान है। इसलिए, यह केवल जांच का कर्तव्य नहीं है

y लेकिन अदालतों को भी यह देखने के लिए कि एक आरोपी को इसका लाभ मिलता है

167 (2) पर।

संहिता की धारा 170:

" 170. जब सबूत पर्याप्त हों तो मामले मजिस्ट्रेट को भेजे जाने चाहिए। (1) यदि, इस अध्याय के तहत एक जांच पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी हिरासत में आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त पर मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने का अधिकार, या यदि अपराध जमानती है और अभियुक्त प्रतिभूति देने में सक्षम है, तो निर्धारित दिन पर ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने उसकी उपस्थिति के लिए और जब तक अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है, तब तक ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने दिन-प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए उससे प्रतिभूति लेगा। सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

36. इस न्यायालय द्वारा सिद्धार्थ बनाम में धारा 170 के दायरे और दायरे पर पहले ही विचार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 1 एस. सी. सी. 676। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग संबंधित एजेंसी द्वारा जांच पूरी होने के बाद अदालत द्वारा किया जाना है। इसलिए, यह केवल न्यायालय के दृष्टिकोण से एक प्रक्रियात्मक अनुपालन है, और इस प्रकार

जाँच एजेंसी को सीमित भूमिका निभानी है। ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, संहिता की धारा 170 के तहत मजिस्ट्रेट को मामला भेजे जाने पर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। जमानत याचिका दायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को केवल आरोप तय करने और मुकदमे के लिए प्रक्रिया जारी करने के लिए अदालत में भेजा जाता है। यदि अदालत का विचार है कि किसी रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अदालत संहिता की धारा 88 पर वापस आ सकती है और मुकदमे की शुरुआत के लिए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर सकती है। बेशक, हो सकता है

ऐसी स्थिति हो जहाँ रिमांड की आवश्यकता हो सकती है, केवल ऐसे मामलों में ही अभियुक्त को सुनना होगा। इसलिए, ऐसी स्थिति में, अभियुक्त व्यक्तियों को एक अवसर देना होगा, यदि अदालत का प्रथम दृष्टया मानना है कि रिमांड की आवश्यकता होगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उन मामलों पर कुछ नहीं कहा है जिनमें आरोपी व्यक्ति पहले से ही हिरासत में हैं, जिसके लिए जमानत याचिका दायर करनी होगी।

अपने गुणों के आधार पर निर्णय लिया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संहिता की धारा 170 के उचित अनुपालन के लिए जमानत आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ बनाम में यह न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 1 एस. सी. सी. 676 ने अभिनिर्धारित किया है किः

" व्याख्या पर न्यायिक उदाहरण उपलब्ध हैं

5. दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम। सी. बी. आई. [दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम। सी. बी. आई., 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 53: (2004) 72 डी. आर. जे. 629], दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क के समान एक तर्क पर विचार किया कि धारा 170 सी. आर. पी. सी. निचली अदालत को रिकॉर्ड पर आरोप पत्र लेने से रोकती है जब तक कि आरोपी को हिरासत में नहीं लिया जाता है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैंः (एससीसी ऑनलाइन डेल पैरा 15-16 और 19-20)

" 15. इस धारा में दिखाई देने वाले "अभिरक्षा" शब्द में पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा का उल्लेख नहीं है। यह केवल आरोप पत्र दाखिल करने के समय अदालत के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्त की प्रस्तुति को संदर्भित करता है, जिसके बाद अदालत की भूमिका शुरू होती है। अगर जांच (2022) 10 एस. सी. आर. नहीं होती।

अधिकारी को रिहा करने की शक्तियां नहीं दी गई होंगी

जमानती अपराध में जमानत पर व्यक्ति यह पता लगाने के बाद कि वहाँ था

अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और यह

उस पर ऐसे अभियुक्त को पेश करने के लिए बाध्य किया गया है

द्वारा जमानत पर रिहा होने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिरक्षा

अदालत।

16. यदि पुलिस/जाँच अधिकारी इसे अनावश्यक समझता है

अभियुक्त को इस कारण हिरासत में प्रस्तुत करना कि

अभियुक्त न तो फरार होगा और न ही समन की अवज्ञा करेगा

क्योंकि वह जाँच और जाँच में सहयोग कर रहा है

उसे गिरफ्तार किए बिना पूरा किया जा सकता है, आई. ओ. बाध्य नहीं है ऐसे अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करना।

XXX

XXX

XXX

19. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश काम कर रहे थे

एक गलत धारणा के तहत कि हर गैर-जमानती और संज्ञेय में

अपराध पुलिस को हमेशा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है, भले ही यह जाँच के उद्देश्य के लिए आवश्यक न हो।

20. बल्कि कानून इसके विपरीत है। सामान्य और सामान्य पाठ्यक्रम में

पुलिस को हमेशा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और भेजने से बचना चाहिए

उसे जेल में डाल दिया जाए, अगर पुलिस के लिए इसे पूरा करना संभव है

उसकी गिरफ्तारी के बिना जांच और अगर हर तरह का सहयोग

अभियुक्त द्वारा जाँच अधिकारी को प्रदान किया जाता है

आवश्यकता, जहाँ जाँच बिना पूरी नहीं की जा सकती है उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता हो सकती है।

दोषपूर्ण वस्तुओं या अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए या अपने सहयोगियों के बारे में कुछ जानकारी या सुराग प्राप्त करने के लिए या

कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य, कि उसकी गिरफ्तारी आवश्यक हो सकती है। इस तरह की गिरफ्तारी भी आवश्यक हो सकती है यदि जाँच अधिकारी

संबंधित या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि

अभियुक्त की उपस्थिति को प्राप्त करना मुश्किल होगा क्योंकि

फरार होना या प्रक्रिया की अवज्ञा करना या न्याय से भागना इससे इंकार नहीं किया जा सकता "।

इसके बाद के एक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने

दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम। राज्य [का उच्च न्यायालयएल्ही वी। राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12306:

(2018) 254 डी. एल. टी. सैटेन्डर कुमार एंटिल वी. केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

641] दिल्ली उच्च न्यायालय में इन टिप्पणियों पर भरोसा किया [उच्च न्यायालय]

दिल्ली का न्यायालय बनाम। सी. बी. आई., 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 53: (2004) 72 डी. आर. जे. 629] ने कहा कि संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध से जुड़े प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं है कि आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दायर होने पर एक आरोपी को हिरासत में लिया जाए।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को अपनाने में अकेला नहीं है और अन्य उच्च न्यायालयों ने भी स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव पर मुकदमा चलाया है कि आपराधिक अदालतें केवल इसलिए आरोप पत्र स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती हैं क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

8. दीनदयाल किशनचंद बनाम। गुजरात राज्य [दीनदयाल किशनचंद बनाम। गुजरात राज्य, 1982 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 172: 1983 सी. आर. आई. एल. जे. 1583], उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः (एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात पैरा 2 और 8)

" 2. ..... यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि दो आरोपी अर्थात

वर्तमान याचिकाकर्ता 4 और 5, जो महिलाएँ हैं, उपलब्ध नहीं थीं।

आरोप-पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना,

हालाँकि पहले उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अतः इस प्रकार

अदालत ने आरोप पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जब तक कि सभी

अभियुक्तों को पेश किया जाता है, आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और अंत में भी, एक विशिष्ट पत्र से, यह रिकॉर्ड से लगता है,

आरोप-पत्र अभियुक्त 4 और 5 के बिना प्रस्तुत किया गया था। यह

अभिलेख पर साक्ष्य से बहुत स्पष्ट है।

XXX

XXX

XXX

8. मुझे इस स्तर पर कहना होगा कि आपराधिक अदालतों द्वारा इनकार

या तो विद्वान मजिस्ट्रेट के माध्यम से या उनके कार्यालय के माध्यम से

बिना पेश किए प्रभार पत्र स्वीकार करने के लिए कर्मचारी अभियुक्त व्यक्तियों को कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है।

इसलिए, सभी न्यायालयों पर यह प्रभाव डाला जाना चाहिए कि वे

जब भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए उसे स्वीकार करना चाहिए

आरोप पर किए जाने वाले किसी भी समर्थन के साथ पुलिस

कर्मचारी या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी चूक से संबंधित पत्रक

या शुल्क-पत्र में आवश्यकता। लेकिन जब पुलिस पेश करती है

आरोप पत्र, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह इसे विशेष रूप से स्वीकार करे

संहिता की धारा 468 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो अपराध का संज्ञान लेने की सीमा बनाता है। इसी तरह,

पुलिस अधिकारियों को सभी पुलिस अधिकारियों को यह भी समझाना चाहिए कि [2022] 10 एस. सी. आर.

यदि ऐसे किसी कारण से आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और उपयुक्त आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए ताकि ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न न हों। अब से "।

कि यह प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं लगाता है। वास्तव में, हम ऐसे मामलों में आते हैं जहां अभियुक्त ने पूरे समय जांच में सहयोग किया है और फिर भी आरोप पत्र दायर किए जाने पर उसे पेश करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, जो इस आवश्यकता पर आधारित हैं कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने और उसे अदालत के समक्ष पेश करने का दायित्व है। हमारा विचार है कि यदि जांच अधिकारी को विश्वास नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा तो उसे हिरासत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सी. आर. पी. सी. की धारा 170 में दिखाई देने वाला "अभिरक्षा" शब्द पुलिस या न्यायिक का उल्लेख नहीं करता है। अभिरक्षा लेकिन यह केवल आरोप पत्र दाखिल करते समय अदालत के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की प्रस्तुति को दर्शाता है।

10. हम ध्यान दे सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण पहलू है -

आवश्यक है या यह एक जघन्य अपराध है या जहां इसकी संभावना है गवाहों या अभियुक्तों को प्रभावित करना फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति और औचित्य के अस्तित्व के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

इसके अभ्यास के लिए [जोगिंदर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 260: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1172] यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अनगिनत नुकसान पहुंचा सकती है। यदि जाँच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा और वास्तव में, जांच में सहयोग करने के दौरान हम यह समझने में विफल रहते हैं कि अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की मजबूरी क्यों होनी चाहिए।

11. वास्तव में, हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो जोगिंदर कुमार मामले में टिप्पणियों के विपरीत है।

राज्य सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उत्तर प्रदेश का (1994) 4 एस. सी. सी. 260: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1172] कैसे पुलिस

अधिकारी को गिरफ्तारी के परिदृश्य से निपटना पड़ता है, निचली अदालतें हैं

अभिलिखित करने के लिए आरोप पत्र लेने की औपचारिकता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के प्रावधान। हम इस तरह के पाठ्यक्रम पर विचार करते हैं

गलत और सीआरपीसी की धारा 170 के इरादे के विपरीत। संहिता की धारा 204 और 209

" 204. प्रक्रिया का मुद्दा। (1) यदि मजिस्ट्रेट की राय में किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है - कार्यवाही, और मामला ऐसा प्रतीत होता है -

(ए) एक समन-मामले में, वह इसके लिए अपना समन जारी करेगा

अभियुक्त की उपस्थिति, या
(ख) एक वारंट-मामले में, वह वारंट जारी कर सकता है, या, यदि वह उचित समझता है, तो समन जारी कर सकता है, ताकि आरोपी को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने एक निश्चित समय पर लाया जा सके या पेश किया जा सके या (यदि उसका स्वयं कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है) किसी अन्य मजिस्ट्रेट को

अधिकार क्षेत्र "।

अपराध विशेष रूप से इसके द्वारा विचारण योग्य है। जब एक मामले में पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा, अभियुक्त प्रकट होता है

या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और यह प्रतीत होता है

मजिस्ट्रेट कि अपराध विशेष रूप से न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है सत्र से, वह

(क) धारा 207 या धारा 208, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों का पालन करने के बाद सत्र न्यायालय को मामला सौंपना और जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, आरोपी को तब तक हिरासत में भेजना जब तक कि ऐसा न हो।

प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है;
(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

अभियुक्त को हिरासत में भेजें, और जब तक मुकदमे का समापन; "

37. संहिता की धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे की बात करती है जबकि

मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को आगे बढ़ाना। उप-धारा (1) (बी)

मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर एक वारंट मामला, या तो एक जारी करने के लिए

एन. टी. या समन। जैसा कि यह प्रावधान एक विवेकाधिकार देता है, और

प्राकृतिक प्रकृति में, इसका उपयोग निश्चित रूप से [2022] 10 एस. सी. आर. का पालन करके किया जाना है।

संहिता की धारा 88 का निर्देश। इस प्रकार, वारंट जारी किया जा सकता है यह एक अपवाद होगा जिसमें मजिस्ट्रेट को कारण बताना होगा।

38. संहिता की धारा 209 मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को किसी मामले की प्रतिबद्धता से संबंधित है जब अपराध विशेष रूप से विचारण योग्य होता है।

उक्त न्यायालय द्वारा। संहिता की धारा 209 की उप-धारा (ए) और (बी) मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने की पर्याप्त शक्ति देती है। मुकदमे के दौरान या उसके समापन तक। चूँकि मजिस्ट्रेट द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाना है, यह दोनों में से उनका विवेक है।

किसी अभियुक्त को रिमांड पर देना या जमानत देना। यहाँ भी, यह न्यायिक विवेकाधिकार है जिसका प्रयोग मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है। जैसा कि हम पहले ही जमानत की परिभाषा पर विचार कर चुके हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है -

प्रतिबंधों और शर्तों के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट जमानत के लिए आवेदन के बिना भी कॉल ले सकता है यदि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक है। ऐसे में वह ऐसा कर सकता है। बांड या जमानत लें, और इस प्रकार धारा 88 का सहारा ले सकते हैं। हालाँकि, यदि उसे दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए मामले को रिमांड पर लेना है, तो उक्त व्यक्ति को सुनना होगा। यहाँ फिर से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि कोई नहीं है

एक अलग आवेदन की आवश्यकता होती है और मजिस्ट्रेट को एक अवसर देने और जमानत पर बोलने का आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है।

संहिता की धारा 309

39. इस प्रावधान को 2013 के अधिनियम 13 और 2018 के अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। बेहतर प्रशंसाः

" 309. कार्यवाहियों को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति। — (1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में कार्यवाही दिन से जारी रखी जाएगी। जब तक उपस्थित सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक कि अदालत को कारण दर्ज करने के लिए अगले दिन से आगे का स्थगन आवश्यक न लगेः

आरोप पत्र।

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने या मुकदमा शुरू करने के बाद, किसी जांच या मुकदमे के शुरू होने को स्थगित करना या स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह सैटेन्डर कुमार एंटील v.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

समय-समय पर, दर्ज किए जाने, स्थगित या स्थगित किए जाने के कारणों के लिए

ऐसी शर्तों पर समान जो वह उचित समझता है, ऐसे समय के लिए जो वह मानता है

उचित है, और वारंट द्वारा अभियुक्त को रिमांड में लिया जा सकता है यदि अभिरक्षाः

बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को रिमांड पर नहीं लेगा।

इस धारा के तहत पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में

एक समयः

बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों, तो नहीं

बिना जाँच के स्थगन या स्थगन प्रदान किया जाएगा।

उन्हें, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़करः

बशर्ते कि इसके लिए कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा

केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाना।

[बशर्ते कि

उस पार्टी को;

(ख) यह तथ्य कि एक पक्ष का वकील दूसरे पक्ष में लगा हुआ है।

न्यायालय, स्थगन का आधार नहीं होगा;

न्यायालय में उपस्थित, जाँच या प्रतिपरीक्षा के लिए तैयार नहीं है गवाह, न्यायालय, यदि उचित समझे, तो गवाह का बयान दर्ज कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह गवाह की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के साथ उचित समझे।

गवाह, जैसा भी मामला हो।]

स्थगन की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें उचित मामलों में, अभियोजन या अभियुक्त द्वारा लागत का भुगतान।

40. उप-धारा (1) अदालतों को साक्ष्य के पूरा होने तक दैनिक आधार पर कार्यवाही जारी रखने का आदेश देती है।

एक परीक्षण शुरू होता है, यह तार्किक अंत तक पहुंचना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अनावश्यक स्थगन नहीं देने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप गवाहों को जीता जा रहा है। हालांकि, धारा 309 का गैर-अनुपालन समलैंगिक परित्याग के साथ जारी है। शायद अकेले अदालतों को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ऐसे कई कारण हैं जो इस तरह के स्थगन का कारण बनते हैं। यद्यपि अनुभाग स्थगन करता है और वह भी एक अपवाद के रूप में लंबी अवधि के लिए नहीं, वे मानक बन जाते हैं। हम इस प्रावधान को केवल यह दिखाने के लिए छू रहे हैं कि अदालत या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी देरी निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगी। यह तब अधिक होता है जब आरोपी व्यक्ति जेल में होता है। जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अभियुक्त के लाभ के लिए इस प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति जो भी हो, किसी अभियुक्त या हिरासत या कारावास के तहत किसी दोषी के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा, अपील या पुनरीक्षण, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। जबकि अदालतों को कम से कम निजी गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को पूरा करने का प्रयास करना होगा, जैसा कि इस अदालत ने कई मौकों पर संकेत दिया है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को देरी के लिए पीड़ित न होना पड़े

उसकी अपनी कोई गलती नहीं होने के कारण।

41. उप-धारा (2) को उप-धारा (1) के साथ पढ़ना होगा। उप-धारा (2) का परंतुक रिमांड की अवधि को अधिकतम तक सीमित करता है।

एक बार में 15 दिन। दूसरा परंतुक विशेष कारणों को छोड़कर जब गवाह उपस्थित होते हैं तो स्थगन को प्रतिबंधित करता है, जिन्हें दर्ज किया जाना है। स्थगन की मांग करने के कुछ कारणों को अनुमेय माना जाता है। न्याय वितरण के दृष्टिकोण से इस प्रावधान को पढ़ना चाहिए। आखिरकार, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक और पहलू है। इसलिए, जबकि न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यथासंभव संहिता की धारा 309 का पालन करेगा,

किसी मुकदमे, अपील या पुनरीक्षण को समाप्त करने में अस्पष्टीकृत, परिहार्य और लंबे समय तक विलंब निश्चित रूप से जमानत पर विचार करने का एक कारक होगा। हम संहिता की धारा 436 ए के तहत लाभकारी प्रावधान के बावजूद ऐसा मानते हैं जो एक अलग आधार पर है।

पूर्वाभासः

- हुसैनारा खातून और अन्य। v गृह सचिव, राज्य बिहार, 1980 (1) एससीसी 81:

" 2. हालाँकि हमने दो सप्ताह पहले बिहार राज्य को नोटिस जारी किया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 फरवरी, 1979 को राज्य की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और इसलिए हमें इस टेंडर कुमार एंटील v. में उपस्थित होना चाहिए।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

इस आधार पर आगे बढ़ें कि आरोप में निहित हैं

8 और 9 जनवरी, 1979 के इंडियन एक्सप्रेस के मुद्दे जो रिट याचिका में शामिल हैं, सही हैं। इन समाचार पत्र कटिंग्स में निहित जानकारी सबसे अधिक परेशान करने वाली है और यह अंतरात्मा को हिलाने और समता को भंग करने के लिए पर्याप्त है।

विचाराधीन कैदी जिनके नाम समाचार पत्र में दिए गए हैं काटना 5,7 या 9 साल तक जेल में रहा है और

वे सलाखों के पीछे हैं, इसलिए नहीं कि वे दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि वे जमानत देने के लिए बहुत गरीब हैं और अदालतों के पास उन पर मुकदमा चलाने का समय नहीं है। यह न्याय का उपहास है कि कई गरीब आरोपी, "छोटे भारतीय, छोटे अपराधों के लिए लंबे सेलुलर दासता में मजबूर हैं" क्योंकि जमानत प्रक्रिया उनकी अल्प सीमा से परे है। मतलब और परीक्षण शुरू नहीं होते हैं और अगर वे करते भी हैं, तो वे कभी समाप्त नहीं होते हैं। मेनका में अनुच्छेद 21 पर इस न्यायालय द्वारा दी गई गतिशील व्याख्या के बाद इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है।

गांधी बनाम. भारत संघ [(1978) 2 एससीआर 621: (1978) 1 एस. सी. सी. 248] कि एक प्रक्रिया जो इतनी बड़ी संख्या में रखती है

हिरासत में लेना और 'उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष' प्रक्रिया सुनिश्चित करना जिसका मेनका गांधी मामले [(1978) 2 एस. सी. आर. 621 के बाद रचनात्मक अर्थ हैः (1978) 1 एस. सी. सी. 248] 3. अब, एक कारण है कि हमारी कानूनी और न्यायिक प्रणाली गरीबों को लंबे समय तक मुकदमे से पहले हिरासत में रखकर उन्हें न्याय से लगातार वंचित करती है, यह हमारी अत्यधिक असंतोषजनक जमानत प्रणाली है। यह एक संपत्ति उन्मुख दृष्टिकोण से ग्रस्त है जो इस गलत धारणा पर आगे बढ़ता प्रतीत होता है कि

न्याय से भागने के खिलाफ मौद्रिक नुकसान ही एकमात्र निवारक है। दंड प्रक्रिया संहिता, अपने पुनः अधिनियमन के बाद भी, वही पुराना दृष्टिकोण अपनाना जारी रखती है जो पिछली शताब्दी के अंत में अधिनियमित की गई थी और जहां एक अभियुक्त को उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाना है, यह इस बात पर जोर देता है कि [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉन्ड में एक मौद्रिक दायित्व होना चाहिए जिसके लिए आवश्यक है

अभियुक्त मुकदमे में उपस्थित होने में विफल रहने की स्थिति में राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा, जैसे कि यह गरीबों के लिए पर्याप्त निवारक नहीं था, अदालतें यंत्रवत रूप से और निश्चित रूप से इस बात पर जोर देती हैं कि आरोपी को ऐसे प्रतिभू पेश करने चाहिए जो उसके लिए जमानत पर खड़े होंगे और इन प्रतिभूओं को फिर से अपनी शोधन क्षमता स्थापित करनी चाहिए ताकि वे जमानत की राशि का भुगतान करने में सक्षम हो सकें, यदि आरोपी आरोप का जवाब देने के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है। जमानत की यह प्रणाली गरीबों के खिलाफ बहुत कठोरता से काम करती है और यह केवल गैर-गरीब जो जमानत पर रिहा होकर इसका लाभ उठाने में सक्षम हैं। गरीबों को जमानत के बिना भी जमानत देने में मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर अदालतों द्वारा निर्धारित जमानत की राशि इतनी अवास्तविक रूप से अत्यधिक होती है कि अधिकांश मामलों में गरीब जमानत की राशि के लिए अपनी शोधन क्षमता के बारे में पुलिस या मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने में असमर्थ होते हैं और जहां जमानत जमानतियों के साथ होती है, जैसा कि आमतौर पर होता है, गरीबों के लिए जमानत के रूप में खड़े होने के लिए पर्याप्त विलायक व्यक्तियों को ढूंढना लगभग असंभव काम हो जाता है। नतीजा यह हुआ कि

उन्हें पुलिस और राजस्व अधिकारियों या दलालों और पेशेवर प्रतिभूओं द्वारा लूटा जाता है और कभी-कभी उन्हें ऐसा करना भी पड़ता है

उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ऋण लेना पड़ता है या रिहाई प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें तब तक जेल में रहना पड़ता है जब तक कि अदालत उनके मामलों को मुकदमे के लिए लेने में सक्षम न हो जाए, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है।

परिणाम, अर्थात् (1) हालांकि उन्हें निर्दोष माना जाता है, उन्हें जेल जीवन के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अभावों के अधीन किया जाता है, (2) उन्हें अपने बचाव की तैयारी में योगदान करने से रोका जाता है, और (3) यदि उनके पास एक है, तो वे अपनी नौकरी खो देते हैं, और अपना भरण-पोषण करने के लिए काम करने के अवसर से वंचित रहते हैं।

और उनके परिवार के सदस्यों के परिणामस्वरूप उनकी नजरबंदी का बोझ लगभग हमेशा परिवार के निर्दोष सदस्यों पर भारी पड़ता है। यही वह जगह है जहाँ गरीब हमारी कानूनी और न्यायिक प्रणाली को दमनकारी और उनके खिलाफ भारी बोझ पाते हैं और उन पर निराशा और निराशा की भावना पैदा होती है क्योंकि वे पाते हैं कि वे असहाय रूप से गैर-गरीबों के साथ असमानता की स्थिति में हैं। हममें से एक न्यायमूर्ति श्री भगवती की अध्यक्षता में गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता समिति ने निम्नलिखित शब्दों में इस स्पष्ट असमानता पर जोर दिया:

एन. डी. ई. आर. कुमार एंटील वी. केंद्रीय आवास और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

जमानत प्रणाली, जैसा कि हम देखते हैं कि इसे आज आपराधिक अदालतों में प्रशासित किया जाता है, बेहद असंतोषजनक है और इसमें भारी बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इसका अनुवाद करना लगभग असंभव है।

अभियुक्त द्वारा सटीक रूप से उपस्थित न होने का जोखिम

मौद्रिक शर्तें और यहां तक कि इसका मूल आधार कि अभियुक्त को भागने से रोकने के लिए वित्तीय नुकसान का जोखिम आवश्यक है, संदिग्ध वैधता का है। कई हैं। विचार जो एक अभियुक्त को भागने से रोकते हैं

न्याय और वित्तीय नुकसान का जोखिम उनमें से केवल एक है और वह भी कोई बड़ी बात नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैनहट्टन बेल प्रोजेक्ट और डी. सी. बेल प्रोजेक्ट जैसी प्रबुद्ध बेल परियोजनाओं के अनुभव से पता चलता है कि इसके बिना भी

मौद्रिक जमानत उपस्थिति को सुरक्षित करना संभव हुआ है

काफी बड़ी संख्या में मुकदमों में अभियुक्त। इसके अलावा, जमानत प्रणाली गरीबों के खिलाफ भेदभाव का कारण बनती है क्योंकि गरीब उन्हें जमानत देने में सक्षम नहीं होंगे।

उनकी गरीबी का लेखा जबकि धनी व्यक्ति अन्यथा इसी तरह की स्थिति में वे अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे क्योंकि वे जमानत देने का जोखिम उठा सकते हैं। यह

मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की राशि निर्धारित किए जाने पर भी भेदभाव पैदा होता है, क्योंकि आपराधिक मामलों में अदालतों के समक्ष लाए जाने वालों में से अधिकांश इतने गरीब हैं कि उन्हें किसी भी मामले में जमानत देने में भी मुश्किल होगी।

छोटी राशि।

गुजरात समिति ने यह भी बताया कि कैसे अभियुक्त की व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों और मुकदमे से पहले उसके भागने की बाध्यता जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखे बिना आरोप की प्रकृति के संदर्भ में जमानत की राशि लेने की प्रथा कठोर और दमनकारी है।

विज्ञापन गरीबों के साथ भेदभाव करता है:

जमानत प्रणाली की भेदभावपूर्ण प्रकृति यांत्रिक तरीके के कारण और अधिक तीव्र हो जाती है जिसमें

यह आम तौर पर संचालित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

सैद्धांतिक रूप से मजिस्ट्रेट के पास फिक्सिंग में व्यापक विवेकाधिकार है जमानत की राशि लेकिन व्यवहार में ऐसा लगता है कि जमानत की राशि लगभग हमेशा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। यह शुल्क की प्रकृति से संबंधित एक अनुसूची के अनुसार तय किया जाता है। [2022] 10 एस. सी. आर. को कम महत्व दिया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

संभावना है कि अभियुक्त अपने मुकदमे से पहले या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों में भागने का प्रयास करेगा, वही कारक जो सबसे अधिक प्रासंगिक लगते हैं यदि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। द. इन कारकों की अनदेखी करने और केवल अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यांत्रिक रूप से जमानत की राशि तय करने का परिणाम उन गरीबों के साथ भेदभाव करना है जो जमानत देने की क्षमता के संबंध में अमीरों के समान स्थिति में नहीं हैं। अदालतें अमीर और गरीब की जमानत देने की अंतर क्षमता को नजरअंदाज करके और उनके साथ समान व्यवहार करके अमीर और गरीब के बीच असमानता पैदा करती हैंः अमीर जिस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया है

परिस्थितियाँ उसकी रिहाई सुनिश्चित करने में सक्षम हैं जबकि गरीब उसकी गरीबी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये हैं।

जमानत प्रणाली में कुछ प्रमुख दोष क्योंकि इसे संचालित किया जाता है

आज।

राष्ट्रपति लिंडन बी. ने भी यही पीड़ा व्यक्त की।

जमानत सुधार अधिनियम, 1966 पर हस्ताक्षर करने के समयः

आज हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक प्रमुख विकास को मान्यता देने के लिए एकजुट हुए हैंः जमानत प्रणाली में सुधार।

यह व्यवस्था कायम रही है-पुरातन, अन्यायपूर्ण और वस्तुतः

1789 के न्यायपालिका अधिनियम के बाद से अप्रमाणित।

वर्तमान प्रणाली के तहत उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाता है? साधनों के साथ प्रतिवादी जमानत का भुगतान कर सकता है। वह अपनी स्वतंत्रता खरीद सकता है। लेकिन गरीब प्रतिवादी कीमत नहीं चुका सकता है। वह जेल के हफ्तों, महीनों और शायद यहाँ तक कि मुकदमे से कई साल पहले।

वह जेल में नहीं रहता क्योंकि वह दोषी है।

वह जेल में नहीं रहता क्योंकि उसे कोई सजा हो चुकी है।

पास हो गया।

वह जेल में नहीं रहता है क्योंकि उसके भागने की संभावना अधिक है।

मुकदमे से पहले।

वह केवल एक कारण से जेल में रहता है क्योंकि वह गरीब है।

टेंडर कुमार एंटिल वी। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

गरीबी और न्याय के प्रशासन में गरीबों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि जमानत प्रणाली में पूरी तरह से सुधार किया जाए ताकि गरीबों के लिए, अमीरों की तरह, न्याय के हित को खतरे में डाले बिना मुकदमे से पहले रिहाई प्राप्त करना संभव हो सके। 4. यह सही समय है जब हमारी संसद यह महसूस करे कि मौद्रिक नुकसान का जोखिम न्याय से भागने के खिलाफ एकमात्र निवारक नहीं है, बल्कि अन्य कारक भी हैं जो भागने के खिलाफ समान निवारक के रूप में कार्य करते हैं। हमारा एक समाजवादी गणराज्य है जिसमें सामाजिक न्याय हमारे संविधान के हस्ताक्षर के रूप में है और संसद को इस बात पर विचार करना अच्छा होगा कि क्या यह अधिक नहीं होगा।

हमारे संविधान के लोकाचार के अनुरूप है कि

वह दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन कानून के तहत भी, जैसा कि आज भी है, अदालतों को उस पुरानी अवधारणा को त्यागना चाहिए, जिसके तहत मुकदमे से पहले रिहाई का आदेश केवल जमानत के साथ जमानत के खिलाफ दिया जाता है। यह अवधारणा पुरानी हो चुकी है और अनुभव से पता चला है कि इसने अच्छे से ज्यादा नुकसान किया है। मुकदमे से पहले रिहाई के विषय में नई अंतर्दृष्टि जो सामाजिक रूप से उन्नत देशों और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित की गई है, अब मुकदमे से पहले रिहाई के संबंध में हमारी अदालतों के फैसलों को सूचित करना चाहिए। यदि न्यायालय संतुष्ट है, तो ध्यान में रखने के बाद, उसके समक्ष रखी गई जानकारी के आधार पर, कि अभियुक्त की जड़ें समुदाय में हैं और उसके फरार होने की संभावना नहीं है, यह अभियुक्त को उसके व्यक्तिगत मुचलके पर सुरक्षित रूप से रिहा कर सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अभियुक्त की जड़ें उस समुदाय में हैं जो

उसे भागने से रोकने के लिए न्यायालय को अभियुक्त से संबंधित निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिएः

1. समुदाय में उनके निवास की लंबाई, [2022] 10 एस. सी. आर.

2. उसकी रोजगार स्थिति, इतिहास और उसकी वित्तीय स्थिति,

3. उसके पारिवारिक संबंध और संबंध,

4. उसकी प्रतिष्ठा, चरित्र और आर्थिक स्थिति,

5. पूर्व के किसी भी रिकॉर्ड सहित उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड

मान्यता पर या जमानत पर रिहा करना,

6. समुदाय के जिम्मेदार सदस्यों की पहचान

जो उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि करेगा,

7. आरोपित अपराध की प्रकृति और दोषसिद्धि की प्रत्यक्ष संभावना और संभावित सजा जहां तक ये कारक गैर-उपस्थिति के जोखिम के लिए प्रासंगिक हैं,

और

8. समुदाय के साथ अभियुक्त के संबंधों का संकेत देने वाले या उपस्थित होने में जानबूझकर विफलता के जोखिम को प्रभावित करने वाले कोई अन्य कारक।

यदि न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने पर संतुष्ट होता है कि अभियुक्त का समुदाय में संबंध है और गैर-उपस्थिति का कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है, तो अभियुक्त को, जहाँ तक संभव हो, अपने व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। बेशक, अगर अदालत के संज्ञान में ऐसे तथ्य लाए जाते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आरोपी की स्थिति और पृष्ठभूमि, उसके पिछले रिकॉर्ड और अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे में उसकी गैर-उपस्थिति का पर्याप्त जोखिम हो सकता है, उदाहरण के लिए, जहां आरोपी एक कुख्यात खराब चरित्र या एक पुष्ट अपराधी है या अपराध गंभीर है (ये उदाहरण केवल उदाहरण के रूप में हैं), तो अदालत आरोपी को उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा नहीं कर सकती है और जमानत के साथ जमानत पर जोर दे सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में,

पारिवारिक संबंधों और संबंधों जैसे विचारों की जड़ें

अभियुक्त को उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने में समुदाय, रोजगार की स्थिति आदि अदालत के लिए प्रबल हो सकते हैं और विशेष रूप से उन मामलों में जहां अपराध गंभीर नहीं है और अभियुक्त को रिहा किया जा सकता है। गरीब या समुदाय के कमजोर वर्ग से संबंधित, रिहाई

जहाँ तक संभव हो, व्यक्तिगत बंधन को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन व्यक्तिगत मुचलके पर अभियुक्त को रिहा करते समय भी

न्यायालय को सावधान करने के लिए आवश्यक है कि बांड की राशि जिसे वह ठीक करता है वह केवल आवेश की प्रकृति पर आधारित नहीं होना चाहिए। बांड की राशि के संबंध में निर्णय TENDER KUMAR ANTIL V होना चाहिए।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अभियुक्त की व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों और उसके फरार होने की संभावना के आधार पर एक व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। बॉन्ड की राशि इन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए और इसे तय नहीं किया जाना चाहिए।

चार्ज की प्रकृति के अनुसार एक अनुसूची के अनुसार यांत्रिक रूप से। अन्यथा, अभियुक्त के लिए व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करके भी अपनी रिहाई सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। इसके अलावा, जब अभियुक्त को उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाता है, तो यह बहुत कठोर और दमनकारी होगा यदि उसे न्यायालय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है और अदालत के संबंध में हमने जो कहा है वह जमानत देते समय पुलिस के संबंध में समान रूप से लागू होना चाहिए-कि वह मुचलके की राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विलायक है यदि वह मुकदमे में उपस्थित होने में विफल रहता है और परिणामस्वरूप मुचलके को जब्त कर लिया जाता है।

अभियुक्त की ऋण शोधन क्षमता की जांच उसके लिए बड़े उत्पीड़न का स्रोत बन सकती है और अक्सर इसके परिणामस्वरूप उसे ऋण देने से इनकार कर दिया जाता है।

जमानत और स्वतंत्रता से वंचित और इसलिए, व्यक्तिगत बंधन की स्वीकृति की शर्त के रूप में इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि जमानत की प्रणाली, यहां तक कि मौजूदा कानून के तहत भी, उस तरीके से प्रशासित की जाती है जैसा हमने इस फैसले में संकेत दिया है, तो यह राहत की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

गरीबों की कठिनाई और उन्हें कारावास से पूर्व-परीक्षण रिहाई सुनिश्चित करने में मदद करें। यही कारण है कि हमने उन विचाराधीन कैदियों को निर्देश दिया है जिनके नाम इंडियन एक्सप्रेस के दो अंकों में दिए गए हैं, उन्हें उनके व्यक्तिगत मुचलके पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हमें आम तौर पर कहना चाहिए था कि उनके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला व्यक्तिगत बांड मौद्रिक के साथ होना चाहिए।

दायित्व लेकिन हमने एक असाधारण उपाय के रूप में निर्देश दिया कि व्यक्तिगत बांड में कोई मौद्रिक दायित्व की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

हमने पाया कि ये सभी व्यक्ति कई वर्षों से बिना मुकदमे के जेल में हैं, और कुछ मामलों में उन अपराधों के लिए जिनके लिए सजा उनकी नजरबंदी की अवधि से कम होगी और इसके अलावा, हम जो आदेश दे रहे थे

यह केवल एक अंतरिम आदेश था। विशिष्ट तथ्य और मामले की परिस्थितियों ने इस तरह के एक असामान्य पाठ्यक्रम को निर्देशित किया।

5. कानूनी और न्यायिक व्यवस्था की एक और कमजोरी भी है। प्रणाली जो विचाराधीन कैदियों को न्याय से इस घोर इनकार के लिए जिम्मेदार है और वह मामलों के निपटारे में कुख्यात देरी है। यह कानूनी और न्यायिक प्रणाली पर एक दुखद प्रतिबिंब है कि एक आरोपी का मुकदमा [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए भी शुरू नहीं होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्षों की लंबी संख्या। यहां तक कि मुकदमे की शुरुआत में एक साल की देरी भी काफी खराब हैः यह कितना बुरा हो सकता है जब देरी 3 या 5 या 7 या 10 साल तक हो। त्वरित सुनवाई आपराधिक न्याय का सार है और

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुकदमे में देरी अपने आप में न्याय से इनकार है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, त्वरित मुकदमा संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों में से एक है।

संविधान के छठे संशोधन में प्रावधान है किः

सभी आपराधिक अभियोजनों में, अभियुक्त को त्वरित और सार्वजनिक मुकदमे का अधिकार प्राप्त होगा।

इसी तरह मानवाधिकारों पर यूरोपीय समझौते के अनुच्छेद 3 में भी प्रावधान है किः

गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया प्रत्येक व्यक्ति उचित समय के भीतर मुकदमा चलाने या लंबित मुकदमे को रिहा करने का हकदार होगा।

हम सोचते हैं कि हमारे संविधान के तहत भी, हालांकि त्वरित सुनवाई

यह विशेष रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में गणना नहीं की गई है, यह अनुच्छेद 21 के व्यापक विस्तार और सामग्री में निहित है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम में व्याख्या की गई है। भारत संघ

[(1978) 2 एससीआर 621: (1978) 1 एस. सी. सी. 248] हमने उस मामले में माना है कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और यह उस अनुच्छेद की आवश्यकता के अनुपालन का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि किसी प्रक्रिया की कुछ झलक कानून द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, लेकिन यह कि प्रक्रिया "उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया के तहत अपनी स्वतंत्रता से वंचित है जो है -

"उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत" नहीं होने पर, इस तरह का अभाव अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, और वह

इस तरह के मौलिक अधिकार को लागू करने और उसकी रिहाई सुनिश्चित करने का अधिकार है। अब स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया 'उचित, निष्पक्ष या उचित' नहीं हो सकती है।

जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति के अपराध के निर्धारण के लिए त्वरित परीक्षण सुनिश्चित नहीं करती है। कोई प्रक्रिया नहीं

यह सुनिश्चित नहीं करता है कि एक उचित रूप से त्वरित सुनवाई को 'उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत' माना जा सकता है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि त्वरित सुनवाई, और त्वरित सुनवाई से हमारा मतलब है कि उचित रूप से त्वरित सुनवाई, एक अभिन्न TENDER KUMAR ANTIL V है।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

और अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन जो सवाल उठेगा वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका क्या परिणाम होगा?

न्याय प्रशासन के मामले में और अधिक अदालतों की स्थापना मुकदमों की सुनवाई के लिए। हम इंगित कर सकते हैं कि यह नहीं होगा

केवल और अधिक न्यायालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त है लेकिन राज्य

सरकार को उन्हें सक्षम न्यायाधीशों द्वारा भी नियुक्त करना होगा

और भर्ती के उद्देश्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक है

सक्षम न्यायाधीश, जैसे कि उनकी सेवा की शर्तों में सुधार,

यदि वे न्याय के प्रशासन की प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं और इसे बड़े पैमाने पर जनता तक न्याय पहुँचाने के लिए एक प्रभावी साधन बनाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार को यह करना होगा।

जिन लोगों के लिए न्याय आज अर्थहीन और खाली है

शब्द "।

हुसैन और अन्न। बनाम भारत संघ और अन्य। , 2017 (5) एससीसी

12 :

" 28. न्यायिक सेवा के साथ-साथ कानूनी सेवा भी किसी की तरह नहीं है। अन्य सेवाएँ। वे समाज की सेवा करने के लिए मिशन हैं। यदि कतार में प्रतीक्षा कर रहे वादी को लंबे समय तक अपनी बारी नहीं मिलती है तो मिशन पूरा नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों ने संकल्प लिया है कि सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए

पाँच वर्षों के भीतर जो किसी भी मानक द्वारा किसी मामले का निर्णय पहले न्यायालय में किए जाने के लिए काफी लंबा समय है। हिरासत में विचाराधीन कैदियों के मामलों का निर्णय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। त्वरित सुनवाई के अधिकार को लागू करने में हर स्तर पर बाधाएं हैं-निहित स्वार्थ या बेईमान तत्व [2022] 10 एस. सी. आर. में देरी करने की कोशिश करते हैं।

कार्यवाही। बुनियादी ढांचे की कमी एक और बाधा है। सभी बाधाओं के बावजूद, हर स्थिति में दृढ़ प्रयासों की आवश्यकता होती है मिशन की सफलता के लिए स्तर। निरंतर सोच और निगरानी के माध्यम से तरीके और साधनों का पता लगाना होगा। न्यायालय का पीठासीन अधिकारी असहायता की स्थिति में आराम नहीं कर सकता है। यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक प्रावधान करे

अवसंरचना और उच्च न्यायालयों का अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करना ताकि मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में पहला कदम उच्च न्यायालय के स्तर पर और उसके बाद प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के स्तर पर एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार करना है। कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयासों और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी।

29.1. 1 . जमानत आवेदनों का निपटान सामान्य रूप से एक सप्ताह के भीतर किया जाए। 29.1. 2 . मजिस्ट्रेट मुकदमे, जहां आरोपी हिरासत में हैं, आम तौर पर छह महीने के भीतर और सत्र मुकदमे जहां

अभियुक्त हिरासत में हैं जिन्हें आम तौर पर दो साल के भीतर समाप्त कर दिया जाता है।

29.1. 4 . धारा 436-ए के पूरक के रूप में, लेकिन इसकी भावना के अनुरूप, यदि किसी विचाराधीन व्यक्ति ने अवधि पूरी कर ली है - यदि दोषसिद्धि दर्ज की जाती है तो दी जाने वाली सजा से अधिक की अभिरक्षा ऐसे विचाराधीन कैदी को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। इस तरह का आकलन समय-समय पर संबंधित निचली अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए।

29.1. 5 . उपरोक्त समयसीमा वार्षिक गोपनीयता में न्यायिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण आधार हो सकती है।

रिपोर्ट करते हैं। 29.2 . उच्च न्यायालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके समक्ष दायर जमानत याचिकाओं पर जहां तक संभव हो एक महीने के भीतर निर्णय लिया जाए और आपराधिक अपीलें जहां आरोपी पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

29.3 . उच्च न्यायालय तैयार कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उपयुक्त कार्य योजनाएँ;

29.4 . उच्च न्यायालय त्वरित कदमों की निगरानी कर सकते हैं

से प्रशासनिक और न्यायिक पक्ष पर जांच और परीक्षण

समय-समय पर; 29.5 . उच्च न्यायालय ऐसे कठोर उपाय कर सकते हैं -

इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में आवश्यक पाया जा सकता है हरीश उप्पल [हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ, (2003) 2

एससीसी 45]।

30. तदनुसार, हम सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करते हैं न्यायालयों को तुरंत उचित कदम उठाने के लिए

हुसैनारा खातून [हुसैनारा] में इस न्यायालय के निर्देश

खातून (7) v. बिहार राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. 326: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 913], अख्तरी बी [अख्तरी बी वी। एम. पी. राज्य, (2001) 4

एससीसी 355: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 714], नूर मोहम्मद [नूर]

मोहम्मद बनाम। जेथानंद (2013) 5 एस. सी. सी. 202: (2013) 2 एससीसी

(सी. आर. वी.) 754], थाना सिंह [थाना सिंह बनाम। केंद्रीय ब्यूरो नार्कोटिक्स, (2013) 2 एस. सी. सी. 590: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 818]

सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति [सुप्रीम कोर्ट कानूनी

सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) v. संघ भारत का, (1994) 6 एस. सी. सी. 731, पैरा 15: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 39], इम्तियाज अहमद [इम्तियाज अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 688 (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 986], [इम्तियाज अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 3 एस. सी. सी. 658 (2017) 3 एस. सी. सी. 665 (2017) 2 एस. सी. सी. (सिविल) 311: (2017) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 318: (2017) 2 एससीसी (सीआरआई) 228: (2017) 2 एससीसी (सीआरआई) 235: (2017) 1 एससीसी (एल एंड एस) 724: (2017) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 731], हरीश उप्पल [हरीश उप्पल बनाम। संघ का

भारत, (2003) 2 एस. सी. सी. 45] और मुख्य न्यायाधीशों का संकल्प

सम्मेलन और अवलोकन यहाँ ऊपर और होना चाहिए

प्रशासनिक क्षेत्र में उचित निगरानी तंत्र

निपटान में तेजी लाने के लिए न्यायिक पक्ष के साथ-साथ

अधीनस्थ न्यायालयों और अपीलों में लंबित विचाराधीन मामलों

उच्च न्यायालयों में लंबित "।

सुरिंदर सिंह @शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2005

) एससीसी 387:

" 8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने बार-बार जोर दिया है

तथ्य यह है कि त्वरित सुनवाई एक मौलिक अधिकार है जो [2022] 10 एस. सी. आर. में निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार और विषय-वस्तु। उपरोक्त अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वंचित है

एक ऐसी प्रक्रिया के तहत उसकी स्वतंत्रता का जो उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत नहीं है, इस तरह का अभाव उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार। इस न्यायालय द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया से ऐसे व्यक्ति के अपराध के निर्धारण के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। यह माना जाता है कि कुछ मात्रा में अभाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन यदि मुकदमे के लंबित रहने की अवधि अनुचित रूप से लंबी हो जाती है, तो निष्पक्षता का आश्वासन

अनुच्छेद 21 को झटका लगेगा। ये त्वरित सुनवाई के विषय से निपटने वाले इस न्यायालय के कई फैसलों में की गई टिप्पणियां हैं। इस मामले में, हम उस मामले से चिंतित हैं जहां एक व्यक्ति को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और जिसे सजा सुनाई गई है।

आजीवन कारावास। दंड प्रक्रिया संहिता ऐसे दोषी को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब ऐसे दोषी द्वारा की गई अपील का उचित समय के भीतर निपटारा नहीं किया जा सकता है। कश्मीरा सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(1977) 4 एससीसी 291: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 559] इस न्यायालय ने ऐसे मामले पर विचार किया। यह देखा जाता हैः (एससीसी पीपी। 292-93 , पैरा 2)

" आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं करने की प्रथा उच्च न्यायालय में विकसित की गई थी।

न्यायालयों और इस न्यायालय में इस आधार पर कि एक बार किसी व्यक्ति के पास है

निर्दोष पाए जाने पर उसे अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रथा के तर्क का कोई आवेदन नहीं हो सकता है जहां न्यायालय पांच या छह साल के लिए अपील का निपटारा करने की स्थिति में नहीं है। यह वास्तव में होगा किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए पाँच या छह साल की अवधि के लिए जेल में रखना न्याय का उपहास होगा जो अंततः उसके द्वारा नहीं किया गया पाया जाता है। क्या अदालत कभी उसे उसके कारावास के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है जो कि TENDER KUMAR ANTIL v पाया गया है।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

सुनवाई के लिए उसकी अपील पर विचार करने से पहले कारावास की पूरी अवधि। क्या एक न्यायाधीश अपील सुनने के बाद ऐसे व्यक्ति को बरी करते समय पश्चाताप की भावना से अभिभूत नहीं होगा? क्या यह उनके न्याय की भावना का अपमान नहीं होगा? ऐसे व्यक्ति को बरी करने से क्या लाभ होगा जो क्या उसने अपनी कारावास की अवधि पहले ही पूरी कर ली है या कम से कम उसका एक बड़ा हिस्सा? इसलिए, यह नितांत आवश्यक है कि जिस प्रथा का यह न्यायालय अतीत में पालन कर रहा है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जब तक यह न्यायालय किसी अभियुक्त की अपील को उचित अवधि के भीतर सुनने की स्थिति में नहीं है, तब तक न्यायालय को सामान्य रूप से, जब तक कि अन्यथा कार्य करने के लिए ठोस आधार न हों, इस मामले को छोड़ देना चाहिए।

उन मामलों में जमानत पर अभियुक्त जहां अभियुक्त को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई है और वाक्य "।

9. इसी तरह की टिप्पणियां इस न्यायालय के कुछ अन्य फैसलों में पाई जाती हैं जिन्हें हमारे संज्ञान में लाया गया है। लेकिन, हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी निर्णय केवल व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं जिन्हें अदालतों को अदालत के समक्ष अपीलार्थी को जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी निर्णय में हिरासत में हिरासत की एक निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर जमानत देने के लिए कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं दिया गया है। वास्तव में किसी विवेकाधीन मामले में, जैसे कि जमानत देना या अस्वीकार करना, किसी भी तरह का प्रावधान करना असंभव होगा।

अपरिवर्तनीय नियम या एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र विकसित करें। न्यायालय को सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ क्या हैं, जिन्हें अदालत को ध्यान में रखना चाहिए, इस देश में अदालतों द्वारा वर्षों से बड़ी संख्या में निर्णय लिए गए हैं जो सर्वविदित हैं। इसलिए, यह [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए व्यर्थ है।

इस प्रकार के किसी भी अपरिवर्तनीय नियम या सूत्र को निर्धारित करने का प्रयास विषय हैं।

10. पक्षकारों के वकील ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि हालाँकि पंजाब की अदालतों द्वारा इसे इस तरह से समझा गया है, लेकिन धरम पाल मामले [(2000) 1 चान एल. आर. 74] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय केवल दिशानिर्देश निर्धारित करता है, न कि कोई अपरिवर्तनीय नियम। दुर्भाग्य से, निर्णय लिया गया है

जिस तरह से उपरोक्त निर्णय में सिद्धांतों को जोड़ा गया है, उसे देखते हुए न्यायालय द्वारा गलत समझा गया है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और न्यायालयों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने धरम पाल मामले [(2000) 1 चान एल. आर. 74] में कहाः (चान एल. आर. पी. 87, पैरा 18)

यदि वे इस उद्देश्य के लिए आवेदन करते हैं तो उनकी अपीलों की सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। हमारी यह भी राय है कि वही सिद्धांत कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों पर लागू होने चाहिए और ऐसे कैदियों को भी निलंबन की मांग करने के बाद रिहा करने का अधिकार होना चाहिए। उनके वाक्य। हम आगे निर्देश देते हैं कि दोषसिद्धि के बाद कम से कम दो साल के कारावास के साथ महिलाओं और नाबालिगों के लिए पांच साल की अवधि घटाकर चार कर दी जाएगी। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ जमानत देना ही कानून द्वारा वर्जित है।

संहिता की धारा 389

इसके द्वारा लिखित रूप में आदेश दें कि सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित किया जाए और यह भी कि, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए। बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने से पहले एक दोषी व्यक्ति जिसे मौत या आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है, उसे अटेंडर कुमार एंटील v देगा।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

लोक अभियोजक को लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर

इस तरह की रिहाई के खिलाफः बशर्ते कि उन मामलों में जहां एक दोषी व्यक्ति है

(2) इस धारा द्वारा किसी अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में अपील के मामले में भी किया जा सकता है। (3) जहाँ दोषी व्यक्ति उस न्यायालय को संतुष्ट करता है जिसके द्वारा वह दोषी ठहराया गया है कि वह एक अपील प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, न्यायालय

करेगा,

((i) जहां ऐसे व्यक्ति को जमानत पर होने के कारण सजा सुनाई जाती है - तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, या

((ख) जहाँ ऐसा व्यक्ति अपराध कर चुका हो।

दोषी एक जमानती है, और वह जमानत पर है, आदेश देता है कि दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, जब तक कि जमानत से इनकार करने के लिए विशेष कारण न हों, ऐसी अवधि के लिए जो वह वहन कर सके। अपील प्रस्तुत करने और उप-धारा (1) के तहत अपीलीय न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय, और कारावास की सजा, जब तक वह जमानत पर रिहा होता है, तब तक निलंबित माना जाएगा।

(4) जब अपीलार्थी को अंततः एक अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो जिस समय के दौरान उसे इस तरह रिहा किया जाता है, उसे उस अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे इस तरह की सजा सुनाई गई है।

42. संहिता की धारा 389 परिस्थितियों से संबंधित है।

एनजी अपील जिससे अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सके। शक्ति।

धारा 389 के तहत धारा दोनों में से एक से अलग है।

.43. सजा का निलंबन सजा को अंतिम निर्णय तक रखने का एक कार्य है। हालाँकि अपील लेने में देरी निश्चित रूप से एक कारक और [2022] 10 एस. सी. आर. के तहत उपलब्ध लाभ होगा।

436 ए पर भी विचार किया जाएगा, न्यायालयों को निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि सहित कारकों को देखना होगा। जब यह कहा जाए कि अपीलों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की संभावना नहीं है, तो विलंब निश्चित रूप से अपीलार्थी के पक्ष में एक कारक होगा।

. इस प्रकार, हमारा मानना है कि मुख्य अपील को लेने में देरी या अन्य कारकों की धारा 436 ए के तहत प्रदान किए गए लाभ के साथ एक अनुकूल रिहाई के लिए विचार किया जाना चाहिए।

पीछे हटने वालेःअतुल त्रिपाठी बनाम यू. पी. राज्य और ए. एन. आर. , 2014 (9) एससीसी 177:

" 13. यह देखा जा सकता है कि धारा 439 के तहत जमानत पर विचार करने की प्रक्रिया के बीच एक स्पष्ट अंतर है, जो कि दोषसिद्धि से पहले का चरण है और धारा 389 सी. आर. पी. सी., जो कि दोषसिद्धि के बाद का चरण है। धारा 439 के मामले में, संहिता में प्रावधान है कि लोक अभियोजक को केवल तब तक नोटिस दिया जाए जब तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से पहले अव्यावहारिक न हो, जिस पर विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध का आरोप है या जहां अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास है; जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दोषसिद्धि के बाद जमानत के मामले में, जहां एक गंभीर अपराध के संबंध में दोषसिद्धि

दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास, यह अनिवार्य है कि अपीलीय अदालत जनता को एक अवसर दे इस तरह की रिहाई के खिलाफ लिखित में कारण दिखाने के लिए अभियोजक।

14. ..... यदि अपीलीय न्यायालय दोषी को जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो लोक अभियोजक अपीलार्थी को जमानत पर क्यों नहीं छोड़ा जाए, इसके बारे में लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर दिया गया। इस तरह का कड़ा प्रावधान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों से अवगत कराया जाए ताकि अदालत इस बात पर विचार कर सके कि क्या यह अपराध करने के तरीके, अपराध की गंभीरता, उम्र को ध्यान में रखते हुए रिहाई के लिए उचित मामला है या नहीं।

दोषी की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय-वितरण प्रणाली आदि में जनता के विश्वास पर प्रभाव। लोक अभियोजक को ऐसा अवसर दिए जाने के बावजूद, यदि लिखित रूप में कोई कारण नहीं दिखाया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय दर्ज करेगा कि राज्य ने लिखित रूप में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य TENDER KUMAR ANTIL V है।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिलीभगत का कोई आरोप न हो और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंभीर अपराधों के संबंध में जमानत देने के लिए प्रासंगिक विचारों के संबंध में न्यायालय को सही और सही तथ्यों के साथ राज्य द्वारा उचित रूप से सहायता प्रदान की जाए,

दोषसिद्धि के बाद के चरण में "।

अंगाना वी. राजस्थान राज्य, (2009) 3 एससीसी 767:

" 14. जब उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की जाती है, तो न्यायालय के पास सजा को निलंबित करने की पर्याप्त शक्ति और विवेकाधिकार होता है, लेकिन उस विवेकाधिकार का प्रयोग प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

मामला। सजा के निलंबन पर विचार करते समय, प्रत्येक मामले पर अपराध की प्रकृति, जिस तरह से घटना हुई थी, क्या पहले दी गई जमानत का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया गया था, के आधार पर विचार किया जाना है। वास्तव में, कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं है जिसे विवेक का प्रयोग करने में लागू किया जा सके। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ आपराधिक दंड संहिता की धारा 389 के तहत दोषी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते समय न्यायिक विवेक के प्रयोग को नियंत्रित करेंगी।

प्रक्रिया संहिता "।

सुनील कुमार बनाम। विपिन कुमार (2014) 8 एससीसी 868:

" 13. हमने दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों को सुना है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को जमानत पर बढ़ाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का सही उपयोग किया है। सबसे पहले, दोनों अपराधी दोनों पक्षों द्वारा दायर अपील और आपराधिक पुनरीक्षण उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं जिसका अर्थ है कि प्रत्यर्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। दूसरा, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादियों को पहले जमानत दी गई थी और उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया था। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने एक अलग संस्करण के साथ घटना की घटना को स्वीकार किया था।

14. हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया है कि

निकट भविष्य में अपील की सुनवाई की संभावना बहुत कम है, इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को ठोस कानूनी तर्क के आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया है। हम इस स्तर पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। "[2022] 10 एस. सी. आर.

45. तथापि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यदि न्यायालय अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक है, तो इसे उप-धारा (1) द्वारा सुगम बनाए गए उसके स्वयं के मुचलके पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

संहिता की धारा 436 ए

436 ए. अधिकतम अवधि जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। जहां किसी व्यक्ति ने इस संहिता के तहत जांच, जांच या मुकदमे की अवधि के दौरान अपराध किया है।

किसी भी कानून के तहत (जिसके लिए मौत की सजा को उस कानून के तहत दंड में से एक के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है) उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, उसे अदालत द्वारा रिहा कर दिया जाएगा।

प्रतिभू के साथ या उसके बिना उसके व्यक्तिगत बंधन पर:

बशर्ते कि न्यायालय, लोक अभियोजक को सुनने के बाद और उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे व्यक्ति को उससे अधिक समय तक निरंतर हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है।

उक्त अवधि का आधा या उसे जमानत पर रिहा करें

प्रतिभू के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत बंधनः बशर्ते कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में नहीं होगा

जांच, जांच या मुकदमे की अवधि के दौरान कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए हिरासत में लिया गया

उस कानून के तहत उक्त अपराध।

स्पष्टीकरण। इसके तहत निरोध की अवधि की गणना करने में

जमानत देने के लिए धारा, अभियुक्त द्वारा की गई कार्यवाही में देरी के कारण पारित निरोध की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

46. संहिता की धारा 436 ए को 2005 के अधिनियम 25 द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रावधान के पीछे एक प्रशंसनीय उद्देश्य है, विशेष रूप से जमानत देने के दृष्टिकोण से। यह प्रावधान अधिकतम अवधि तय करता है जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। इस अवधि को जाँच, जाँच और मुकदमे के दौरान अभियुक्त की अभिरक्षा के साथ गिना जाना चाहिए। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 'परीक्षण' शब्द को एक विस्तारित अर्थ देना होगा, विशेष रूप से जब कोई अपील या प्रवेश लंबित हो। इस प्रकार, एक ऐसे मामले में जहां एक अपील लंबे समय से लंबित है, इसे धारा 436 ए के तहत लाने के लिए, सभी रूपों में कारावास की अवधि की गणना करनी होगी, और संशोधन के लिए भी।

47. इस प्रावधान के तहत, जब किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, तो उसे अदालत द्वारा उसके व्यक्तिगत गवाह कुमार एंटील v पर रिहा कर दिया जाएगा।

उक्त अवधि के आधे से अधिक समय तक निरंतर निरोध की आवश्यकता होती है। हालांकि, शक्ति के इस तरह के प्रयोग की उम्मीद है सामान्य नियम के अपवाद के रूप में संयम से किया गया। एक बार फिर, हमें दोहराना होगा कि 'जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है'

निर्दोषता की धारणा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के साथ। हमारे पास कोई नहीं है।

हमारे मन में संदेह है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 21 का मूल उद्देश्य होने के नाते स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाने वाला है। प्रस्तुत एकमात्र चेतावनी स्पष्टीकरण के तहत अभियुक्त को बाहर किए जाने के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है। भीम सिंह बनाम में यह अदालत। भारत संघ, (2015) 13 एस. सी. सी. 605 ने उपरोक्त प्रावधान पर विचार करते हुए निर्देश दिया है किः

" 5. धारा 436-ए में निहित विधायी नीति और जेलों में रखे गए बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि हमारे द्वारा कुछ आदेश पारित किए जाने के योग्य हैं ताकि विचाराधीन कैदियों को धारा 436-ए के तहत प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक जेल में हिरासत में नहीं रखा जाए।

6. हम, तदनुसार, निर्देश देते हैं कि क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक जेल/जेल में दो महीने के लिए एक सप्ताह में एक बैठक आयोजित करेंगे। जेल में अपनी बैठकों में, उपरोक्त न्यायिक अधिकारी उन विचाराधीन कैदियों की पहचान करेंगे जिन्होंने कानून के तहत उक्त अपराध के लिए प्रदान की गई अधिकतम अवधि या कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि पूरी कर ली है और

धारा 436 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसे व्यक्तियों की रिहाई के लिए जेल में ही एक उचित आदेश पारित करें।

विचाराधीन कैदी जो अपनी तत्काल रिहाई के लिए धारा 436-ए की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ऐसे क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायाधीश ऐसी प्रत्येक बैठक की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रस्तुत करेंगे और दो महीने के अंत में, प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के महासचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बिना किसी देरी के। उपरोक्त आदेश के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम प्रत्येक जेल/जेल के जेल अधीक्षक को उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा अदालत की बैठक आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देते हैं। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को भेजी जाएगी, जो बदले में इस आदेश की प्रति भेजेगा।

आवश्यक होने पर अपने राज्य के भीतर सभी सत्र न्यायाधीशों को आदेश

अनुपालन "।

48. यदि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है

अनावश्यक को रोकने के लिए अनुपालन की उम्मीद की जाती है

विचाराधीन कैदियों का प्रत्यर्पण, और दोषी साबित होने तक निर्दोषता के विकल्प के अलंघनीय सिद्धांत को बनाए रखना।

संहिता की धारा 437

अपराध। - 1 [(1) जब कोई व्यक्ति अभियुक्त या संदिग्ध हो के, किसी गैर-जमानती अपराध के करने को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है या इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या लाया जाता है।

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है,

लेकिन

संज्ञेय अपराध और वह पहले मौत, आजीवन कारावास या सात साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, या वह पहले दो या दो से अधिक अवसरों पर दोषी ठहराया गया था। तीन
साल या उससे अधिक लेकिन सात साल से कम के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराधः

बशर्ते कि न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए यदि ऐसा व्यक्ति

सोलह वर्ष से कम आयु की है या महिला है या बीमार है या

कमजोरः बशर्ते कि न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि कोई व्यक्ति

खंड (ii) में निर्दिष्ट जमानत पर रिहा किया जाए यदि इसका समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायसंगत और उचित हैः

टेंडर कुमार एंटिल वी। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

बशर्ते कि केवल यह तथ्य कि एक अभियुक्त व्यक्ति

जाँच के दौरान गवाहों द्वारा पहचाने जाने के लिए आवश्यक होना जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा यदि वह अन्यथा जमानत पर रिहा होने का हकदार है और एक वचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं:]

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, यदि उसके द्वारा किया गया कथित अपराध मौत, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस उप-धारा के तहत न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

जाँच, जाँच या मुकदमा, जैसा भी मामला हो, कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं हैं कि अभियुक्त ने अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया है, लेकिन अपने अपराध की आगे की जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं, इसलिए वह धारा 446 ए के प्रावधानों के अधीन होगा और इस तरह का अपराध लंबित रहेगा।

जाँच, जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के विवेकाधिकार पर, उसके द्वारा उसकी उपस्थिति के लिए बिना किसी प्रतिभूति के बांड के निष्पादन पर जारी की जाएगी, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है। (3) जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय VI, अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत कारावास या अपराध के लिए सात साल या उससे अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध करने का आरोपी या संदिग्ध होता है या ऐसा कोई अपराध करने का प्रयास करता है, तो उसे उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा किया जाता है।

(क) कि ऐसा व्यक्ति के अनुसार उपस्थित होगा

इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तें,

(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए वह अभियुक्त है, या संदेह है,

(ग) कि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसा करने से रोका जा सके। न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करना या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करना, और [2022] 10 एस. सी. आर. में भी अधिरोपित कर सकता है।

न्याय के हित, ऐसी अन्य शर्तें जो वह मानती हैं

) आवश्यक है।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने वाला अधिकारी या न्यायालय लिखित रूप में अपना या अपनी पत्नी का नाम दर्ज करेगा।

इसके कारण या ऐसा करने के विशेष कारण।

(5) कोई भी न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत जमानत पर रिहा कर दिया है, यदि वह इसे आवश्यक समझता है

ऐसा करने के लिए, निर्देश दें कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे प्रतिबद्ध किया जाए

अभिरक्षा। (6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य किसी भी मामले में, किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति का मुकदमा मामले में साक्ष्य लेने के लिए निर्धारित पहली तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह उक्त पूरी अवधि के दौरान हिरासत में है, तो मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा किया जाएगा, जब तक कि लिखित रूप में कारण दर्ज न किए जाएं।

मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश देता है।

(7) यदि, किसी भी समय, किसी व्यक्ति के मुकदमे के समापन के बाद

गैर-जमानती अपराध का अभियुक्त और निर्णय से पहले

वितरित, न्यायालय की राय है कि उचित हैं यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है, यह अभियुक्त को, यदि वह हिरासत में है, उसके द्वारा उसकी उपस्थिति के लिए बिना किसी प्रतिभूति के मुचलके के निष्पादन पर रिहा कर देगा।

दिए गए फैसले को सुनने के लिए। "

49. वारेन हेस्टिंग्स पर उनकी गतिविधियों के लिए महाभियोग चलाने की मांग

एकलोनियल काल, सर एडमंड बर्क मैडेथे प्रसिद्ध के बादन्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित ब्रायन, विलियम एनजीएस द्वारा लिखित "द वल्ड्र्स फेमस ओरेशन" में लिखा गया हैः फंक एंड वैगनल्स कंपनी, 1906:

" कानून और मनमानी शक्ति शाश्वत शत्रुता में हैं। मुझे ए नाम दें। मजिस्ट्रेट, और मैं संपत्ति का नाम दूंगा; मुझे शक्ति का नाम दें, और मैं सुरक्षा का नाम दूंगा। यह शब्दों में एक विरोधाभास है, यह धर्म में ईशनिंदा है, यह राजनीति में दुष्टता है, यह कहना कि किसी भी व्यक्ति के पास मनमानी शक्ति हो सकती है। पद के प्रत्येक पेटेंट में शुल्क शामिल है। के लिए

मजिस्ट्रेट के अलावा और क्या है? मान लीजिए कि सत्ता एक है

विचार में मूर्खता। न्यायाधीश शाश्वत द्वारा निर्देशित और शासित होते हैं।

न्याय के कानून, जिनके हम सभी अधीन हैं। हम अपने को काट सकते हैं

जंजीरों, अगर हम चाहेंगे, लेकिन हम खुद को जानने के लिए बनाए जाएंगे, और होंगे

सिखाया कि मनुष्य कानून द्वारा शासित होने के लिए पैदा हुआ है; और वह जो करेगा

बिनि जायगायाव सोलायनाया इसोरनि सुथुर। " सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम।

50. संहिता की धारा 437 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत से संबंधित एक प्रावधान है। यहाँ फिर से, जमानत नियम है लेकिन अपवाद तब आएगा जब अदालत का समाधान हो कि उचित आधार हैं कि आरोपी मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी रहा है। इसी तरह, यदि उक्त व्यक्ति को पहले मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास या पहले दो या दो से अधिक अवसरों पर दोषी ठहराए जाने पर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

51. संहिता की धारा 437 के प्रावधान में कहा गया है कि जब अभियुक्त सोलह वर्ष से कम आयु का हो, बीमार हो या दुर्बल हो या कोई अन्य व्यक्ति हो।

महिला एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जाहिर है, अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि आरोपी व्यक्ति बीमार या कमजोर है। महिलाओं से संबंधित एक मामले में, अदालत से कुछ दिखाने की उम्मीद है

संवेदनशीलता। हम पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दे चुके हैं कि संज्ञेय अपराध करने वाली कई महिलाएं गरीब और अनपढ़ हैं। कई मामलों में, छोटे होने पर उन्हें बच्चों की देखभाल करनी होती है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जब बच्चों को जेलों में रहना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि 1000 से अधिक बच्चे अपनी माताओं के साथ जेलों में रह रहे हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अदालतों से ध्यान देने की उम्मीद की जाती है क्योंकि इसमें न केवल अभियुक्त का हित शामिल होगा, बल्कि उन बच्चों का भी हित शामिल होगा जिनके जेलों में आने की उम्मीद नहीं है। उनके न केवल गरीबी के साथ बल्कि अपराध के साथ भी विरासत में मिलने का गंभीर खतरा है। 52. धारा 437 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय अदालत की शक्ति काफी अधिक होती है। सामान्य सिद्धांत के अलावा जो हम

चर्चा की है, अदालत को विशेष पर जमानत देने का भी अधिकार है

कारणों से। उक्त शक्ति का प्रयोग संहिता की धारा 41 और 41 ए के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए। यदि जांच एजेंसियों या अदालत द्वारा शक्तियों का उचित प्रयोग किया जाता है, तो विचाराधीन कैदियों की अधिकांश समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। 53. धारा 437 का परंतुक मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध पर विचार करते समय विद्वान लोक अभियोजक को एक अवसर प्रदान करने का आश्वासन देता है। हालाँकि, यह परंतुक धारा 437 (1) में निहित मुख्य प्रावधान के विपरीत प्रतीत होता है, जो एक सकारात्मक निर्देश के माध्यम से, मजिस्ट्रेट को [2022] 10 एस. सी. आर. के दोषी व्यक्ति को रिहा करने से रोकता है।

मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। यह सामान्य बात है कि मुख्य प्रावधान में एक प्रावधान को समझना होता है। धारा 437 (1) (i) एक अलग क्षेत्र में काम करती है। उद्देश्य विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध को बाहर करना है। इस प्रकार, किसी को संहिता की धारा 437 और 439 को संयुक्त रूप से पढ़कर परंतुक को समझना होगा, क्योंकि बाद का प्रावधान एक विचारण योग्य अपराध पर विद्वान मजिस्ट्रेट के बहिष्कार के लिए उपरोक्त प्रावधान को दोहराता है।

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा। स्थिति स्पष्ट करने के लिए, यदि मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र मिला है जिसके लिए

अधिकतम सजा या तो जीवन या मृत्यु है, जब ऐसा अधिकार क्षेत्र विद्वान मजिस्ट्रेट को प्रदान किया जाता है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि आरोपी को कथित अपराध के लिए जमानत पर रिहा करने की शक्ति भी हो सकती है -

व्यायाम किया। प्रहलाद सिंह भाटी बनाम में यह न्यायालय। एन. सी. टी., दिल्ली (2001) 4

एस. सी. सी. 280 ने कहा हैः

" 7. मजिस्ट्रेट की शक्तियां, जमानत देने के आवेदनों पर विचार करते समय, उस अपराध के लिए निर्धारित सजा द्वारा विनियमित होती हैं जिसमें जमानत मांगी जाती है। आम तौर पर अगर

निर्धारित दंड आजीवन कारावास और मृत्युदंड के लिए है और अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जब तक कि मामला संहिता की धारा 437 से जुड़े प्रावधानों के दायरे में न आए। मजिस्ट्रेट की अधिकारिता को सीमित करने वाली सीमाएँ स्पष्ट और स्पष्ट हैं। आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र की धारणा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से अलग है।

54. हम बालासाहेब सतभाई मर्चेंट कूप बैंक लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं। बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1261:

" 13. इस स्तर पर, अम्बरीश रंगशी पटनीगेरे बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है। की स्थिति

महाराष्ट्र "संदर्भित सुप्रा, जो इस प्रकार है -

" 17. यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि विद्वान वकील

हस्तक्षेपकर्ता ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास नहीं था

धाराओं के तहत अपराधों के कारण जमानत देने का अधिकार क्षेत्र

467 और आई. पी. सी. 409 में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कारावास। विद्वान वकील के अनुसार, यदि अपराध मौत या आजीवन कारावास की सजा के साथ दंडनीय है, तो SATENDER KUMAR V.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

मजिस्ट्रेट धारा 437 (1) Cr.P.C के तहत जमानत नहीं दे सकते हैं, जब तक कि उसमें विशेष आधार का उल्लेख न हो। उन्होंने इस संबंध में प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम सहित कुछ अधिकारियों पर भरोसा किया। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. जेटी 2001 (4) एससीसी 280। उस मामले में, अपराध धारा 302 के तहत था जो मौत की सजा या आजीवन कारावास से दंडनीय है और विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। धारा 409 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा है। इसी तरह, धारा 467 के तहत कार्यालय भी है

आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय। भले ही अधिकतम सजा जो दी जा सकती है वह आजीवन कारावास है, Cr.P.C के साथ संलग्न अनुसूची के भाग I के अनुसार, इन दोनों अपराधों पर एक-दूसरे द्वारा विचार किया जा सकता है।

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा के तहत कई अपराध हैं। 326 दण्ड संहिता, 1860 में, जिसमें सजा, जो दी जा सकती है, आजीवन कारावास या कम अवधि के लिए कारावास है और ऐसे अपराधों पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई करने और निर्णय देने और दोषसिद्धि या बरी करने का आदेश देने का अधिकार है, तो यह समझना मुश्किल है कि वह जमानत देने का आदेश क्यों नहीं दे सकता है, जो इस मामले में अंतर्वर्ती है।

प्रकृति, ऐसे मामलों में। वास्तव में, धारा 437 (1) Cr.P.C के तहत प्रतिबंध उन अपराधों के संबंध में है जो मौत या आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा के साथ दंडनीय हैं।

कारावास। यदि अपराध आजीवन कारावास या किसी अन्य कम सजा के साथ दंडनीय है और मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास जमानत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस दृष्टिकोण को लेते हुए, मुझे तुलाराम और अन्य में नागपुर न्यायिक आयुक्त न्यायालय के पुराने निर्णय का समर्थन प्राप्त है। वी. सम्राट 27 Cri.L.J. 1926 पृष्ठ 1063 और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी बनाम सत्यन। राज्य 1981 करोड़ रु. एल. जे. 1313 सत्यान में, केरल उच्च न्यायालय ने पहले के कई निर्णयों पर विचार किया और पैरा 7 और 8 में इस प्रकार टिप्पणी की:

" 7. विद्वान मजिस्ट्रेट के अनुसार धारा 437 (1) उसे किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं देती है यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसने मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है। दूसरे शब्दों में विद्वान [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ने धारा 437 (1) में "मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध" अभिव्यक्ति की व्याख्या उन सभी अपराधों को शामिल करने के लिए की है जहां सजा आजीवन कारावास तक फैली हुई है। इस तर्क को, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक पुराने रंगून मामले एच. एम. बौडविले बनाम में अपनाया गया है।

सम्राट, ए. आई. आर 1925 129: (1925) 26 सी. आर. आई. एल. जे. 427 धारा 497 Cr.P.C 1898 में "मौत या आजीवन परिवहन के साथ दंडनीय अपराध" वाक्यांश की व्याख्या करते हुए। लेकिन उस मामले को मुहम्मद यूसूफ बनाम में अस्वीकार कर दिया गया था। सम्राट, आकाशवाणी 1926 रंग 51: (1926) 27 Cri LJ 401)। रंगून उच्च न्यायालय ने माना कि इसके खिलाफ प्रतिबंध

जमानत देना उन मामलों तक सीमित है जहां सजा या तो मौत है या जीवन के लिए वैकल्पिक परिवहन है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह यह था कि पुरानी संहिता की धारा 497 में "मृत्यु या जीवन के लिए परिवहन" वाक्यांश ने ऐसा किया।

केवल जीवन भर के लिए परिवहन के साथ दंडनीय अपराधों तक विस्तारित नहीं है, उपरोक्त निर्णय से निम्नलिखित अंश पर ध्यान देना दिलचस्प होगाः

" यह देखना मुश्किल है कि शुद्ध अनुभववाद के अलावा किस सिद्धांत को आजीवन परिवहन के साथ दंडनीय अपराधों को दंडनीय अपराधों से अलग करना चाहिए।

कारावास की लंबी अवधि; उदाहरण के लिए, चोरी करने की दृष्टि से घर में अतिक्रमण करने के आरोपी बंदी को, जिसके लिए सजा चौदह साल की कैद है, उस व्यक्ति के खिलाफ विशेष रूप से अनुकूल होना चाहिए जिसने बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त की है, यह जानते हुए कि यह डकैती द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसके लिए सजा परिवहन होती है।

जीवन के लिए? यह गंभीरता से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि

संभावित सजा के फरमान में तुलनात्मक रूप से मामूली अंतर यह नैतिक रूप से कम संभावना बना देगा कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति दूसरे के बजाय एक मामले में पेश होगा। दूसरी ओर अंतर का स्तर इतना अधिक है जितना कि जीवन और मृत्यु के लिए परिवहन के बीच है जो अथाह है। एक होशियार इसलिए, विधानमंडल मजिस्ट्रेट मामलों के विवेकाधिकार से पीछे हट जाएगा, जिसमें यदि अपराध की संभावना है, तो सबसे अधिक धैर्य वाला व्यक्ति भी जीवन भर के लिए एक भौतिक कीमत, हालांकि, अत्यधिक, का भुगतान करने के लिए इच्छुक हो सकता है।

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उपरोक्त निर्णय के बाद नागपुर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है

तुलाराम बनाम में रिपोर्ट किए गए मामले में न्यायालय। सम्राट, (ए. आई. आर. 1927 नाग 53): (1926) 27 क्रि एल. जे. 1063)।

" 8. "मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध" वाक्यांश की व्याख्या करने में तर्क समान बल के साथ तब तक लागू होता है जब तक कि धारा 326 के तहत अपराध का परीक्षण किया जा सके।

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 420 आई. पी. सी. के तहत किसी अपराध से जमानत देने के मामले में इसे अलग तरह से देखने का कोई कारण नहीं है।

सजा 7 साल के कारावास या किसी अन्य गैर-जमानती अपराध के लिए है जिसके लिए सजा एक अवधि है।

कारावास "।

यह कहना अतार्किक और समझ से बाहर होगा कि मजिस्ट्रेट जो मुकदमा चला सकता है और दंडनीय अपराधों के लिए बरी या दोषसिद्धि का निर्णय पारित कर सकता है।

आजीवन कारावास या कारावास की कम अवधि की सजा, उदाहरण के लिए धारा 326,409,467 आदि के तहत अपराधों में, ऐसे अपराधों में जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 437 (1) (ए) के तहत प्रतिबंध है

केवल उन मामलों पर लागू होता है जो वैकल्पिक सजा के रूप में मौत की सजा या आजीवन कारावास से दंडनीय हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रह्लाद सिंह भाटी (ऊपर) में, पैरा 6 में,

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही मजिस्ट्रेट के लिए सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत देने के आवेदन पर विचार करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है, फिर भी यह उचित और उचित होगा कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को जमानत की राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से सत्र न्यायालय का रुख करने का निर्देश दे। यह कई मामलों में लागू हो सकता है,

जहाँ सजा, जो दी जा सकती है, आजीवन कारावास भी नहीं है, लेकिन अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, उदाहरण के लिए धारा 306,308,314,315,316,399,400 और 450 के तहत दंडनीय अपराध। कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मुझे श्री भट्ट के विवाद में कोई सार नहीं मिलता है। हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि केवल इसलिए कि अपराध आई. पी. सी. की धारा 409 और 467 के तहत है, मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई और जमानत देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. ईशान वसंत देशमुख बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उपयोगी हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य "संदर्भित

ऊपर, जो इस प्रकार पढ़ता है -

" उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ जो आम तौर पर

बोलना यदि निर्धारित दंड है

आजीवन कारावास या मृत्युदंड, और अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि मामला संहिता की धारा 437 से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि कोई अपराध आजीवन कारावास में दंडनीय है, इसका यह अर्थ नहीं है कि मजिस्ट्रेट को जमानत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जब तक कि अपराध भी विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य न हो। इसका तात्पर्य यह है कि मजिस्ट्रेट अपने द्वारा विचारणीय मामलों में जमानत देने का हकदार होगा, भले ही निर्धारित सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। प्रहलाद सिंह भाटी के मामले में इस फैसले को न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम का फैसला किया था। राजकुमार कुंडा स्वामी। क्या इस निर्णय पर माननीय न्यायाधीश ने ध्यान दिया था

उस मामले का निर्णय करते हुए, यह अवलोकन कि मजिस्ट्रेट कर सकता है

यदि अपराध है तो जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय न लें

संभवतः आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाती। प्रहलाद सिंह भाटी के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है

अम्बरीश में जे. एच. भाटिया, जे. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रंगशाही पटनीगेरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2010 ए. एल. एल. एम. आर. (सी. आर. आई.) 2775 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है और इसलिए, मजिस्ट्रेट

जमानत देने का अधिकार क्षेत्र है "।

55. इस प्रकार, हम उपरोक्त स्थिति को दोहराना चाहते हैं ताकि न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिनके पास अन्यथा किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जो अधिकतम आजीवन कारावास या सजा का प्रावधान करता है, को रिहाई पर विचार करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र मिल सके।

संहिता की धारा 439

" 439. उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ

जमानत के बारे में।

— सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

(1) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है

(क) कि कोई भी व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप है और वह हिरासत में है। जमानत पर रिहा किया जाए, और यदि अपराध प्रकृति का है

धारा 437 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट, कोई भी शर्त लागू कर सकता है जिसे वह प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझता है।

(ख) कि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई कोई शर्त जब किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने को दरकिनार या संशोधित किया जाएः

लिखित रूप में अभिलिखित किया जाना, यह राय कि यह व्यवहार्य नहीं है इस तरह की सूचना दें।

XXX

XXX

XXX

(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किया गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए और

उसे हिरासत में ले लीजिए। "

56. धारा 439 उच्च न्यायालय या न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है।

जमानत के संबंध में सत्र। इस शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में संहिता की धारा 437 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ किया जाना है। मामलों के पूर्व समूह में, हमारे द्वारा की गई टिप्पणियां धारा 439 के तहत शक्ति के प्रयोग पर भी लागू होंगी।

57. दिलचस्प बात यह है कि धारा 439 का दूसरा परंतुक इसके लिए निर्धारित करता है -

लोक अभियोजक को उसके तहत उल्लिखित अपराधों के सेट पर 15 दिनों की समय सीमा के भीतर एक आवेदन की सूचना दी जानी है। इसी तरह, उप-धारा (1) (ए) का परन्तुक लोक अभियोजक के साथ-साथ सूचना देने वाले या सुनवाई के समय उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सूचना देना अनिवार्य बनाता है।

जमानत के लिए आवेदन। यह कानून का अधिदेश होने के कारण, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय यह देखेगा कि इसका पालन किया जा रहा है।

के साथ।

58. संहिता की धारा 437 मजिस्ट्रेट को इससे निपटने का अधिकार देती है।

[2022] 10 एस. सी. आर. के अपवाद के साथ जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय सभी अपराध।

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध। पहला परंतुक एक अदालत को सशर्त जमानत पर रिहा करने की सुविधा प्रदान करता है यदि कोई आरोपी 16 वर्ष से कम उम्र का है या महिला है या बीमार है या कमजोर है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। यह तो है

एक कल्याणकारी कानून, हालांकि एक परंतुक के माध्यम से पेश किया गया है, सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहाई पर विचार करते समय लागू किया जाना चाहिए।

या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो। संहिता की धारा 439 के तहत शक्ति का प्रयोग जमानत के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ और विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा तय किए गए अपराध के खिलाफ किया जाता है। धारा 439 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय धारा 437 के लिए परंतुक का विभाजित अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। कल्याण से निपटते समय

कानून, जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ देने वाली एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या इरादा होना अदालत द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका है। हम यह नहीं कहना चाहते कि इस परंतुक को सभी मामलों में अनुकूल माना जाना चाहिए क्योंकि आवेदन उसमें निहित तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो आवश्यक है वह प्रति स्वयं विचार है

अन्य कारकों के बीच इस परंतुक का न्यायालय।

संहिता की धारा 440

" 440. बंधपत्र की राशि और उसमें कमी। (1) इस अध्याय के तहत निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। (2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत को कम किया जाए।

59. धारा 440 के पीछे के उद्देश्य से निपटने से पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाए गए कुछ उदाहरण और कानूनों की आवश्यकता होती है।

ध्यान देने योग्य। 60. इलिनोइस राज्य में, एक प्रमुख कारक के रूप में लागत की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था

जमानत देते समय वारंट का निष्पादन, इस तरह की शर्त है -

स्वतंत्रता का अपमान, और इस प्रकार, एक गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति शर्त का पालन करने में सक्षम नहीं है जिसके कारण

उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ, और इस प्रकार उसके लिए दी गई जमानत का लाभ उठाना असंभव बनाते हुए, यह निश्चित रूप से अन्याय का कार्य है। जमानत देने के पीछे का उद्देश्य लगाई गई शर्तों से अलग है। इलिनोइस राज्य ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक कैदी को विस्तार के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में नकद जमा का पालन करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, और इसलिए उसी के साथ वितरित किया जाता है।

61. जब इस तरह की कठिन स्थिति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह उन व्यक्तियों की एक श्रेणी को प्रभावित करता है जिनके पास वित्तीय अधिकार नहीं हैं जिससे उन्हें अस्थायी कारावास के बावजूद कारावास में रहना पड़ता है।

राहत दी जा रही है, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में मुकदमा चलाने में सक्षम हो सकते हैं, कैलिफोर्निया का सर्वोच्च न्यायालय केनेथ हम्फ्री, एस 247278 में; 482 पी. 3 डी 1008 (2021) ने यह अभिनिर्धारित करते हुए खुशी व्यक्त की कि उद्देश्य ही खो गया है और संभवतः बचाव की तैयारी को बाधित करेगा, इस प्रकार, न्यायालय का विचार था कि ऐसी कठिन परिस्थितियों को कानून की नजर में बनाए नहीं रखा जा सकता है। निर्णय के प्रासंगिक पैरास को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

IV.

..... मुकदमे से पहले रिहाई और नजरबंदी के बीच चयन करते हुए, हम

उस पूर्ण निश्चितता को पहचानें-विशेष रूप से मुकदमे से पहले चरण, जब अपराध या निर्दोषता का निर्णय करने के लिए मुकदमा होना बाकी है-असंभव के अलावा सब कुछ साबित होगा। इन निर्णयों को करने वाले न्यायालय को इसके बजाय सार्वजनिक या पीड़ित सुरक्षा या न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उचित रूप से होने की संभावना है। (स्टैक वी देखें। बॉयल (1951) 342 यू. एस. 1,8 (कॉन्क। ऑपएन। जैक्सन, जे.) ["जमानत के लिए प्रवेश में हमेशा एक जोखिम शामिल होता है

कि आरोपी भाग जाएगा। यह एक परिकलित जोखिम है जिसे कानून हमारी न्याय प्रणाली की कीमत के रूप में लेता है। सालेर्नो, ऊपर, 481 यू. एस. पी. पर। 751 [एक गिरफ्तार व्यक्ति के "किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए पहचाने गए और स्पष्ट खतरे" पर चर्चा करना।)

यहां तक कि जब जमानत का निर्धारण उपरोक्त का अनुपालन करता है

पूर्व शर्तों के अनुसार, अदालत को अभी भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या मुकदमे से पहले हिरासत के आदेश के कारण स्वतंत्रता से वंचित होना राज्य के वैधानिक और संवैधानिक कानून के अनुरूप है जो विशेष रूप से जमानत को संबोधित करता है-एक सवाल जिसका यहां समाधान नहीं किया गया है-और उचित प्रक्रिया के साथ। जबकि उचित प्रक्रिया सरकार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करती है मुकदमे से पहले हिरासत का आदेश देने से, यह सच है कि "[i] हमारे समाज में स्वतंत्रता मानक है, और मुकदमे से पहले या बिना मुकदमे के हिरासत है

सावधानीपूर्वक सीमित अपवाद "। (सालेर्नो, ऊपर, 481 यू. एस. पी. पर। 755.)

वी.

एक महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण संबंध में, कैलिफोर्निया कानून के अनुरूप है

संघीय संविधानः " स्वतंत्रता मानक है, और मुकदमे से पहले या बिना मुकदमे के हिरासत सावधानीपूर्वक सीमित अपवाद है। (सालेर्नो,

ऊपर, 481 यू. एस. पी. पर। 755.) गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है [2022] 10 एस. सी. आर.

मुकदमा लंबित है जब तक कि अदालत ने एक व्यक्तिगत नहीं बनाया है

यह निर्धारित करना कि (1) गिरफ्तार व्यक्ति के पास भुगतान करने की वित्तीय क्षमता है,

लेकिन फिर भी भुगतान करने में विफल रहा, जमानत की राशि अदालत को मजबूर करने वाले सरकारी हितों की रक्षा के लिए उचित रूप से आवश्यक लगती है; या (2) पीड़ित या सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हिरासत आवश्यक है, या प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, और स्पष्ट है और आश्वस्त करने वाला सबूत कि कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उन हितों को उचित रूप से सही साबित करेगा। (देखिए हम्फ्री, ऊपर, 19

कैल। पी पर App.5th। 1026.) पीड़ित और सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर पूर्व-विचारण निरोध, विशिष्ट और विश्वसनीय संवैधानिक प्रावधानों के अधीन

बाधाएं, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्रमुख तत्व है। गिरफ्तार व्यक्ति के वित्तीय संसाधनों पर इस तरह के निरोध की शर्त, यह आकलन किए बिना कि क्या कोई प्रतिवादी उन शर्तों को पूरा कर सकता है या क्या राज्य के हितों को कम से कम पूरा किया जा सकता है।

प्रतिबंधात्मक विकल्प, नहीं है "।

62. धारा 440 के तहत अध्याय XXXIII के तहत निष्पादित प्रत्येक बांड की राशि की परिस्थितियों के संबंध में तय की जानी है

मामला और अत्यधिक नहीं होगा। यह एक हितकारी प्रावधान है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। लगाई गई शर्तें सभी मामलों में यांत्रिक और समान नहीं होंगी। यह न्यायालय का एक अनिवार्य कर्तव्य है कि वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखे और खुद को संतुष्ट करे कि यह अत्यधिक नहीं है। एक ऐसी शर्त लागू करना जो अनुपालन के लिए असंभव है

रिलीज के उद्देश्य को पराजित करना होगा। इस संबंध में, हम केवल यह कहेंगे कि संहिता की धारा 436,437,438 और 439 को सामंजस्य में पढ़ा जाना चाहिए। बांड और जमानत की तर्कसंगतता एक ऐसी चीज है जिस पर जब भी जोर दिया जाता है तो अदालत को इसे ध्यान में रखना होता है, और इसलिए संहिता की धारा 88 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय भी उक्त तथ्य को ध्यान में रखना होता है। हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, 1980 (1) एस. सी. सी. 81 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

" 8. जमानत पर मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदी को रिहा करने या उसकी उपस्थिति के लिए बिना किसी प्रतिभूति के व्यक्तिगत मुचलके के निष्पादन पर न्यायिक शक्ति के प्रयोग के संबंध में, मुझे यह संक्षेप में कहना है। दंड प्रक्रिया संहिता के मौजूदा प्रावधानों के भीतर इस संबंध में शक्ति का विस्तार है, और यह अदालतों पर है कि वे इसका प्रयोग करने में अपने विवेकाधिकार की प्रकृति और सीमा से पूरी तरह से परिचित हों। मुझे लगता है कि अब शक्ति के यांत्रिक अभ्यास को स्वीकार करना संभव नहीं है।

सैटेन्डर कुमार एंटील वी को क्या करना चाहिए? केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

बॉन्ड में मांग एक ऐसा मामला है जिसमें कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। पूरा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन व्यक्ति भाग न जाए या मुकदमे से खुद को न छिपाए, उस प्रश्न के निर्धारण में प्रवेश करने वाले सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [धारा 440, Cr.P.C।] एक सिनोप्टिक इस बात का प्रभाव कि क्या विचार किए जा सकते हैं

1966 के संयुक्त राज्य जमानत सुधार अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान सेः

यह निर्धारित करने में कि रिहाई की कौन सी शर्तें उचित रूप से उपस्थिति का आश्वासन देंगी, न्यायिक अधिकारी निम्नलिखित के आधार पर होगाः उपलब्ध जानकारी, आरोपित अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों, अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य का भार, अभियुक्त के पारिवारिक संबंध, रोजगार, वित्तीय संसाधन, चरित्र और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

स्थिति, समुदाय में उनके निवास की लंबाई, उनका रिकॉर्ड

दोषसिद्धि और अदालत में उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड

अभियोजन या उपस्थित होने में विफलता से बचने के लिए कार्यवाही या उड़ान

अदालती कार्यवाही में। [18 यू. एस. एस. 3146 (बी)]

ये ऐसे विचार हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए जब

प्रतिभूति या मौद्रिक दायित्व की राशि का निर्धारण करना। शायद, अगर ऐसा किया जाता है तो भारत में पूर्व-परीक्षण रिहाई की प्रचलित प्रणाली पर दुर्व्यवहार से बचा जा सकता है या किसी भी स्थिति में, बहुत कम किया जा सकता है। मोती राम बनाम देखें। एम. पी. राज्य [(1978) 4 एस. सी. सी. 47] "

श्रेणी ए और बी

63. हम पहले से ही प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार कर चुके हैं जो ए और बी श्रेणियों का ध्यान रखेंगे। बता दें कि, श्रेणी ए में, कोई भी अभियुक्त के पक्ष में अदालत की ओर से विवेक के बेहतर प्रयोग की उम्मीद करेगा। बी श्रेणी की बात करें तो इन मामलों को कानून के सामान्य सिद्धांत और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए फिर से मामले-दर-मामले के आधार पर निपटाना होगा, जैसा कि हमने चर्चा की है।

विशेष अधिनियम (श्रेणी ग)

64. अब हम श्रेणी (सी) पर आते हैं। हम अलग-अलग अधिनियमों से निपटना नहीं चाहते क्योंकि प्रत्येक विशेष अधिनियम के पीछे एक उद्देश्य होता है

इसके बाद कठोरता लागू की गई। देरी को नियंत्रित करने वाला सामान्य सिद्धांत [2022] 10 एस. सी. आर.

इन श्रेणियों पर भी लागू होगा। यह स्पष्ट करने के लिए, संहिता की धारा 436 ए में निहित प्रावधान किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में विशेष अधिनियमों पर भी लागू होगा। उदाहरण के लिए, कठोरता

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रदान किया गया प्रावधान ऐसे मामले में बाधा नहीं बनेगा क्योंकि हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। हम महसूस करते हैं कि जितनी कठोरता होगी, निर्णय उतनी ही जल्दी होना चाहिए। आखिरकार, इस प्रकार के मामलों में गवाहों की संख्या बहुत कम होगी और मुकदमे को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। शायद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है

और संहिता की धारा 309 का सख्त अनुपालन भी।

पूर्वाभास

• भारत संघ बनाम। के. ए. नजीब (2021) 3 एस. सी. सी. 713:

" 15. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता इसके सुरक्षात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई भी शामिल होगी। उच्चतम न्यायालय में कानूनी सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व)

(विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करना) v. भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 731, पैरा 15: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 39], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमे के लंबित रहने तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतने चाहिए जब तक कि यह एक तटस्थ मध्यस्थ के समक्ष स्थापित नहीं किया जाता है। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण जहां एक सुरक्षित करने के लिए

प्रभावी परीक्षण और समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए

संभावित अपराधी को बड़े लंबित मुकदमे में छोड़ दिया जाता है, अदालतों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समय पर मुकदमा संभव नहीं होगा और आरोपी को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ा है, तो अदालतें आम तौर पर

उन्हें जमानत पर बढ़ाने के लिए बाध्य किया गया।

● उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति बनाम। संघ का

भारत (1994) 6 एससीसी 731:

" 15. .....वास्तव में याचिकाकर्ता अब प्रार्थना करता है कि सभी विचाराधीन कैदी जो अपने खिलाफ दर्ज मामलों के निपटारे में देरी के कारण दो साल से अधिक की अवधि के लिए अधिनियम के तहत किसी भी अपराध या अपराध के लिए जेल में हैं, उन्हें TENDER KUMAR ANTIL V.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

यदि उनकी आगे की नजरबंदी को अवैध और अमान्य घोषित करते हुए जेल से तुरंत रिहा किया जाता है और उक्त बड़े मुद्दे पर इस न्यायालय का निर्णय लंबित है, तो उन्हें किसी भी मामले में जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह वास्तव में सच है और अधिनियम की धारा 36 (1) की सरल भाषा से यह स्पष्ट है कि विधायिका ने उन लोगों के मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों के निर्माण पर विचार किया।

अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है। यह भी उतना ही सच है कि संहिता की धारा 309 का उद्देश्य भी ऐसा ही है। यह भी सच है कि इस न्यायालय ने एक में जोर दिया है

निर्णयों की श्रृंखला जो अनुच्छेद 14,19 और 21 एक दूसरे को बनाए रखते हैं और पोषण करते हैं और किसी व्यक्ति को "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" से वंचित करने वाले किसी भी कानून को एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो त्वरित मुकदमे को बढ़ावा देती है। हुसैनारा खातून (IV) v. देखें। गृह सचिव। , बिहार राज्य [(1980) 1 एस. सी. सी 98: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 40], रघुबीर सिंह बनाम। बिहार राज्य [(1986) 4 एससीसी 481: 1986 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 511] और कदरा पहाड़िया बनाम। बिहार राज्य [(1983) 2 एस. सी. सी 104: 1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 361] केवल कुछ को उद्धृत करने के लिए। यह अधिनियम की धारा 36 (1) का भी घोषित उद्देश्य है। हालाँकि, यह प्रशंसनीय उद्देश्य तब विफल हो गया जब राज्य सरकार ने पर्याप्त के संविधान में देरी की।

ग्रेटर बॉम्बे में विशेष न्यायालयों की संख्या; पहले दो विशेष न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई

मुकदमों के अभाव में उन्हें जेलों में रहना पड़ा। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम की धारा 37 प्रत्येक अपराध को अधिनियम के तहत दंडनीय बनाती है। संज्ञेय और गैर-जमानतीय और यह प्रावधान करता है कि पांच साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि (i) लोक अभियोजक को जमानत का विरोध करने का अवसर नहीं मिला है और (ii) यदि विरोध किया जाता है, तो अदालत का समाधान नहीं होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं है और उसके इसी तरह की गतिविधि में लिप्त होने की संभावना नहीं है। उक्त प्रावधान की सख्त भाषा के कारण [2022] 10 एस. सी. आर. के तहत कुछ अपराधों के आरोपी बहुत कम व्यक्ति हैं।

अधिनियम जमानत सुरक्षित कर सकता है। अब एक ओर जमानत से इनकार करना और दूसरी ओर मामलों की सुनवाई में देरी करना स्पष्ट रूप से अनुचित और अनुचित है और अधिनियम की धारा 36 (1), संहिता की धारा 309 और संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 की भावना के विपरीत है। हम वैधानिक प्रावधान के निष्कर्ष से अवगत हैं।

ए. आर. अंतुले बनाम में न्यायालय आर. एस. नायक [(1992) 1 एस. सी. सी 225: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 93], जमानत पर रिहाई, जिसे त्वरित सुनवाई के अधिकार में अंतर्निहित माना जा सकता है, कुछ मामलों में अनुच्छेद 21 की मांग हो सकती है। जैसा कि हमने स्वीकार करने के लिए इच्छुक महसूस नहीं किया है कार्यवाही को रद्द करने और उन अभियुक्तों को रिहा करने का चरम समर्पण जिनके मुकदमों में देरी हुई है

पहले से ही बताए गए कारणों के लिए उचित समय, हमने महसूस किया है कि त्वरित परीक्षण सुनिश्चित किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होना भी गारंटीकृत अधिकार के अनुरूप नहीं होगा।

अनुच्छेद 21 द्वारा। बेशक, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कुछ हद तक वंचित होने से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मुकदमे के लंबित रहने की अवधि अनुचित रूप से लंबी हो जाती है, तो अनुच्छेद 21 द्वारा आश्वस्त निष्पक्षता को झटका लगेगा। यही कारण है कि हमने महसूस किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के बाद

कारावास का सामना करना पड़ा जो अपराध के लिए प्रदान की गई अधिकतम सजा का आधा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई भी और अभाव अनुच्छेद 21 द्वारा देखे गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसे अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत अधिकार के साथ दूर किया जाना चाहिए जो प्रक्रियात्मक मामलों में न्याय, निष्पक्षता और तर्कसंगतता का भी वादा करता है। फिर उपाय क्या है? अधिनियम के तहत अपराध गंभीर हैं और इसलिए, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस निवेदन से सहमत नहीं हैं कि हमें अंत कुमार अंत में v को रद्द कर देना चाहिए।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अभियोजन चलाया जाता है और उन अभियुक्त व्यक्तियों को मुक्त किया जाता है जिनके मुकदमों में उचित समय से अधिक देरी होती है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति जिनके मुकदमे में देरी हुई है

उचित समय से परे और इसमें और देरी होने की संभावना है

जमानत पर ऐसी शर्तों पर रिहा किया जाना चाहिए जो यह न्यायालय अधिरोपित करना उचित समझता है। यह सुझाव हमारी सराहना करता है। महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील ने हमें बताया कि तब से अतिरिक्त विशेष अदालतों का गठन किया गया है, लेकिन राज्य में ऐसे मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए

हमें डर है कि इससे ऐसे मामलों के विशाल ढेर में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना नहीं है। इसलिए हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

(i) जहां विचाराधीन व्यक्ति पर पाँच के कारावास की सजा निर्धारित करने वाले अधिनियम के तहत किसी अपराध (अपराधों) का आरोप है।

वर्ष या उससे कम और जुर्माना, ऐसे विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया जाएगा।

जमानत पर यदि वह उस अवधि के लिए जेल में रहा है जो उस अपराध के लिए दी गई सजा के आधे से कम नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और जहां उस पर एक से अधिक अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उच्चतम सजा प्रदान करने वाला अपराध है। अगर

जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया है, वह निर्धारित करता है अधिकतम जुर्माना, जमानत राशि उक्त राशि का 50 प्रतिशत होगी और उतनी ही राशि के लिए दो प्रतिभूतियां होंगी। यदि अधिकतम जुर्माना निर्धारित नहीं किया जाता है, तो जमानत संबंधित विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए होगी, जिसमें समान राशि के लिए दो प्रतिभूतियां होंगी।

((ii) जहां विचाराधीन अभियुक्त पर पाँच वर्ष से अधिक की सजा और जुर्माने का प्रावधान करने वाले अधिनियम के तहत अपराध (ओं) का आरोप लगाया जाता है, ऐसे विचाराधीन अभियुक्त को उस पर रिहा कर दिया जाएगा।

ऊपर (i) में निर्धारित अवधि पर जमानत, बशर्ते कि उसकी जमानत राशि किसी भी मामले में 50,000 रुपये से कम न हो और दो

समान राशि के लिए प्रतिभूति।

((iii) जहां विचाराधीन अभियुक्त पर अधिनियम के तहत न्यूनतम दंडनीय अपराध (अपराधों) का आरोप लगाया जाता है।

दस साल की कैद और न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना, ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि वह कम से कम पांच साल तक जेल में रहा है, बशर्ते कि वह

समान राशि के लिए दो प्रतिभूतियों के साथ एक लाख रुपये की राशि में जमानत देता है। ((iv) जहाँ एक विचाराधीन अभियुक्त पर [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए आरोप लगाया जाता है।

अधिनियम की धारा 31 और-ए के तहत दंडनीय अपराध को छोड़ देने पर, ऐसा विचाराधीन व्यक्ति इस अधिकार का हकदार नहीं होगाः

इस आदेश के आधार पर जमानत पर रिहा किया गया।

उपरोक्त खंड (i), (ii) और (iii) में दिए गए निर्देश निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन होंगेः

(i) जमानत पर रिहा होने का हकदार विचाराधीन अभियुक्त अपना पासपोर्ट संबंधित विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के पास जमा करेगा और यदि उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

बयान और पासपोर्ट अधिकारी अपने रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा और तीन सप्ताह के भीतर जवाब भेजेगा। यदि वह उक्त समय के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो विद्वान विशेष न्यायाधीश होगा विचाराधीन अभियुक्त के बयान पर कार्रवाई करने का अधिकार;

((ii) विचाराधीन अभियुक्त जमानत पर रिहा हो जाएगा।

खुद को पुलिस स्टेशन में पेश करें जिसने खंड (i) के अंतर्गत आने वालों के मामले में महीने में कम से कम एक बार, खंड (ii) के तहत आने वालों के मामले में पखवाड़े में एक बार और एक बार उस पर मुकदमा चलाया जाता है।

खंड (iii) द्वारा कवर किए गए लोगों के मामले में, जब तक कि संबंधित विशेष न्यायाधीश से अनुपस्थिति की अनुमति अग्रिम रूप से प्राप्त नहीं की जाती है;

((iii) खंड (ii) और (iii) में दिए गए निर्देश का लाभ उन अभियुक्त व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगा जो -

विद्वान विशेष न्यायाधीश की राय में, लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों से, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना;

((iv) विचाराधीन अभियुक्तों के मामले में जो विदेशी हैं,

विशेष न्यायाधीश, उन्हें ज़ब्त करने के अलावा पासपोर्ट, देश के दूतावास/उच्चायोग से आश्वासन के प्रमाण पत्र पर जोर देना, जिससे विदेशी-आरोपी संबंधित है, कि उक्त आरोपी

देश नहीं छोड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पर विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे; सैटेन्डर कुमार एंटील v.

(v) विचाराधीन अभियुक्त उस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा जिसके संबंध में विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, सिवाय विद्वान विशेष न्यायाधीश की अनुमति के; ((vi) विचाराधीन अभियुक्त जमानत राशि के बराबर नकद जमा करके जमानत दे सकता है।

(vii) यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है या जमानत रद्द करने का मामला अन्यथा बनाया जाता है तो विशेष न्यायाधीश जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा; और

(viii) इस आदेश के अनुसार विचाराधीन अभियुक्तों की रिहाई के बाद, उन विचाराधीन अभियुक्तों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें रिहा नहीं किया गया है और जो जेल में हैं और विशेष अदालत उनके साथ आगे बढ़ेगी।

संहिता की धारा 309 में।

16. हम कह सकते हैं कि उपरोक्त का उद्देश्य उन मामलों के लिए एक बार के निर्देश के रूप में काम करना है जिनमें आरोपी व्यक्ति जेल में हैं।

और उनके मुकदमों में देरी होती है। उनका इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं है।

धारा 37 के तहत जमानत देने की विशेष अदालत की शक्ति के साथ अधिनियम। विशेष न्यायालय उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

लंबित मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी की शिकायत को ध्यान में रखते हुए। विशेष न्यायालय, इसके बावजूद

निर्देश, यदि अभियुक्त पाया जाता है तो जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र रहें

इसका दुरुपयोग और जमानत रद्द करने के लिए आधार मौजूद हैं। अंत में, हम कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई के मामले में आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

इस आदेश से। ”

65. हम एक पहलू पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं जो संहिता की धारा 170 की व्याख्या पर है। अन्य अपराधों के लिए हमारी चर्चा की गई

इन मामलों पर भी लागू होगा। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हम यह मान सकते हैं कि यदि कोई अभियुक्त पहले से ही कम कैद में है, तो वही जारी रहेगा, और इसलिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विशेष अधिनियम का प्रावधान उसके बाद लागू होगा। यह केवल उस मामले में है जहां अभियुक्त को या तो अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है और जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, अदालत के कहने पर आगे गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, हम यह भी जोड़ेंगे कि विशेष अधिनियम के तहत उपलब्ध संहिता की धारा 167 (2) जैसे एक परिमापक या इसी तरह के प्रावधान के अस्तित्व का वही प्रभाव होगा जो आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए हकदार बनाता है। यहां भी अदालत को संहिता की धारा 440 के तहत संतुष्टि पर विचार करना होगा।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर्थिक अपराध (श्रेणी डी)

66. अब हमारे पास आर्थिक अपराधों पर चर्चा करने के लिए कुछ बचा है। विचार के लिए सवाल यह है कि क्या इसे एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए।

अपने लिए या अन्यथा। पी. चिदंबरम बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय,

(2020) 13 एस. सी. सी. 791, क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले पहले के निर्णयों पर ध्यान देने के बाद। अपराध की गंभीरता, विशेष अधिनियम का उद्देश्य और उपस्थित परिस्थितियाँ सजा की अवधि के साथ ध्यान देने योग्य कुछ कारक हैं। आखिरकार, एक आर्थिक अपराध को इस तरह से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं और एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, अदालत की ओर से यह सलाह नहीं दी जाती है कि सभी अपराधों को एक समूह में वर्गीकृत किया जाए और उस आधार पर जमानत से इनकार किया जाए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कानून, जैसा कि निम्नलिखित निर्णयों में निर्धारित किया गया है, इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगाः

पूर्वाभास

• पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2020) 13 एससीसी 791:

23. इस प्रकार, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय सहित दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों के संचयी अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल न्यायशास्त्र जमानत के संबंध में वही रहता है क्योंकि जमानत देना नियम है और इनकार करना अपवाद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का अवसर मिले। हालाँकि, इस पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता एक ऐसा पहलू है जिसे न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। द.

ऐसे मामलों में जमानत, न्यायालय को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने के कारण उसी से निपटना होगा अभियुक्त। अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में से एक सजा की अवधि भी है जो आरोपी द्वारा किए गए अपराध के लिए निर्धारित की गई है। अपराध की गंभीरता के संबंध में इस तरह का विचार एक कारक है TENDER KUMAR ANTIL V.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

जो ट्रिपल टेस्ट या ट्राइपॉड टेस्ट के अलावा है जिसे आम तौर पर लागू किया जाता है। उस संबंध में क्या रखा जाना चाहिए

दृष्टिकोण यह है कि भले ही आरोप गंभीर का हो

आर्थिक अपराध, यह एक नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए क्योंकि संबंधित मामले में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं बनाया गया है। विधायिका द्वारा पारित अधिनियम और न ही जमानत

न्यायशास्त्र ऐसा प्रदान करता है। इसलिए, रेखांकित निष्कर्ष यह है कि आवेश की प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के बावजूद, अकेले किसी अन्य मामले की मिसाल दोनों के लिए आधार नहीं होगी।

जमानत देना या अस्वीकार करना, हालांकि इसका सिद्धांत पर असर हो सकता है। लेकिन अंततः मामले पर विचार करना होगा - इसमें शामिल तथ्यों के आधार पर और मामले को सुरक्षित करना

मुक़दमा चलाने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति।

संजय चंद्र बनाम। सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40:

" 39. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, दोनों अदालतों ने दो आधारों पर जमानत देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया हैः

प्राथमिक आधार यह है कि उसके विरुद्ध आरोपित अपराध

अभियुक्त व्यक्ति बहुत गंभीर है जिसमें गहरी योजना शामिल है, जिसमें राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान होता है; दूसरा आधार यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है। वर्तमान मामले में, आरोप धोखाधड़ी और बेईमानी से डिलीवरी को प्रेरित करने का है।

धोखाधड़ी के उद्देश्य से संपत्ति और जालसाजी

असली एक जाली दस्तावेज। अपराध के लिए सजा एक अवधि के लिए कारावास है जो सात साल तक बढ़ सकती है। यह.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप की प्रकृति प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन साथ ही, दोषी ठहराए जाने पर पक्ष जिस सजा के लिए उत्तरदायी हो सकता है, वह भी इस मुद्दे पर लागू होती है। इसलिए, यह निर्धारित करने में कि जमानत दी जाए या नहीं, दोनों की गंभीरता

आरोप और सजा की गंभीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

40. जमानत देने या देने से इनकार करना अदालत के विवेक के अंतर्गत आता है। अनुदान या अस्वीकृति को काफी हद तक प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा विनियमित किया जाता है। लेकिन साथ ही, जमानत के अधिकार को केवल अभियुक्त के खिलाफ समुदाय की भावनाओं के कारण अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक मामले में जमानत का प्राथमिक उद्देश्य राहत देना है।

राज्य को [2022] 10 एस. सी. आर. के बोझ से मुक्त करने के लिए कारावास का अभियुक्त।

उसे रखना, मुकदमे को लंबित रखना, और साथ ही, रखने के लिए

न्यायालय की अभिरक्षा में रचनात्मक रूप से अभियुक्त, चाहे दोषसिद्धि से पहले या बाद में, यह आश्वासन देने के लिए कि वह प्रस्तुत होगा

न्यायालय की अधिकारिता और जब भी उस पर उपस्थित रहें

उसकी उपस्थिति आवश्यक है।

XXX

XXX

XXX

46. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए हैं विशाल परिमाण के आर्थिक अपराधों के साथ। हम भी हैं।

इस तथ्य के प्रति सचेत कि कथित अपराध, यदि साबित हो जाते हैं, तो

देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना। साथ ही हम

इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जांच एजेंसी ने

जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र पहले ही तैयार हो चुका है। विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई., नई दिल्ली के समक्ष दायर किया गया। इसलिए,

हिरासत में उनकी उपस्थिति आगे के लिए आवश्यक नहीं हो सकती है।

जांच पड़ताल की। हमारा विचार है कि अपीलार्थी इसके हकदार हैं।

कड़ी शर्तों पर सुनवाई लंबित रहने तक जमानत देने के लिए

सी. बी. आई. द्वारा व्यक्त आशंका का समर्थन करने के लिए "।

अदालत की भूमिका

67. भारत में आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है।

कम है। हमें ऐसा लगता है कि यह कारक न्यायालय के दिमाग पर भारी पड़ता है

जमानत आवेदनों पर नकारात्मक अर्थों में निर्णय लेते समय। अदालतें यह सोचती हैं कि दोषसिद्धि की संभावना दुर्लभता, जमानत के करीब है आवेदनों पर कानूनी सिद्धांतों के विपरीत सख्ती से निर्णय लेना होगा। हम जमानत आवेदन पर विचार को, जो प्रकृति में दंडात्मक नहीं है, मुकदमे के माध्यम से

संभावित निर्णय के साथ नहीं मिला सकते हैं। इसके विपरीत, निरंतर अभिरक्षा के साथ एक अंतिम बरी होना गंभीर अन्याय का मामला होगा।

68. विशेष रूप से निचली अदालत के साथ सामान्य रूप से आपराधिक अदालतें हैं

स्वतंत्रता के संरक्षक स्वर्गदूत। संहिता में निहित स्वतंत्रता को आपराधिक न्यायालयों द्वारा संरक्षित, संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए। आपराधिक न्यायालयों द्वारा कोई भी सचेत विफलता स्वतंत्रता का अपमान होगी। आपराधिक न्यायालय का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह संवैधानिक मूल्यों और लोकाचार की रक्षा में उत्साहपूर्वक रक्षा करे और एक सुसंगत दृष्टि रखे। एक आपराधिक अदालत को एक प्रधान पुजारी के समान कार्य करके उन पर अनिवार्य जिम्मेदारी के साथ संवैधानिक दबाव को बनाए रखना चाहिए। अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम में यह न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य, (2021) 2 एस. सी. सी. 427 ने देखा है किः

सैटेन्डर कुमार एंटिल बनाम। केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

" 67. मानव स्वतंत्रता एक बहुमूल्य संवैधानिक मूल्य है, जो निस्संदेह वैध रूप से अधिनियमित विधान द्वारा विनियमन के अधीन है। इस प्रकार, नागरिक आपराधिक कानून और प्रक्रिया के आदेशों के अधीन है। धारा 482 ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देती है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को प्रभावी बनाने या किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। इस न्यायालय के निर्णयों के लिए उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 482 के तहत उन्हें सौंपी गई अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सावधानीपूर्वक कार्य करें। जोर देते हुए

कि उच्च न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग संयम की भावना के साथ करना चाहिए, इस न्यायालय के निर्णय इस मूल सिद्धांत पर आधारित हैं कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को अभियुक्त द्वारा कृत्रिम का सहारा लेने से बाधित नहीं किया जाना चाहिए और

रणनीतियाँ। अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करने में जनहित की रक्षा यह सुनिश्चित करके की जाती है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का सावधानी के साथ प्रयोग किया जाए। वह वास्तव में एक और एक है महत्वपूर्ण-स्पेक्ट्रम का अंत। स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर भी उतना ही महत्वपूर्ण हैः प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय में विरासत में मिली शक्ति की धारा 482 द्वारा मान्यता स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 को एक विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था जो संवैधानिक अधिकारों के अधीन नहीं था और

सीमाएँ; फिर भी इसने धारा 561-ए में अंतर्निहित शक्ति को मान्यता दी। स्वतंत्रता के बाद, संसद द्वारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की मान्यता [धारा 482 सी. आर. पी. सी., 1973] को स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए एक सहायता के रूप में माना जाना चाहिए। स्वतंत्रता का लेखन संविधान के ताने-बाने के माध्यम से चलता है। अपराध की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता निस्संदेह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक स्तर पर पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करता है और अधिक मौलिक स्तर पर, यह सुनिश्चित करने में सामाजिक हित की रक्षा करता है कि अपराध की जांच की जाए और उससे कानून के अनुसार निपटा जाए। दूसरी ओर, आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक ऐसा मामला है जिसके बारे में इस देश में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों को जीवित रहना चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय उस विशिष्ट आधार का संज्ञान लिए बिना नहीं रह सकता था जो अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष उठाया गया था कि उसे लक्ष्य बनाया जा रहा था।

यह घटनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है जो अप्रैल 2020 से हो रही है। अपीलार्थी का विशिष्ट मामला यह है कि उसे निशाना बनाया गया है क्योंकि उसके टेलीविजन चैनल पर उसकी राय [2022] 10 एस. सी. आर. है।

प्राधिकरण के लिए अनुपयुक्त। क्या अपीलार्थी ने एक स्थापित किया है

एफ. आई. आर. को रद्द करने का मामला कुछ ऐसा है जिस पर उच्च न्यायालय

अंतिम निर्णय तब लिया जाएगा जब कार्यवाही उसके समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी लेकिन

हम स्पष्ट रूप से इस विचार के हैं कि एक प्राइमा भी बनाने में विफल रहने में

संवैधानिक कर्तव्य और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करना। अदालतें यह सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सचेत होना चाहिए

कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा न आए। द.

विभिन्न क्षेत्रों में न्यायालय-जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय-यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक कानून नहीं करता है

नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न के लिए एक हथियार बनें। अदालतें

स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों तक जीवित होना चाहिए-सुनिश्चित करने की आवश्यकता

एक ओर आपराधिक कानून का उचित प्रवर्तन और

दूसरी ओर, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून एक बन न जाए लक्षित उत्पीड़न के लिए छल। मानव युगों में स्वतंत्रता ऐसी है जैसे

जितना कमजोर हो सकता है उतना ही कमजोर। स्वतंत्रता सतर्कता से जीवित रहती है

उसके नागरिक, मीडिया के शोरगुल पर और धूल में

न्यायालयों के गलियारे कानून के शासन (और द्वारा नहीं) के लिए जीवित हैं। फिर भी, बहुत

बहुत बार, स्वतंत्रता एक दुर्घटना है जब इन घटकों में से एक है

अभाव पाया। "

(जोर दिया गया)

69. हम इस रूप में अनन्य अधिनियमों के अस्तित्व पर ध्यान देना चाहते हैं

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों में प्रचलित जमानत अधिनियम। ये अधिनियम जांच एजेंसियों और अदालतों दोनों के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं। अब हम यूनाइटेड किंगडम से संबंधित 1976 के जमानत अधिनियम की धारा 4 (1) पर ध्यान देंगेः

" अभियुक्त व्यक्तियों और अन्य लोगों की जमानत का सामान्य अधिकार।

4 . - (1) एक व्यक्ति जिसे यह धारा लागू होती है, उसे प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर।

70. उपरोक्त प्रावधान के अलावा भी, अधिनियम ऐसा करता है

कानून के उन सिद्धांतों को ध्यान में रखें जिन पर हमने निर्दोषता की धारणा और जमानत देने के अधिकार पर चर्चा की है।

71. न्यायालय के निर्णयों में एकरूपता और निश्चितता

न्यायिक वितरण की नींव। समान अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति SATENDER KUMAR ANTIL v.

एक ही न्यायालय या एक ही या अलग-अलग न्यायालयों द्वारा कभी भी अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। न्यायिक होने के बावजूद विवेक का प्रयोग करके की गई ऐसी कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का गंभीर अपमान होगी।

72. यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम ध्यान में रखता है

विभिन्न कारक। यह एक व्यापक कानून बनाने का प्रयास है।

एक सरल प्रक्रिया का पालन करके जमानत के साथ। अधिनियम में शामिल है

विचाराधीन कैदियों के साथ जेलों का अवरोध, वारंट जारी करने से जुड़े मामले, दोषसिद्धि से पहले और बाद में जमानत देना, जांच एजेंसी और अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग, जमानत की शर्तों का उल्लंघन, बांड का निष्पादन और जमानत प्राप्त करने के अधिकार के अनुपलब्ध सिद्धांत पर जमानत। अपराध की प्रकृति और निरंतरता सहित विभिन्न आकस्मिकताओं और कारकों से निपटने के लिए अनुसूची I में उल्लिखित अपवाद बनाए गए हैं। इनमें विशेष अधिनियम भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि हमारे देश में इसी तरह के कानून की तत्काल आवश्यकता है। हम किए गए अवलोकन से परे कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, सिवाय इसके कि हम भारत सरकार से विशेष रूप से एक अधिनियम लागू करने पर विचार करने का आह्वान करें।

जमानत देना जैसा कि यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न अन्य देशों में किया गया है। हमारा मानना यह भी है कि आज जो संहिता मौजूद है, वह एक कारण है इसके संशोधनों के साथ स्वतंत्रता पूर्व की निरंतरता। हम आशा और विश्वास करते हैं कि भारत सरकार इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी।

सारांश/निष्कर्ष

73. अंत में, हम कुछ निर्देश जारी करना चाहेंगे। ये निर्देश जांच एजेंसियों के लिए हैं और इसके लिए भी हैं

अदालतें। तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं, जो राज्य संशोधनों के अधीन हो सकते हैं। :

भारत सरकार इसे लागू करने पर विचार कर सकती है

अ)

जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम ताकि

जमानतों के अनुदान को सुव्यवस्थित करें।

ख)

जाँच एजेंसियाँ और उनके अधिकारी कर्तव्यबद्ध हैं।

धारा 41 और 41 ए के अधिदेश का पालन करना

अर्नेश कुमार (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा जारी संहिता और निर्देश। उनकी ओर से कोई भी लापरवाही होनी चाहिए

अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया

उचित कार्रवाई के बाद।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालतों को अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा

(ग)

संहिता की धारा 41 और 41 ए। कोई गैर-अनुपालन

अभियुक्त को जमानत देने का अधिकार होगा।

सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हैं -

(घ)

प्रक्रिया के लिए स्थायी आदेशों को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया गया

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश पर ध्यान देते हुए संहिता की धारा 41 और 41 ए के तहत पालन किया जाए।

07.02.2018 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 7608 और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्थायी आदेश यानी 2020 का स्थायी आदेश संख्या 109, धारा के अधिदेश का पालन करने के लिए

41 कोड से।

ई)

जमानत आवेदन के लिए कोई आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है जबकि

धारा 88,170,204 के तहत आवेदन पर विचार करना और

209 कोड से।

च)

निर्धारित आदेश का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है सिद्धार्थ (ऊपर) में इस अदालत के फैसले में।

राज्य और केंद्र सरकारों को इसका पालन करना होगा

जी)

विशेष न्यायालयों के गठन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के साथ। उच्च न्यायालय को राज्य सरकारों के परामर्श से यह करना होगा कि विशेष न्यायालयों की आवश्यकता पर एक अभ्यास करना।

विशेष अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के पद पर रिक्तियों को तेजी से भरना होगा।

ज)

उच्च न्यायालयों को इसका अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है -

उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाना जो सक्षम नहीं हैं

जमानत की शर्तों का पालन करें। ऐसा करने के बाद, संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी, जिससे रिहाई में सुविधा होगी। धारा 440 के अधिदेश को सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए

(i)

संहिता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अभ्यास इसी तरह से किया जाना चाहिए

जे)

जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय दोनों में संहिता की धारा 436 ए के अधिदेश का पालन करना, जैसा कि पहले इस न्यायालय द्वारा भीम सिंह (उपरोक्त) मामले में निर्देश दिया गया था। उचित आदेश।

ए. टी. एन. आर. कुमार एंटिल वी. केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

:)

जमानत आवेदनों का निपटान एक अवधि के भीतर किया जाना चाहिए

दो सप्ताह के अलावा यदि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हैं, अपवाद एक मध्यवर्ती आवेदन है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को किसी भी हस्तक्षेप आवेदन को छोड़कर छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाने की उम्मीद है। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को चार महीने की अवधि के भीतर शपथ पत्र/स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

4. रजिस्ट्री को इस फैसले की प्रति भारत और सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

75. इस प्रकार, 2021 के एम. ए. 1849 का निपटारा 2022 के उपरोक्त आई. ए. No.51315 में किया जाता है, हस्तक्षेप के लिए आवेदन की अनुमति है। एस. 164761 2021 की 148421 और 2021 की A.No.154863 की एम. ए. डायरी No.29164), स्पष्टीकरण/निर्देश के लिए आवेदन दिए गए हैं। चार महीने की अवधि के बाद अनुपालन के लिए सूची

आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

अ.

द्वाराः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)